



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-224002
CG-DL-E-29122020-224002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]
No. 378]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/ पौष 8, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

(अंतिम जांच परिणाम)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

(मामला सं. सी वी डी 04/2019)

विषय : मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी जांच-अंतिम जांच परिणाम।

क. पृष्ठभूमि

1. फा. सं. 6/14/2019 – डी जी टी आर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” अथवा “प्रतिसंतुलनकारी शुल्क / सी वी डी नियमावली” भी कहा गया है) के नियम 18 पर विचार करते हुए :
2. जबकि, मैसर्स अशाही इंडिया ग्लास लिमि., मैसर्स गोल्ड पल्स ग्लास इंडस्ट्री लिमि., मैसर्स सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया लिमि. और मैसर्स सिसेकेम फ्लोट ग्लास इंडिया लिमि. (जिसे आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने मलेशिया (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल अथवा वहां से निर्यातित “क्लियर फ्लोट ग्लास” जिसे आगे संबद्ध

वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी/ सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने के लिए समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदक दायर किया था। विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) का सही सही विवरण इस जांच के संबंधित खण्ड में दिया गया है।

3. और, जबकि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं की कथित सब्सिडी की मौजूदगी की मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा सब्सिडीरोधी शुल्क जिसे अगर लगाया गया जाये तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 01.10.2019 की अधिसूचना सं. 6/14/2019 – डी जी टी आर जारी किया।

ख. प्रक्रिया

4. इसमें नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किया गया है :

- i. प्राधिकारी को उपर्युक्त नियमावली के तहत मलेशिया से क्लियर फ्लोट ग्लास की सब्सिडी का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।
- ii. प्राधिकारी ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 6 के उपनियम (5) के अनुसार इन जांचों को शुरू करने की कार्यवाही करने के पूर्व सब्सिडीरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में मलेशिया की सरकार को भारत में इसके उच्च आयोग के माध्यम से अधिसूचित किया।
- iii. प्राधिकारी ने मलेशिया की सरकार को इस स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से और सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार परस्पर सहमत समाधान पर पहुंचने के लिए परामर्श हेतु आमंत्रित किया। यह परामर्श दिनांक 17.09.2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें मलेशिया की सरकार के प्रतिनिधियों (जिसे आगे “जी ओ एम” के रूप में भी कहा गया है) द्वारा भाग लिया गया था। जी ओ एम द्वारा स्पष्ट किये गये मुद्दों को रिकार्ड पर लिया गया था।
- iv. प्राधिकारी ने मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी / प्रतिसंतुलनकारी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 01.10.2019 को अधिसूचना जारी की।
- v. आम सूचना की एक प्रति प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात निर्यातकों, संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके उच्च आयोग के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करने के बारे में अग्रेषित किया गया था।
- vi. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और मलेशिया की सरकार को इसके उच्च आयोग के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार इस कारण से लिखित रूप में अनुरोध किया, को इस आवेदन की अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। इस आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और जहां कहीं भी अनुरोध किया गया अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। इसके साथ साथ वैश्विक महामारी और शारीरिक अनुपलब्धता को देखते हुए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पास उनके अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सांझा करने के लिए अनुरोध किया गया था।
- vii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर अथवा बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने तथा इस नियमावली के अनुसार लिखित रूप में अपने

विचारों से अवगत कराने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराये। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी :

- क. किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. ("किबिंग")
- ख. जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ("जिन्यी")
- ग. सिपेक्स ग्लास
- viii. मलेशिया की सरकारों से भारत में उनके उच्च आयोग के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली के एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उच्च आयोग को भी भेजा गया था।
- ix. इस अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया :
- क. मलेशिया सरकार
- ख. किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. (उत्पादक/ निर्यातक)
- ग. जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. (उत्पादक/ निर्यातक)
- x. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संघों (जिसके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को आयातक की प्रश्नावली के साथ साथ सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत करते हुए आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 7(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें :
- क. अटलांटिक ट्रेनिंग - मुम्बई
- ख. कांच घर - मुम्बई
- ग. फिशफा ग्लास - मुम्बई
- घ. समर्थ इंडस्ट्रीज - मुम्बई
- ङ. प्रशांत ट्रेडिंग - मुम्बई
- च. आसमी ट्रेडर्स - मुम्बई
- छ. रजत ग्लास ट्रेडर्स - कारड
- ज. चंदन ग्लास ट्रेडर्स - पुणे
- झ. कोछर ग्लास ट्रेडर्स - भोपाल
- ञ. गानेरीवाला ब्रादर्स प्रा. लिमि. - कोलकता
- ट. सुरी सेफ ग्रुप/ गानेरीवाला ग्लास ट्रेडर्स - कोलकता
- ठ. एम एस ग्लास ट्रेडर्स - कोलकता
- ड. ग्लेज आर्किटेक्चर प्रा. लिमि. - कोलकता
- ढ. ग्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमि. - कोलकता
- ण. सारफ ग्लास प्रा. लिमि. - कोलकता
- त. जी एस सी - नोएडा

- थ. शिव शक्ति – रुड़की
 द. रिद्धि सिद्धि – जयपुर
 ध. बनारस ग्लास – लखनऊ
 न. टी. एल. वर्मा – चण्डीगढ़
 प. जगदम्बा ग्लास – दिल्ली
 फ. शीष महल टफ – रोहतक
 ब. नूतन ग्लास एचएस(पी) लिमि. बेंगलोर
 भ. महावीर ग्लास एचएस – बेंगलोर
 म. कर्नाटक मेटल कंपनी – बेंगलोर
 य. इम्पेक्ट सेफ्टी ग्लास (प्रा.) लिमि. – बेंगलोर
 कक. सर्दन ऑटो प्रॉडक्ट्स (प्रा.) लिमि. – बेंगलोर
 खख. टोह ग्लास इंडिया – बेंगलोर
 गग. यशू फ्लोट ग्लास (प्रा.) लिमि. – हैदराबाद
 घघ. भंडारी ग्लास कं. – हैदराबाद
 डड. प्रकाश ग्लास – हैदराबाद
 चच. महावीर ग्लास – हैदराबाद
 छछ. महावीर मिरर – विशाखापट्टनम
 जज. उमा इंडस्ट्रीज – बेंगलोर
 झझ. जय मिरर इंडस्ट्रीज – चेन्नई
- xi. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार परिचालन के लिए तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघ को आयातक की प्रश्नावली भेजी :
- क. ऑल इंडिया फ्लेट मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन (ए आई एफ जी एम ए)
 ख. एसोचेम
 ग. फिक्की
 घ. सी आई आई
- xii. उपर्युक्त के उत्तर में, किसी भी आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने उपर्युक्त मामले में अपना अनुरोध/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
- xiii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार द्वारा जांच के लिए खुली रखी गई आम फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- xiv. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए डी जी प्रणाली से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी आई सी) से तथा वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को अनुरोध किया गया था। चर्चा के दौरान निर्यातकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने एक विशेष बीजक के अंतर्गत विभिन्न मोटाई के फ्लोट ग्लास का निर्यात किया है। हालांकि डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों ने केवल एक मोटाई शीर्ष के अंतर्गत उस बीजक की ऐसी संपूर्ण मात्रा की सूचना दी है। इससे भारत में उनके निर्यात की सी आई एफ की मतों पर

प्रभाव पड़ा। डी जी प्रणाली के आंकड़ों और निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर का विश्लेषण करने के बाद, निर्यातकों के अनुरोध में विश्वसनीयता पाई गई थी। उसको देखते हुए, लेन देन और अपेक्षित विश्लेषण की उचित जांच के बाद, डी जी प्रणाली के आंकड़ों पर उल्लिखित निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा का परस्पर संबंध होने के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने और जहां तक संभव हुआ प्रस्तुत किये गये उत्तरों को मान्यता देने के लिए विश्वास किया गया है।

- xv. सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने के उत्पादन और लागत तथा बिक्री करने की इष्टतम लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) निर्धारित किया गया है, जिससे की यह पता लगाया जा सके कि क्या क्षति मार्जिन की तुलना में कमतर सब्सिडरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi. वर्तमान जांच के उद्देश्य से क्षति की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 (12 महीने) है। हालांकि, क्षति की जांच की अवधि में पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2016 से मार्च 2017, अप्रैल, 2017 से मार्च 2018 तथा जांच की अवधि के आंकड़े शामिल हैं।
- xvii. इस नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 08.01.2020 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया। तदनंतर, दिनांक 07.01.2011 को सिविल अपील सं. 2006 के 949 में ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन को देखते हुए दिनांक 15.07.2020 को एक अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था और अपने विचार प्रस्तुत किये थे, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये अपने विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि ये विरोधी पक्षकारों द्वारा किये गये लिखित अनुरोध को संकलित करें तथा उन्हें उसके बाद अपने प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया था। इस जांच की प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी संगत पाया गया इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का समाधान इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।
- xviii. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने इस मामले के आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया जो दिनांक 11.12.2020 को प्रकटन विवरण के रूप में इसके जांच परिणामों का आधार बनेगा और इन हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए दिनांक 17.12.2020 तक समय दिया गया था। संगत पाई गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और उसका समाधान इस जांच परिणाम में किया गया है।
- xix. जिस सीमा तक इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध था और जिस सीमा तक वर्तमान जांच के लिए उसे संगत माना गया, पर उपयुक्त रूप से विचार इस जांच परिणाम में किया गया है।
- xx. गोपनीय आधार पर इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को जहां भी आवश्यक हुआ स्वीकार किया गया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।
- xxi. जहां कहीं भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना दिये जाने से इन्कार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराई है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा

पहुंचाई है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना गया है और प्रकटन विवरण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड किया गया है।

xxii. इस अंतिम जांच परिणाम में **** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना को द्योतक है।

xxiii. संबद्ध जांच के लिए लिया गया विनियम दर 1 अमरीकी डॉलर = 70.85 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जांच की शुरुआत के चरण में, वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) को मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "4एमएम से 12एमएम तक (दोनों शामिल) की सामान्य मोटाई का क्लियर फ्लोट ग्लास", सामान्य मोटाई बी आई एस 14900:2000, के अनुसार है, के रूप में परिभाषित किया गया था।
6. क्लियर फ्लोट ग्लास का उपयोग निर्माण, रेफ्रिजरेशन, दर्पण, सौर ऊर्जा उद्योग आदि में किया जाता है। यह उत्पाद उत्कृष्ट कोटि का ग्लास है। अपनी अंतरनिहित शक्तियों के कारण, उच्च दृष्टि संबंधी स्पष्टता, दृष्ट विपथन रहित, समतल सतह आदि के कारण, इस उत्पाद का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से बढ़ता रहा है।
7. फ्लोट ग्लास का वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अंतर्गत किया गया है। हालांकि, संबद्ध वस्तु का आयात टैरिफ उपशीर्षक, 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सूचक है और यह किसी भी प्रकार से इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

9. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) "4एमएम से 12एमएम तक (दोनों शामिल) की सामान्य मोटाई का क्लियर फ्लोट ग्लास", सामान्य मोटाई बी आई एस 14900:2000, के अनुसार है।
10. क्लियर फ्लोट ग्लास का उपयोग निर्माण, रेफ्रिजरेशन, दर्पण, सौर ऊर्जा उद्योग आदि में किया जाता है। यह उत्पाद उत्कृष्ट कोटि का ग्लास है। अपनी अंतरनिहित शक्तियों के कारण, उच्च दृष्टि संबंधी स्पष्टता, दृष्ट विपथन रहित, समतल सतह आदि के कारण, इस उत्पाद का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से बढ़ता रहा है।
11. फ्लोट ग्लास का वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अंतर्गत किया गया है। हालांकि, संबद्ध वस्तु का आयात टैरिफ उपशीर्षक, 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सूचक है और यह किसी भी प्रकार से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के दायरे के उत्पादों पर बाध्यकारी नहीं है।
12. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं और मलेशिया से आयात किये गये वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात किये गये वस्तुओं भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु भारत में किया जा रहा है उन वस्तुओं के सदृश्य हैं जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है। सब्सिडी आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद के या तो तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्य अथवा अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें इस निमयावली के अंतर्गत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

13. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) "4एमएम से 12एमएम तक (दोनों शामिल) की सामान्य मोटाई का क्लियर फ्लोट ग्लास", सामान्य मोटाई बी आई एस 14900:2000, के अनुसार है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" के रूप में कहा गया है)।
14. क्लियर फ्लोट ग्लास का उपयोग निर्माण, रेफ्रिजरेशन, दर्पण, सौर ऊर्जा उद्योग आदि में किया जाता है। यह उत्पाद उत्कृष्ट कोटि का ग्लास है। अपनी अंतरनिहित शक्तियों के कारण, उच्च दृष्टि संबंधी स्पष्टता, दृष्ट विपथन रहित, समतल सतह आदि के कारण, इस उत्पाद का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से बढ़ता रहा है और उसका वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अंतर्गत किया गया है। आठ अंकों के स्तर पर यह वर्गीकरण 70051090 है। यद्यपि उसका वर्गीकरण और आयात विभिन्न उपशीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 आदि के अंतर्गत भी किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सूचक है और यह किसी भी प्रकार से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उत्पाद दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
15. समान वस्तु के संबंध में, सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 2(सीए) में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :-
"समान वस्तु" का आशय उस वस्तु से है जो भारत में सब्सिडी किये जाने के लिए जांच के अधीन वस्तु के सदृश्य अथवा उसी के जैसा हर प्रकार से हो और इस प्रकार की वस्तु के न होने पर, एक अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से एक जैसा नहीं हो, फिर भी उसमें जांच के अधीन वस्तुओं से बिल्कुल मिलती जुलती विशेषताएं हों।"
16. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं और मलेशिया से आयात किये गये वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात किये गये वस्तुओं भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिनका पाटन भारत में किया जा रहा है उन वस्तुओं के सदृश्य हैं जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है। सब्सिडी आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद के या तो तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्य अथवा अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के आशय से और उसके दायरे के भीतर मलेशिया से आयात किया गया विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।
17. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे पर कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है। इस कारण से इसकी पुष्टि की जाती है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जिसका उल्लेख जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में किया गया है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

18. वर्तमान आवेदन मैसर्स गोल्ड पल्स ग्लास इंडस्ट्री लिमि., मैसर्स अशाही इंडिया ग्लास लिमि., मैसर्स सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया लिमि. और मैसर्स सिसेकेम फ्लेट ग्लास इंडिया लिमि. द्वारा दायर किया गया है, जिसका सामूहिक रूप से जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में 85 प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस देश में विचाराधीन उत्पाद का केवल एक अन्य ज्ञात उत्पादक अर्थात् मैसर्स गुजरात गार्जियन लिमि. है। यह भी नोट किया जाता है कि उक्त कंपनी ने वर्तमान जांच का न तो समर्थन किया है और न ही उसका विरोध किया है।
19. उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदकों ने न तो मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं। इसके अलावा, आवेदकों का संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात है।
20. उपर्युक्त को देखते हुए, चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है और आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से घरेलू उद्योग है और वह यह मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड गोपनीयता

निर्यातकों/ आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

21. निर्यातकों/ आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर व्यापार नोटिस के अनुसार है। इसके अलावा, यह दावा किया है कि उन्होंने अगोपनीय रूपांतर में गोपनीय रूपांतर की बिलकुल सही प्रतिकृति प्रस्तुत की है। इस कारण से घरेलू उद्योग का यह आरोप की उन्होंने उचित अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत नहीं किया है, सही नहीं है।
22. यह आवेदन अत्यधिक गोपनीयता से युक्त है क्योंकि घरेलू उद्योग ने गोपनीय के रूप में सभी लागत प्रपत्रों का दावा किया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

23. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातकों/ आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावे के संबंध में किये गये विभिन्न अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :
- अत्यधिक गोपनीयता के दावा निर्यातकों द्वारा किया गया है क्योंकि प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर इस नियमावली के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये गोपनीय रूपांतर और इस मुद्दे पर अनुदेशों की बिलकुल सही प्रतिकृति नहीं थी।
 - निर्यातकों / आयातकों ने उनके उत्तर के विवरणात्मक भाग के संबंध में भी गोपनीयता का दावा किया है जिसने घरेलू उद्योग के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से अपने वैधानिक हित की रक्षा करने अथवा प्राधिकारी को सहयोग करने के लिए असंभव बना दिया है।
 - जहां तक आवेदकों के अनुरोधों का प्रश्न है, सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 7 के प्रावधानों और इस संबंध में जारी किये गये व्यापार नोटिसों के अनुसार गोपनीयता का दावा किया गया है। इस कारण से हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, निराधार है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है :

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप-नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बावजूद, नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।”

25. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण के माध्यम से तथा उनकी टिप्पणियों और रिकार्ड के लिए ई-मेल के माध्यम से परिचालन के द्वारा भी सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराया गया था।

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में तर्कों के बारे में, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्ता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। आयातों, कार्य निष्पादन संबंधी मानदंडों और घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध करायी गयी है। व्यापार संवेदनशील सूचना कार्यपद्धति के अनुसार गोपनीय रखी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है, को गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

च. सब्सिडी का आकलन – पद्धति, मापदंड, प्रतिसंतुलन कारनीयता और सब्सिडी मार्जिन

27. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में जांच की शुरुआत के रूप वर्तमान जांच आरंभ करने के लिए संबद्ध देश में प्रतिसंतुलन कारणीक सब्सिडी की मौजूदगी का साक्ष्य उपलब्ध था। मलेशिया से को दिनांक 19.09.2018 को नई दिल्ली में परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। मलेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों को सलाह दी गई थी कि वे इस प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें और उनलहें इस प्रकार की सब्सिडी, कोई हो की मौजूदगी और मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम के मौजूद होने, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए उचित अवसर दिया गया था।

28. मलेशिया की सरकारों की सरकारों, मलेशिया के निम्नलिखित उत्पादन/ निर्यातक ने प्रस्तुत किया है।

क. मलेशिया की सरकार

ख. किबिंग ग्रुप (एम) एवडीएन बीचडी. (उत्पादक/ निर्यातक)

ग. जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचएन (उत्पादक/ निर्यातक)

कथित सब्सिडी कार्यक्रम का सामान्य सिंहावलोकन

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. किबिंग ग्रुप के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने मलेशिया में स्थिति अपने संबंधित पक्षकारों अर्थात किबिंग एनर्जी सेविंग ग्लास कं. लिमि. और सी एस इको ग्लास (एम) एसडी. बीएचडी. की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यदि अर्थात किबिंग एनर्जी सेविंग ग्लास कं. लिमि. और सी एस इको ग्लास (एम) एसडी. बीएचडी. के आंकड़ों की जांच नहीं की जाती है तब प्राधिकारी किबिंग ग्रुप द्वारा उठाया गया कुल सब्सिडी लाभ की गणना करने की स्थिति में नहीं होंगे।

ख. जिन्यी स्मार्ट एनर्जी के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने मलेशिया में स्थिति अपने संबंधित पक्षकारों अर्थात जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. (जिन्यी सोलर) और जिन्यी फोटोवोल्टेयिक (मलेशिया) कं. लिमि. (जिन्यी फोटोवोल्टेयिक) की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यदि अर्थात जिन्यी सोलर और जिन्यी फोटोवोल्टेयिक के आंकड़ों की जांच नहीं की जाती है तब प्राधिकारी जिन्यी स्मार्ट एनर्जी द्वारा उठाया गया कुल सब्सिडी लाभ की गणना करने की स्थिति में नहीं होंगे।

ग. निर्यातकों ने इन आधारों पर अधिकांश योजनाओं में “लागू नहीं” का उल्लेख किया है कि कंपनी ने निर्दिष्ट कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाया था। हालांकि, जब कंपनी किसी कार्यक्रम के लिए पात्र है, तब यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसे कथित कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ नहीं मिला होगा। इस प्रकार, या तो कंपनी को पात्रता की कमी को दर्शाना चाहिए अथवा यह अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए कि क्यों इसने उस लाभ को प्राप्त नहीं किया है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध है।

- घ. मलेशिया की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गये उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से सहयोग नहीं किया है। इस संदर्भ में, यह अनुरोध किया जाता है कि मलेशिया की सरकार ने केवल यह उल्लेख किया है कि सूचना उत्तर में अनुरोध की गई विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराये बिना निर्यातकों से संकलित नहीं किया जाना चाहिए।
- ङ. अपने उत्तर में मलेशिया की सरकार ने जांच के अधीन कंपनियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि कौन की कंपनियों ने आवेदन किया है, दावा किया है, प्राप्त किया है अथवा उल्लिखित सहायता का उपयोग किया है। इसके अलावा, उनकी संबंधित कंपनियों के बारे में तथा उनके द्वारा उठाये गये लाभ के बारे में भी सूचना प्राधिकारी द्वारा प्रकट नहीं की गई है। संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों से संबंधित सूचना तथा उनके संबंधित कंपनियों से संबंधित सूचना को प्रस्तुत नहीं करने से निर्यात करने वाले देश की सरकार से उत्तर संकलित करने का पूरा उद्देश्य को हानि पहुंचती है।
- च. मलेशिया की सरकार और मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों ने ईमानदारी से इसमें भाग नहीं लिया है और इस कारण से उनके उत्तरों को अस्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है और घरेलू उद्योग को सब्सिडी मार्जिन के पूर्ण स्तर तक संरक्षित किया जाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.3 में जांच करने वाले प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से याचिका में दिये गये साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की समीक्षा करें कि क्या यह किसी जांच की शुरुआत का औचित्य ठहराने के लिए “पर्याप्त” है।
- ख. यह भी नोट किया जाना चाहिए कि “प्रथम दृष्टया” और “पर्याप्त” दो पूर्ण रूप से अलग अलग शब्दावली हैं, वे अलग अलग मानदंडों को बताते हैं और दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को तीन तत्वों जिसमें प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी अर्थात् सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान; लाभ और विशिष्टता की मौजूदगी को स्थापित नहीं कर सके।
- ग. भारत की सरकार की आकलन के कमतर मानदंड के सतत् उपयोग और सबसे पहले इस बात का निर्धारण करने की इसकी असफलता कि याचिका में निर्यात करने वाले उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी देने का “पर्याप्त साक्ष्य” उपलब्ध है और जिसके फलस्वरूप भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है, एक खतरनाक त्रुटि है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच 20 योजनाओं के लिए शुरू की गई थी जिनके लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य आवेदक द्वारा यह दर्शाने के लिए उपलब्ध कराया गया था कि मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों ने मलेशिया की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई अनेक सब्सिडी से लाभ उठाया है। कथित सब्सिडी ने निधियों का सीधा अंतरण और निधियों अथवा दायित्वों का संभावित सीधा अंतरण; सरकार का राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है, को छोड़ दिया गया है अथवा नहीं वसूला गया है; समुचित पारिश्रमिक से कम के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रावधान आदि है। 20 योजनाओं के अलावा निर्यातक ने एक से अधिक योजना अर्थात् लाइसेंस मेनिफेक्चरिंग वेयरहाउस स्कीम उपलब्ध कराई है। इस प्रकार से प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुच्छेदों में करीब 21 योजनाओं की प्रतिसंतुलनकारणीयता का विश्लेषण किया है।

1. अनुदान के रूप में पहचान की गई योजनाएं

1. प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी
2. बाजार विकास अनुदान

II. कर प्रोत्साहन के रूप में पहचान की गई योजनाएं

3. पायोनियर स्टेट्स
4. पूर्व लागत आर्थिक कोरिडोर में निर्माण और निर्माण से संबंधित सेवा के लिए प्रोत्साहन
5. निवेश कर छूट
6. बढी हुई पूंजी छूट
7. मलेशिया के ब्राण्ड के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
8. आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रा बैक
9. बिक्री कर छूट
10. निर्माण कार्यकलापों की आउट सोर्सिंग करने के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
11. कलपुर्जे और उपभोज्य सामग्री पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
12. मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
13. कच्चे माल / संघटकों पर आयात शुल्क से छूट
14. निर्यातों के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
15. निर्यातों कारगो के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
16. बढे हुए निर्यात के लिए छूट
17. टैरिफ संबंधित प्रोत्साहन
18. संयंत्र और मशीनरी के लिए छूट

III. निर्यात क्रेडिट और निर्यात वित्त पोषण के रूप में पहचान की गई योजनाएं

19. निर्यात क्रेडिट पुनः वित्त पोषण
20. क्रेता क्रेडिट गारंटी

IV. निर्यात द्वारा दावा की गई योजना

21. लाइसेंस मेनिफेक्चरिंग वेयरहाउस

32. प्राधिकारी ने नीचे दी गई विशिष्ट योजनाओं के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के दावे और प्रति दावे की जांच की है :

गणना पद्धति

33. ए एस सी एम के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 1 के पैरा 1 के अनुसरण में ग्राही को दिये गये लाभ की गणना करने के लिए दिशानिर्देश और पद्धति दी गई है और इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पद्धति जिसका उपयोग जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा ग्राही को लाभ गणना करने के लिए जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, पारदर्शी और समुचित रूप से स्पष्ट किया गया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा, ग्राही को लाभ की गणना करने के लिए जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा उपयोग की गई कोई पद्धति उनके राष्ट्रीय विधायन अथवा संबंधित सदस्य के विनियमों के कार्यान्वयन में दिया जायेगा और प्रत्येक विशेष मामले में इसका उपयोग पारदर्शी और समुचित रूप से स्पष्ट किया हुआ होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 में सब्सिडी दिये जाने की मात्रा के निर्धारण की पद्धति निर्धारित है। इस जांच में यह निर्धारण इन दिशानिर्देशों के अनुसार है।

योजनाओं से संबंधित सूचना :**कार्यक्रम सं. 1 : प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी****क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

34. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्राकृतिक गैस निर्माण क्षेत्र और बिजली उत्पादकों को गैस उपलब्ध कराने वाले कंपनी द्वारा सब्सिडीयुक्त दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह सब्सिडी निर्माण कार्यक्रलापों में लगे उद्योगों तथा बिजली उत्पादकों के लिए उपलब्ध है। बाद में यह निर्माण क्षेत्र में उद्योगों को सस्ते गैस तक पहुंच उपलब्ध कराते समय बिजली के उत्पादन की लागत को कम करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रकार से उत्पादन की गई बिजली को उसके बाद सस्ते दर पर निर्माण उद्योगों को आपूर्ति की जाती है जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक समग्र लागत कटौती होती है। उन्होंने अनुरोध किया कि गैस और बिजली ग्लास उद्योग में निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण संघटक है और इस प्रकार से यह योजना मलेशिया के उत्पादकों को लाभ प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, गैस कंपनी को सरकार द्वारा सब्सिडी दिये जाने की सीमा तक क्षति पूर्ति की जाती है।

35. इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया :

- गैस कंपनी "गैस मलेशिया बेहराड" की वार्षिक रिपोर्ट
- मलेशिया के उर्जा आयोग द्वारा प्रकाशित विनियमित और अविनियमित गैस कीमतें
- निवेश अधिनियम, 1986

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

36. 1997-98 की एशियाई वित्तीय संकट के पूर्व, मलेशिया में डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं को गैस की कीमत बाजार मूल्य पर आधारित थी। संविदागत रूप से, गैस की कीमतें प्रतिस्थानापन पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित था। समग्र प्रोत्साहन और रिकवरी पैकेज जिसका कार्यान्वयन सरकार द्वारा इस संकट के उत्तर में किया गया, के भाग के रूप में, घरेलू गैस की कीमतें बाद में विनियमित की गई थीं। अक्टूबर 2002 में, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र जहां औद्योगिक क्षेत्र के लिए गैस की कीमतें बाजार की कीमत से कमतर थीं, के लिए गैस कीमत निर्धारण विनियमित करना शुरू किया।

37. औद्योगिक क्षेत्र के लिए कीमत समायोजन ने 2014 से कीमत संशोधन का ग्यारह चक्र देखा जिसमें प्रत्येक छः महीने में ब्रिटिश तापीय इकाई (एम एम बीटीयू) में आर एम *** प्रति मिलियन की वृद्धि हुई। मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र के लिए औसत गैस टैरिफ आर एम *** प्रति एम एम बीटीयू था। आशा है कि विनियमित गैस कीमत 2020 में बाजार कीमत तक पहुंच जायेगी। उस नोट में, वर्तमान विनियमित गैस कीमत बाजार कीमत से थोड़ा कम है।

38. वर्तमान में, मलेशिया में गैस की कीमतों की दो श्रेणियां हैं जिन्हें सामूहिक रूप से दो स्तरीय कीमत निर्धारण तंत्र अर्थात् विनियमित गैस कीमत और बाजार आधारित एल एन जी अनुक्रमित कीमत के रूप में कहा जाता है। विनियमित गैस कीमत व्यवस्था के अंतर्गत जो केवल वर्तमान से पूर्व की संविदाओं के साथ ग्राहकों पर लागू होते हैं, सरकार पेट्रोनाश और गैस मलेशिया बरहाद (जी एम बी) द्वारा आपूर्ति किये गये गैस की कीमत को विनियमित करता है। दूसरी ओर एल एन जी अनुक्रमित कीमत निर्धारण सभी नये मात्राओं जिसमें वर्तमान से पहले संविदाओं के साथ ग्राहकों से अतिरिक्त मात्रा शामिल है, के लिए है।

39. इसके अलावा, सरकार ने प्रोत्साहन आधारित विनियमन (आई बी आर) फ्रेमवर्क भी निर्धारित किया है जो तीन वर्षों अर्थात् जनवरी 2017 से दिसंबर 2019 के लिए औद्योगिक ग्राहकों हेतु आधार टैरिफ निर्धारित करता है। यह आई बी आर फ्रेम वर्क प्रत्येक छः महीने पर गैस लागत पास-थ्रू (जी सी पी टी) तंत्र के माध्यम से गुजरने के लिए गैस की लागतों में परिवर्तन की अनुमति देता है। जी सी पी टी वह तंत्र है जिससे होकर गैस की लागत में अंतर को गुजरना होता है, जो आधार प्रशुल्क में अनुमान लगाये गये गैस की लागत और वास्तविक गैस लागत के बीच अंतर के कारण हुआ। जी सी पी टी का कार्यान्वयन प्रत्येक छः महीने में जनवरी और जुलाई में किया जाता है। यह दर या तो कटौती अथवा अधिभार होगा।

40. औद्योगिक ग्राहकों को प्रभारित गैस कीमत टैरिफ श्रेणी पर आधारित होती है। उसी टैरिफ श्रेणी में सभी ग्राहकों को वही कीमत लगाई जायेगी। चूंकि यह कार्यक्रम औद्योगिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है अतः कोई आवेदन की प्रक्रिया लागू नहीं है।
41. निर्यातकों ने आगे यह अनुरोध किया है कि जनवरी 2020 से गैस के आपूर्तिकर्ताओं को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है और उसका सत्यापन गैर कंपनियों के बीजकों से किया जाता है। उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि सभी मौजूदा गैस मलेशिया बरहाद (जी एम बी) उपभोक्ता 1 जनवरी, 2020 से आरंभ होकर 31 दिसंबर, 2021 तक दो वर्षों के लिए निर्धारित गैर कीमत का लाभ उठावेंगे। सरकार ने वर्ष 2020 के लिए आर एम ***/ एमएमबीटीयू की औसत कीमत पर उपभोक्ता गैस कीमत तय की है।
42. निर्यातकों ने आगे यह दावा किया है कि कार्यक्रम सं. 1 को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि जी सी पी टी पर लागू नहीं है और विनियमित गैस कीमतों को जनवरी 2020 से अविनियमित गैस कीमत के अनुरूप कर दिया गया है और इस कारण से मलेशिया की सरकार द्वारा गैस कंपनियों को कोई सब्सिडी नहीं दी गई जाती है। चूंकि गैस की कीमतों को 1 जनवरी, 2022 से जी ओ एम द्वारा विनियमित नहीं किया जायेगा, अतः कार्यक्रम सं. 1 के कारण कोई मार्जिन लागू नहीं किया जाना चाहिए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम गैस आपूर्ति अधिनियम 1993 द्वारा शासित होता है। सब्सिडी कार्यक्रम बिजली क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस की कीमतों की विनियमित, अधिक अनुकूल दरों की अनुमति देता है। यह नोट किया जाता है कि जी ओ एम स्वीकार्य तौर पर गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों अर्थात् पैट्रोनाश और गैस मलेशिया बरहाद (जी एम बी) को सब्सिडी देता है जो बाद में निर्यातक कम किये गये दरों पर गैस की आपूर्ति करता है। उसके बाद यह अंतर उक्त कंपनी द्वारा जी ओ एम से वसूला जाता है। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मत है कि जी ओ एम द्वारा एक प्रत्यक्ष द्वितीय अंशदान है। इसके अलावा, स्वयं जी ओ एम के उत्तर में यह उल्लेख है कि :

“सरकार ने प्रोत्साहन आधारित विनियमन (आई बी आर) फ्रेमवर्क भी निर्धारित किया है जो तीन वर्षों अर्थात् जनवरी 2017 से दिसंबर 2019 के लिए औद्योगिक ग्राहकों हेतु आधार टैरिफ निर्धारित करता है। यह आई बी आर फ्रेम वर्क प्रत्येक छः महीने पर गैस लागत पास-थ्रू (जी सी पी टी) तंत्र के माध्यम से गुजरने के लिए गैस की लागतों में परिवर्तन की अनुमति देता है। जी सी पी टी वह तंत्र है जिससे होकर गैस की लागत में अंतर को गुजरना होता है, जो आधार प्रशुल्क में अनुमान लगाये गये गैस की लागत और वास्तविक गैस लागत के बीच अंतर के कारण हुआ। जी सी पी टी का कार्यान्वयन प्रत्येक 6 महीने में जनवरी और जुलाई में किया जाता है। यह दर या तो कटौती अथवा अधिभार होगा”

44. जी ओ एम के इस तर्क के संबंध में कि यह कार्यक्रम औद्योगिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी यह टिप्पणी करते हैं कि जी ओ एम ने गैस कीमत निर्धारण तंत्र में सब्सिडी तत्व के मौजूद होने से भी इनकार नहीं किया है जिसकी आपूर्ति औद्योगिक उत्पादकों को की जाती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सब्सिडी के लिए प्रतिसंतुलनकारणीय होना आवश्यक नहीं है और यह कि इसे प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित उपक्रम को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, यह उपयुक्त होगा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के अंतर्गत “सब्सिडी” की परिभाषा का उल्लेख किया जाए जिसे नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाता है :

9(1) जहां कोई देश अथवा प्रक्षेत्र ऐसी वस्तु की दुलाई और उसके बाद भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात पर किसी सब्सिडी सहित किसी वस्तु के निर्माण अथवा उसमें उत्पादन अथवा उस से निर्यात पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी सब्सिडी का भुगतान करता है, देता है, चाहे उसका आयात निर्माण, उत्पादन के देश से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य प्रकार से किया जाता है और चाहे इसका आयात उसी स्थिति में तब किया जाता हो जब निर्माण अथवा उत्पादन के देश से निर्यात किया गया हो अथवा निर्माण, उत्पादन अथवा अन्य प्रकार से शर्त में परिवर्तन किया गया हो, केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी की राशि से अनाधिक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगा सकती है।

व्याख्या – इस धारा के उद्देश्यों से सब्सिडी का होना माना जायेगा यदि -

(क) सरकार द्वारा अथवा किसी सार्वजनिक निकाय [निर्यातक अथवा उत्पादक देश अथवा प्रक्षेत्र] द्वारा वित्तीय अंशदान हो, अर्थात् जहां -

- i. सरकार की कार्यपद्धति में नीतियों का सीधा अंतरण (अनुदान, ऋण, इक्विटी डालने सहित) अथवा निधियों या दायित्वों अथवा दोनों का संभावित सीधा अंतरण शामिल हो;
- ii. सरकार का राजस्व जो अन्य प्रकार से देय हो, को छोड़ दिया गया हो अथवा संकलित नहीं किया गया हो (राजकोषीय प्रोत्साहन सहित);
- iii. सरकार सामान्य अवसंरचना को छोड़कर वस्तु अथवा सेवाएं प्रदान करता हो अथवा वस्तु की खरीद करता हो;
- iv. सरकार निजी तंत्र को भुगतान करता हो, अथवा उपर्युक्त उपनियम (i) से (iii) में उल्लिखित कार्यों के एक अथवा उस से अधिक प्रकार को करने के लिए निजी निकाय को सौंपता हो अथवा निदेश देता हो, जो सामान्य रूप से सरकार में निहित होगी और किसी भी सही अर्थ में यह कार्यपद्धति सरकारों द्वारा सामान्य रूप से अपनाई जा रही कार्यपद्धतियों से अलग हो; अथवा .

.....

45. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सरकार बिंदु (i), (ii) और (iii) एक अथवा उससे अधिक प्रकार का कार्य करने के लिए निजी निकाय को सौंपता है अथवा निदेश देता है जो सामान्य रूप से सरकार में निहित होगा और किसी भी सही अर्थ में उसका कार्यचालन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(क) के अनुच्छेद i-iii के संबंध में सरकारों द्वारा सामान्य तौर पर किये जाने वाले कार्यों से अलग हो, तब इसे सब्सिडी माना जाता है। इन प्रावधानों में एस सी एम करार का अनुच्छेद 1.1(क) (1) (iv) और (iii) परिलक्षित होता है। इस कारण से, कोई भी कार्यक्रम जो निजी निकायों को भी इस उद्योग को समुचित से कम पारिश्रमिक के लिए गैस उपलब्ध कराता हो, को उपर्युक्त प्रावधानों के संबंध में "सब्सिडी" की परिभाषा के द्वारा शामिल किया गया है।
46. इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने आरंभिक रूप से प्राकृतिक गैस से संबंधित सब्सिडी होने के बारे में किसी जानकारी से इनकार किया। हालांकि, जांच के दौरान, प्राधिकारी ने इस तथ्य को नोट किया कि सब्सिडी के तत्व का उल्लेख निर्यातकों को गैस आपूर्तिकर्ता द्वारा बनाये गये गैस बीजकों में उल्लेख किया गया था। इसके बाद प्राधिकारी ने संबंधित अवधि के लिए बीजकों की जांच की है और यह देखा कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा वास्तव में सब्सिडी का लाभ लिया गया था।
47. प्राधिकारी इस योजना की प्रतिसंतुलनकारणीयता की जांच नीचे दिये गये अनुसार करते हैं :
- क. जी ओ एम द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर में यह उल्लेख है कि मलेशिया में गैर कीमतों को सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है।
 - ख. जी ओ एम द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर में इस भाग को माना गया है कि औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए गैस की बाजार कीमतों और गैस की कीमतों में अंतर है।
 - ग. इसके अलावा, जी ओ एम के उत्तर में भी इस बात का उल्लेख है कि औद्योगिक ग्राहकों को प्रभारित गैस कीमत खपत आधारित टैरिफ प्रणाली को दर्शाते हुए टैरिफ श्रेणी पर आधारित है।
 - घ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह योजना काफी बड़ी संख्या में उपक्रमों को लाभ पहुंचाता है। हालांकि, इस योजना की जांच करते समय, प्राधिकारी यह टिप्पणी करते हैं कि मलेशिया की सरकार का प्राकृतिक गैस का विनियमन प्रमुख रूप से उन उद्योगों को लाभ पहुंचाता है जो अपने उत्पाद का निर्माण करने के लिए प्रमुख इनपुट के रूप में गैस का उपयोग करते हैं। चूंकि, प्राकृतिक गैस एक प्रमुख इनपुट है जिसका उपयोग फ्लोट ग्लास इंडस्ट्री में कच्चे माल को गलाने के लिए फर्निश में किया जाता है, प्राधिकारी इस योजना को इस रूप में मानना है कि इसे विचाराधीन उत्पाद के निर्माण अथवा उत्पादन में लगे सीमित संख्या में व्यक्तियों को दिया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि प्राकृतिक गैस कुल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्राकृतिक गैस की अंतरनिहित विशिष्ट विशेषताएं कुछ उद्योग को सब्सिडी के संभावित उपयोग को सीमित करता है लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि विशिष्ट होने के उद्देश्य से, किसी उद्योग के उप समुच्चय को आगे सब्सिडी अवश्य सीमित की जानी चाहिए। इस कारण से यह ए एस सी एम के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत विशिष्ट है।

48. उपर्युक्त को देखते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय है और लाभ का तत्व समग्र सब्सिडी में शामिल किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 2 : बाजार विकास अनुदान (एम डी जी)

क. घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

49. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि इस योजना को मलेशिया निवेश विकास प्राधिकरण (एम आई डी ए) द्वारा एस एम ई के लिए निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलाप का संवर्धन करने के लिए शुरू किया गया है। एम डी जी कार्यक्रम के अंतर्गत एस एम ई के लिए अधिकतम अनुदान आर एम 200,000 है। एस एम ई को कम से कम 60 प्रतिशत मलेशियाई इक्विटी स्वामित्व के साथ कंपनी अधिनियम, 1965 के अंतर्गत निगमित किया जाना चाहिए था। साक्ष्य और कानूनी आधार, बाजार विकास अनुदान (एम डी जी) - 2016 के लिए सामान्य नीतियां, सुविधाएं और दिशानिर्देश हैं।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया अनुरोध

50. निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में एस एम ई की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 11वीं मलेशिया योजना (2016 - 2020) के अंतर्गत संरचित एक स्पष्ट सतत् कार्यक्रम है।
51. यह एम डी जी मलेशिया के एस एम ई के लिए निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार और निवेश मिशन / निर्यात वृद्धि मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ओवरसीज और सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट अथवा विदेश में रिटेल केंद्रों में मलेशिया में निर्मित उत्पादों के लिए सूचियन शुल्क के लिए आर एम 200,000 तक प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु अवसर उपलब्ध कराता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

52. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बाजार विकास योजना (एम डी जी) को 2002 में शुरू किया गया था। यह 11वीं मलेशियाई योजना (2016 - 2020) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में एस एम ई की भागीदारी बढ़ाना है। एम डी जी निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों भाग लेने के लिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार और निवेश मिशन / निर्यात वृद्धि मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ओवरसीज और सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट अथवा विदेश में रिटेल केंद्रों में मलेशिया में निर्मित उत्पादों के लिए सूचियन शुल्क के लिए आर एम 200,000 तक प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य अनुदान एस एम ई को उपलब्ध कराता है।
53. सब्सिडी कार्यक्रम में निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ ग्राही को दिया जाता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर है। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। हालांकि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं उठाया जाता है।

कार्यक्रम सं. 3 : पायोनियर स्टेट्स

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

54. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पायोनियर स्टेट्स दी गई कंपनी कारपोरेट आयकर से कर छूट का लाभ उठायेगा। यह कार्यक्रम निर्माण क्षेत्र में संवर्धित क्रियाकलापों/ उत्पादों में निवेश को प्रोत्साहित करता है जो अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में अंशदान कर सकता है। यह निर्माण क्षेत्र में अनुमोदित संवर्धित उत्पादों/ क्रियाकलापों के लिए स्थानीय और विदेशी दोनों निवेशकों पर लागू होता है। पांच साल की आंशिक छूट आयकर के भुगतान से दी जाती है। कंपनी अपनी सांविधिक आय के 30 प्रतिशत पर अपने उत्पादन दिवस से आरंभ होने वाली छूट अवधि के साथ कर का भुगतान करती है। पूंजी छूट जिसे खपाया नहीं गया और

पायोनियर अवधि के दौरान हुई संचित हानि को आगे ले जाया जा सकता है और उसकी कटौती कंपनी की पायोनियर पश्चात आय से की जा सकती है। कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने लिखित पर विश्वास किया है :

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 की सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी करार -मलेशिया के अनुच्छेद 25 तथा गैट 1994 का xvi:1 के अनुसरण में नई और पूर्ण अधिसूचना
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- संवर्धित क्रियाकलापों और उत्पादों जो निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पायोनियर स्टेट्स और निवेश कर छूट के विचारार्थ पात्र है की सूची
- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 का मलेशिया कानून अधिनियम 327 भाग-11 धारा 5, 6, 7 पायोनियर स्टेट्स का उल्लेख करता है
- वेब रिपोर्ट : इक्विजि बैंक की निर्यात क्रेडिट पुनः वित्त पोषण
- मलेशिया के माध्यम से एक्सट्रूडेड यू एस

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

55. कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण (एम आई डी ए), अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय, (एम आई टी आई) के अंतर्गत एक एजेंसी को पायोनियर स्टेट्स कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। उसके बाद कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह एम आई डी ए से पायोनियर प्रमाण पत्र प्राप्त करे। यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी ने लगाई गई शर्तों का पालन किया है। एम आई डी ए द्वारा यह संतुष्ट होने के बाद की कंपनी ने इन शर्तों का पालन किया है, एम आई डी ए कंपनी के लिए उत्पादन तिथि का निर्धारण करेगा और इस कार्यक्रम के आरंभिक और अंतिम तिथि का निर्धारण करेगा। बाद में, इस कार्यक्रम से अनुमोदित कंपनियां कर कटौतियों के लिए दावे की गणना करने वाले अपने वार्षिक कर विवरणी के साथ अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड को अपने दावे प्रस्तुत करेगा। आवेदक को अनुमोदन समिति से होकर भी जाने की आवश्यकता होगी।
56. कृषि संबंधी और निर्माण क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन पायोनियर स्टेट्स और निवेश कर छूट है। ये प्रोत्साहन परस्पर रूप से अनन्य हैं। निवेश अधिनियम 1986 का संवर्धन धारा 5-25 में उसका साक्ष्य है। यह लाभ दी जाने वाली करों से छूट है। इसके अलावा, हानि को आगे भी ले जाया जा सकता है।
57. पायोनियर स्टेट्स के लिए पात्रता का मानदंड उन मानदंडों जैसे पूंजी गहन, महत्वपूर्ण लिंकेज बनाने में सक्षम, आयात प्रतिस्थापन, उच्च मूल्यवर्धित, प्रौद्योगिकी, ग्रीन प्रौद्योगिकी, रोजगार सर्जन, निर्माण समर्थन सेवाओं के विकास में योगदान और उसका देश पर पड़ने वाले प्रभाव पर आधारित है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

58. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 5 से 25 में पायोनियर स्टेट्स कार्यक्रम का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में आयकर से छूट के रूप में कर प्रोत्साहन का प्रावधान है, छूट की अवधि के दौरान हुई हानि को बाद के वर्षों के लिए कर योग्य आय/ निवल लाभ के प्रभाव को दूर करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है। रिकार्ड पर उत्तरों से यह नोट किया जाता है कि यह पात्रता का मानदंड उन मानदंडों जैसे पूंजी गहन, महत्वपूर्ण लिंकेज बनाने में सक्षम, आयात प्रतिस्थापन, उच्च मूल्यवर्धित, प्रौद्योगिकी, ग्रीन प्रौद्योगिकी, रोजगार सर्जन, निर्माण समर्थन सेवाओं के विकास में योगदान और उसका देश पर पड़ने वाले प्रभाव पर आधारित है।
59. इस कार्यक्रम में छोड़ा गया राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उपर्युक्त सूचीबद्ध मानदंडों पर आधारित है। उसके अलावा, जी ओ एम ने यह उल्लेख किया कि "आवेदक को अभी भी अनुमोदन समिति से होकर जाने की आवश्यकता होगी। अस्वीकार किये जाने के कारण आवेदक से अलग उस स्थिति में हो सकते हैं जब वे उपर्युक्त मानदंडों तथा सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य संगत मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हों।" इस कारण से

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी कंपनी के चयन अथवा उसे अस्वीकार किये जाने के लिए सरकार द्वारा उपयोग की गई 'कुछ अन्य संगत मानदंडों की स्थापना' का विवेकाधिकार स्पष्ट रूप से उन उपक्रमों को विशेषता देता है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस योजना को विशिष्ट और प्रतिसंतुलनकारणीय माना है।

60. तथापि, सहयोगी निर्यातकों द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

कार्यक्रम सं. 4: पूर्व लागत आर्थिक कोरिडोर में निर्माण और निर्माण से संबंधित सेवा के लिए प्रोत्साहन

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

61. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, छोड़े गए विभिन्न कर छूट – राजस्व चयनित और कृषि आधारित उत्पादों के निर्माण और निर्माण से संबंधित सेवाओं में शामिल पूर्वी तट आर्थिक कोरिडोर में स्थित कंपनी को दिया जाता है।

62. प्रत्येक मामले के गुण के आधार पर ग्राहक के अनुकूल प्रोत्साहन अथवा उस वर्ष जिस वर्ष कंपनी को 5 वर्षों के लिए अर्हक पूंजी व्यय पर 100 प्रतिशत की आयकर छूट अथवा सांविधिक आय प्राप्त होती है, से आरंभ होकर 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर से छूट दी जाती है। भूमि अथवा भवन जिसे विकास के लिए अधिग्रहित किया गया है पर स्टाम्प शुल्क से छूट तथा मशीनरी और उपभोज्य सामग्री जिसका उत्पादन स्थानीय रूप से किया जाता है और जिसका उपयोग इस क्रियाकलाप में सीधे तौर पर किया जाता है, पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट भी उपलब्ध है।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

63. किसी भी कंपनी जो संवर्धित क्रियाकलाप में भाग लेने के लिए इच्छुक हो अथवा किसी क्रियाकलाप अथवा उत्पाद सहित संवर्धित उत्पाद जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय अथवा रणनीतिक महत्व का हो, सहित संवर्धित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए इच्छुक हो, को कर से छूट दी जा सकती है।

64. कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे पूर्वी तट आर्थिक क्षेत्र विकास परिषद् (ई सी ई आर डी सी), एम ओ एफ के अंतर्गत एक एजेंसी को कर छूट कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। उसके बाद कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह कर छूट के लिए प्रथम सांविधिक आय प्राप्त करने वाली कंपनी को उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ई सी ई आर डी सी से अनुपालन पत्र जारी किये जाने के बाद उसका सत्यापन करवाये। ई सी ई आर डी सी द्वारा इस बात से संतुष्ट होने के बाद की कंपनी ने सभी शर्तों का पालन किया है, यह उक्त को जारी करेगा जिसे कंपनी उसके बाद 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन हेतु लाभ उठा सकता है। बाद में, इस कार्यक्रम के साथ अनुमोदित कंपनियां कर छूट के लिए दावे की गणना वाली अपनी वार्षिक कर विवरणी के साथ आई आर बी को अपने दावे प्रस्तुत करेगा। यह सहायता दी जाने वाली करों से छूट है। हानि का प्रावधान है और उसे आगे ले जाने की अनुमति है। उन सभी व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों जिन्होंने आवेदन किया है और पात्रता के मानदंड को पूरा किया, को इस कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं दिया जायेगा। आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अनुमोदन समिति से इसे स्वीकृति करवायें।

65. इस कार्यक्रम के लिए पात्रता के मानदंड नीचे दिये गये हैं :

- परियोजना मलेशिया के पूर्वी तट में स्थित है;
- मूल्यवर्धित; और
- प्रबंधकीय, तकनीकी और पर्यवेक्षण संबंधी (एम टी एस) सूचकांक द्वारा मापे गये अनुसार प्रौद्योगिकी का स्तर

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूर्ण आयकर छूट इस कार्यक्रम के अंतर्गत उस कंपनी को दी जाती है जिसकी परियोजना पूर्वी तट आर्थिक कोरिडोर में स्थित है और जो संवर्धित क्रियाकलाप में भाग लेने अथवा किसी

क्रियाकलाप/ उत्पाद जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व का हो, सहित एक संवर्धित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए इच्छुक हो।

67. इस कार्यक्रम छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह संवर्धित उत्पादों तक सीमित है और इसके साथ ही उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट है अर्थात् वह उपक्रम जिसकी परियोजना पूर्वी तट आर्थिक कोरिडोर में स्थित है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह योजना प्रतिसंतुलनकारी कार्यक्रम है। हालांकि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

कार्यक्रम सं. 5 : निवेश कर छूट

घ. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

68. आवेदक ने यह अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वह कंपनी जिसे निवेश कर छूट (आई टी ए) दिया गया है, आकलन के प्रत्येक वर्ष के लिए सांविधिक आय के विरुद्ध इस छूट के निष्प्रभावी बनाने के लिए हकदार है। यह कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में योगदान करता है, में संवर्धित क्रियाकलापों/ उत्पादों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। यह विनिर्माण क्षेत्र में अनुमोदित संवर्धित उत्पादों/ क्रियाकलापों के लिए स्थानीय और विदेशी निवेशकों दोनों पर लागू होता है। प्रथम अर्हक पूंजी व्यय की तिथि से 5 वर्षों के भीतर किया गया इसके अर्हक पूंजी व्यय पर छूट दी जाती है। कंपनी आकलन के प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी सांविधिक आय का 70 प्रतिशत के विरुद्ध इस छूट को निष्प्रभावी बना सकता है। अपनी सांविधिक आय के 30 प्रतिशत पर मौजूदा कंपनी कर दर पर कर लगाया जायेगा। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है।

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 की सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी करार -मलेशिया के अनुच्छेद 25 तथा गैट 1994 का xvi:1 के अनुसरण में नई और पूर्ण अधिसूचना
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- संवर्धित क्रियाकलापों और उत्पादों जो निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पायोनियर स्टेट्स और निवेश कर छूट के विचारार्थ पात्र है की सूची

ड. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

69. निवेश कर पर छूट (आई टी ए) ऐसी किसी कंपनी को दी जा सकती है जिसका उद्देश्य संवर्धित क्रियाकलाप में भाग लेना और किसी कार्यकलाप/ उत्पाद जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व का हो, सहित संवर्धित क्रियाकलाप का उत्पादन करना है। संवर्धित क्रियाकलाप और संवर्धित उत्पाद का निर्धारण किया जाता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 (अधिनियम 327) की धारा 26 – 29 उसका साक्ष्य है।
70. यह छूट केवल पूंजीगत व्यय पर दी जाती है जो संवर्धित क्रियाकलापों अथवा संवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये गये औद्योगिक भवनों संयंत्र और मशीनरी पर किया गया हो। कंपनी से यह अपेक्षित है कि वे एम आई जी ए जो एम टी टी आई के अंतर्गत एक एजेंसी है, को आई टी ए कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रस्तुत करे। कंपनी से तब यह अपेक्षित होगा कि वह आई टी ए अवधि के आरंभ को स्थापित करे जो एम आई डी ए द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रथम पूंजी व्यय के होने पर होता हो। उसके बाद इस कार्यक्रम के साथ अनुमोदित कंपनियां कर कटौतियों के लिए दावे की गणना वाली अपनी वार्षिक कर विवरणी के साथ अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड (आई आर बी) को अपना दावा प्रस्तुत करे।
71. आई टी ए के लिए पात्रता संबंधी मानदंड मूल्यवर्धित (वी ए) प्रतिशत और एम टी एस सूचकांक द्वारा मापे गये अनुसार प्रौद्योगिकी का स्तर है।

72. वे सभी व्यक्ति/ प्रतिष्ठान जिन्होंने आवेदन किया है और पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा किया अनुमोदित नहीं किये जाते हैं। आवेदकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अनुमोदन समिति से अनुमोदित करायें। यह सहायता कर योग्य आय से कटौती है। यह छूट तब तक आगे ले जाया जा सकता है जब उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया हो।
73. कंपनी पायोनियर स्टेट्स प्राप्त करने का विकल्प ले सकता है परंतु निवेश कर छूट प्राप्त करने का विकल्प नहीं ले सकता है अथवा निवेश कर छूट प्राप्त करने का विकल्प ले सकता है लेकिन पायोनियर स्टेट्स प्राप्त करने का विकल्प नहीं ले सकता है।

च. प्राधिकारी द्वारा जांच

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 26 से 29 में निवेश कर छूट कार्यक्रम का प्रावधान है। संवर्धित क्रियाकलापों और संवर्धित उत्पादों को पूंजी छूट दी जाती है। मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना होता है। कुल पूंजी व्यय में से, पूंजी व्यय के 60 प्रतिशत छूट के रूप में दी जाती है और उसे 5 वर्षों के लिए सांविधिक आय के 70 प्रतिशत के विरुद्ध कटौती की जा सकती है। बची हुई आय पर सामान्य आयकर दर पर कर लगाया जा सकता है। रिकार्ड पर उत्तरों से यह नोट किया जाता है कि यह पात्रता पूंजी उन मानदंडों जैसे पूंजी गहन, बहुत अधिक लिकेज बनाने में सक्षम, आयात प्रतिस्थापन, उच्च मूल्यवर्धित, प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, रोजगार का सृजन, निर्माण समर्थन क्रियाकलापों के विकास में अंशदान और देश पर बचे हुए प्रभाव पर आधारित है।
75. इस कार्यक्रम में छोड़ा गया राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उपर्युक्त सूचीबद्ध मानदंडों पर आधारित है। उसके अलावा, जी ओ एम ने यह उल्लेख किया कि *“आवेदक को अभी भी अनुमोदन समिति से होकर जाने की आवश्यकता होगी। अस्वीकार किये जाने के कारण आवेदक से अलग उस स्थिति में हो सकते हैं जब वे उपर्युक्त मानदंडों तथा सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य संगत मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हों।”* इस कारण से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी कंपनी के चयन अथवा उसे अस्वीकार किये जाने के लिए सरकार द्वारा उपयोग की गई ‘कुछ अन्य संगत मानदंडों की स्थापना’ का विवेकाधिकार स्पष्ट रूप से उन उपक्रमों को विशेषता देता है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस योजना को विशिष्ट और प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में मानने का प्रस्ताव करते हैं।
76. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस योजना के तहत, जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. को आयकर पर छूट प्राप्त हुई है और इसीलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि इस जिन्यी एनर्जी स्मार्ट के लिए कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी इस योजना को विशिष्ट और प्रतिसंतुलनकारी निर्धारित करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि, यह भत्ता पूर्ण उपयोग होने तक अग्नेनीत किया जा सकता है, अतः यह योजना केवल 10 वर्षों के लिए वैध है और तदनुसार, प्राधिकारी ने इस योजना के तहत लाभ की गणना की है। यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत सहयोगी निर्यातक मै० किबिंग द्वारा लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

कार्यक्रम सं. 6 : बढ़ी हुई पूंजी छूट

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

77. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष छूट जहां पूंजी व्यय को 3 वर्षों के भीतर अर्थात् 40 प्रतिशत की आंशिक छूट और 20 प्रतिशत की वार्षिक छूट दी जाती है, को बट्टे खाते डाला गया है। पुनः निवेश छूट के लिए 15 वर्ष की पात्रता अवधि के बाद वे कंपनियां जो संवर्धित उत्पादों के निर्माण में फिर से निवेश करते हैं, बट्टे हुए पूंजी छूट के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। आवेदनों को यह प्रमाणित करते हुए एम आई डी ए से एक पत्र संलग्न कर आई आर बी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है कि ये कंपनियां संवर्धित क्रियाकलापों/ उत्पादों/ का निर्माण कर रही है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है :

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>

- iii. संवर्धित क्रियाकलापों और उत्पादों जो निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पायोनियर स्टेट्स और निवेश कर छूट के विचारार्थ पात्र है, की सूची

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

78. बड़ी हुई पूंजी छूट (ए सी ए) में तीन वर्षों अर्थात् प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत की आरंभिक छूट और 40 प्रतिशत की वार्षिक छूट को बट्टे खाते डालने के लिए छूट का प्रावधान है। यह कार्यक्रम सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है और आई आर बी वस्तुनिष्ठ मानदंडों ए सी ए मंजूर करने में लागू करता है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी नहीं होती है क्योंकि यह निर्यात शर्तों जो विशिष्ट नहीं हों से संबंधित नहीं है तथा यह सामान्य रूप से उपलब्ध है। यह सहायता बड़ा हुआ पूंजी छूट है जिसे कर योग्य आय से कटौती की जानी है। इस छूट को आगे ले जाया जा सकता है। सामान्य तौर पर बड़ी हुई पूंजी छूट (ए सी ए) के लिए पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को अवश्य पूरा करना चाहिए :

- वह आधार अवधि के दौरान व्यापार कर रहा था
- उसने आधार अवधि में अर्हक व्यय किया है
- इस परिसंपत्ति का उपयोग किसी व्यापार के उद्देश्य से किया गया था और
- आधार अवधि के अंत में, वह परिसंपत्ति का मालिक था और उस परिसंपत्ति का उपयोग नहीं हो रहा था।

79. जांच के अधीन कंपनियां उस स्थिति में ए सी ए का दावा करने के लिए पात्र होगा यदि वे इन मानदंडों को पूरा करते हैं और सरकार विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करता हो कि कौन सा प्रतिष्ठान लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में पूंजी छूट अर्थात् पुनः निवेश छूट अवधि के 15 वर्षों की समाप्ति के बाद संवर्धित क्रियाकलाप से सांविधिक आय से पूंजी व्यय की कटौती का प्रावधान है। यह कार्यक्रम तीन वर्षों के भीतर कुल पूंजी व्यय अर्थात् प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत की आरंभिक छूट और अगले दो वर्षों में 40 प्रतिशत की वार्षिक छूट हो बट्टे खाते डालने की अनुमति देता है।

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में छोड़े गये राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उपक्रम जो संवर्धित क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो इस छूट का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, और पात्रता की 15 वर्षों की अवधि की समाप्ति के कारण पुनः निवेश छूट के लिए योग्य नहीं हैं, के लिए उपलब्ध है। इस कारण से प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारी कार्यक्रम के रूप में मानते हैं।

82. इस कारण से, इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। हालांकि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं उठाया जाता है।

कार्यक्रम सं. 7 : मलेशिया के ब्राण्ड के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

83. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू स्तर पर स्थानीय ब्राण्ड उत्पादों के विज्ञापन पर किये गये खर्च पर दोहरी कटौती की अनुमति दी जाती है अर्थात् कुछ क्रियाकलापों पर किये गये खर्चों को कर योग्य लाभ के विरुद्ध दो बार अलग रखा जा सकता है। स्थानीय ब्राण्ड का स्वामित्व मलेशिया ब्राण्ड नाम के 50 प्रतिशत से अधिक पंजीकृत मालिकों के पास होना चाहिए जिसके मालिक वह कंपनी जिसे स्थानीय स्तर पर कम से कम 70 प्रतिशत मलेशियाई के स्वामित्व वाले तथा मलेशिया अथवा विदेश में पंजीकृत मलेशिया के व्यक्तियों के पास निगमित होना चाहिए। इस कटौती का दावा आकलन के वर्ष में एक कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साध्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है :

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- निर्यात की आयकर संवर्धन नियमावली, 1986

- मलेशिया का अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड नियम सं. 1/2013
- मलेशिया का विदेश व्यापार विकास निगम

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

84. मलेशिया के ब्राण्ड नाम वाली वस्तुओं का विज्ञापन निकालने में योग्य विज्ञापनों के लिए व्यय किसी व्यापार से समायोजित आय पर पहुंचने में दोहरी कटौती के लिए पात्र है। आयकर (मलेशिया ब्राण्ड नाम वस्तुओं पर विज्ञापन संबंधी व्यय के लिए कटौती) नियमावली 2002 साक्ष्य में दिया गया है। आवेदक कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे फार्म पूरा कर इस प्रोत्साहन राशि के लिए दावा करें और मलेशिया की ब्राण्ड वस्तुओं का विज्ञापन निकालने के लिए मलेशिया के भीतर हुए व्यय से संबंधित व्यापार प्रामियों की प्रतियों के साथ दावे की पुष्टि करें। मूल समर्थक दस्तावेज कंपनी द्वारा आई आर बी द्वारा लेखा परीक्षा के उद्देश्यों से अवश्य रखा जाना चाहिए। यह दावा उस राजकोषीय वर्ष (आधार अवधि) जिसमें व्यय किया गया है, के लिए वार्षिक कर विवरणी में किया जा सकता है। जांच के अधीन कंपनियां इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र होंगे, यदि वे इन मानदंडों को पूरा करते हैं। यह सहायता कर योग्य आय से कटौती है। यह कटौती आगे ले जाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाया गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को आयकर (मलेशिया ब्राण्ड नाम की वस्तुओं पर विज्ञापन संबंधी व्यय के लिए कटौती) नियमावली, 2002 द्वारा शासित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मलेशिया के ब्राण्ड का विज्ञापन निकालने में हुआ व्यय व्यापार आय से दोहरी कटौती के लिए पात्र है। इस दोहरी कटौती के लिए योग्य बनने हेतु, कंपनी के पास मलेशिया की 70 प्रतिशत इक्विटी अवश्य होनी चाहिए और ब्राण्ड नाम निर्यात गुणवत्ता की वस्तु होनी चाहिए।
86. इस कार्यक्रम में छोड़े गये राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उस उपक्रम जो मलेशिया के ब्राण्ड के विज्ञापन पर खर्च करते हैं, के लिए उपलब्ध है। इस कारण से प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारी कार्यक्रम के रूप में नोट किया जाता है। हालांकि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ सहयोगी उत्पादक द्वारा नहीं लिया जाता है।

कार्यक्रम सं. 8 : आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रा बैक

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

87. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जिसका भुगतान किया गया है, को वापस लेने का दावा उस स्थिति में निर्माता द्वारा किया जा सकता है यदि कलपुर्जो, कच्चे माल और पैकेजिंग सामग्री का उपयोग इन अधिनियमों में निर्धारित शर्तों के आधार पर एक वर्ष के भीतर निर्यात के लिए वस्तुओं के निर्माण किया जाता है। इस कार्यक्रम के मौजूद होने के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है :

- सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 99
- बिक्री कर अधिनियम 1972 की धारा 29
- उत्पाद अधिनियम 1977 की धारा 19

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

88. कार्यक्रम में आयात किये गये वस्तुओं जिन्हें बाद में फिर से निर्यात किया जाता है, पर शुल्क आयात वापस लेने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय नहीं है क्योंकि यह एस सी एम करार के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों (सब्सिडी की परिभाषा को छोड़कर) के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाया गया है। कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे रॉयल मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग (आर एम सी डी) को सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 93, 95, 99 के अंतर्गत ड्रा बैक के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। उसके बाद कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे आयात/ निर्यात की घोषणा का प्रमाण और संबंधित आयात/ निर्यात दस्तावेज उपलब्ध करायें। आर एम सी डी धन वापसी किये जाने के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन करें अथवा इसका अनुमोदन नहीं करें।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन रॉयल मलेशियन सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम उन वस्तुओं पर आयात शुल्क की वापसी का प्रावधान करता है जिन्हें उसके बाद पुनः निर्यात किया जाता है। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि मलेशिया की सरकार ने शुल्क ड्रा बैक का प्रावधान करने के लिए तंत्र के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इस कारण से, इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों, दोनों ने इस लाभ को प्राप्त किया है।

कार्यक्रम सं. 9 : बिक्री कर छूट**क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

90. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि व्यापार करने की लागत को कम करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बिक्री कर से छूट दी है। इस कार्यक्रम का अनुमोदन और संचालन आर एम सी डी द्वारा किया जाता है और इसे दिनांक 01.09.2018 को स्थापित किया गया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस योजना के अंतर्गत आर एम 100,000 से कम के वार्षिक बिक्री कारोबार वाले निर्माताओं को लाइसेंस से छूट दी गई है और इस प्रकार से इन्हें उनके उत्पादन पर बिक्री कर का भुगतान करने से छूट दी जाती है। हालांकि, ये निर्माता लाइसेंस दिये जाने और उसके बजाय अपने इनपुट्स पर बिक्री कर छूट प्राप्त करने का विकल्प ले सकते हैं।

ख. मलेशिया सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

91. इस कार्यक्रम में बिक्री कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति और निर्माता हैं जिन्हें बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट दिया गया व्यक्ति) आदेश 2018 के अंतर्गत स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं की आयात पर खरीद पर बिक्री कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। छूटों का वर्गीकरण नीचे दिये गये अनुसार तीन (3) अनुसूचियों में किया गया है :

- I. अनुसूची क – उन व्यक्तियों का वर्ग जो मानदंड और शर्तों को पूरा करते हैं;
- II. अनुसूची ख – गैर कर योग्य वस्तु के निर्माण क्रियाकलापों में एक मात्र रूप से और प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये जाने वाले पेट्रोलियम को छोड़कर सभी वस्तुओं के अधिग्रहण पर कर की विशिष्ट गैर कर योग्य वस्तु छूट का निर्माता;
- III. अनुसूची ग – कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में एक मात्र रूप से और प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये जाने वाले कच्ची सामग्री, संघटकों और पैकेजिंग सामग्री के अधिग्रहण पर कर योग्य वस्तुओं पंजीकृत निर्माता को कर से छूट।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

92. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन रॉयल मलेशियन सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में बिक्री कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है जो पात्रता के मानदंडों और शर्तों को पूरा करते हों, जिसे सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में उन निर्यातकों को देय बिक्री कर जो अन्य प्रकार से देय हो, से छूट का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उपक्रम के लिए उपलब्ध है, जो पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 10 : निर्माण कार्यकलापों की आउट सोर्सिंग करने के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट**क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

93. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापार करने की लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट कम से कम 60 प्रतिशत मलेशियाई इक्विटी वाले मलेशियाई ब्राण्ड जो निर्माण के क्रियाकलाप को आउट सोर्स करते, को दिया जाता है। तैयार उत्पादों के

निर्माण में स्थानीय स्तर पर/ विदेश में उनके संविदागत निर्माताओं द्वारा तैयार उत्पादों के निर्माण में उपयोग किये गये कच्चे माल और संघटकों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट तथा तैयार उत्पादों का निर्माण करने के लिए उनके स्थानीय संविदागत निर्माताओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले विदेश में उनके संविदागत निर्माताओं से अर्ध तैयार वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट उपलब्ध है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, घरेलू उद्योग ने एम आई डी ए की प्रशुल्क संबंधित प्रोत्साहन राशि पर विश्वास किया है।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

94. यह कार्यक्रम निर्माण क्रियाकलापों को आउटसोर्स करने के लिए कच्चे माल, संघटकों और / अथवा अर्ध तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। शुल्क से छूट संबंधी एक समिति सदस्यों के साथ बनाई गई है जिसमें एम ओ एफ, एम आई टी आई, आर एम सी डी, एम आई डी ए और आई पी सी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) साक्ष्य के रूप में दिया जाता है। सभी निर्माता जो पात्रता के मानदंड को पूरा करते हैं, को इस योजना से लाभ मिलेगा और प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाया गया है।

95. यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय नहीं है क्योंकि यह एस सी एम करार के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों (सब्सिडी की परिभाषा को छोड़कर) के अनुरूप है।

96. छूट के लिए योग्य होने के लिए,

- आयात किये गये कच्चे माल और संघटकों जिसका उपयोग शून्य आयात शुल्क के साथ तैयार उत्पादों का निर्माण करने के लिए किया जाता है।
- अर्ध-तैयार उत्पाद जिसका आयात विदेश में संविदात्मक निर्माताओं से किया जाता है और जिसका उपयोग स्थानीय संविदागत निर्माताओं द्वारा तैयार उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) इस कार्यक्रम के संचालन को शासित करता है। यह कार्यक्रम मलेशिया के निवेश विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। यह कार्यक्रम निर्माण क्रियाकलापों का आउटसोर्स करने के लिए कच्चे माल, संघटक और/ अथवा अर्ध-तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। कच्चे माल जिसका उपयोग निर्यात किये गये उत्पाद के उत्पादन में किया जाता है और अर्ध तैयार वस्तु जिसका आयात स्थानीय निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए संविदागत निर्माताओं से किया जाता है, इस छूट के लिए योग्य हैं। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 11 : कलपुर्जे और उपभोग्य सामग्री पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

98. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये जाने वाले कलपुर्जे और उपभोग्य सामग्रियों पर कर नहीं लगाने की सरकार की नीति है जहां आयात शुल्क शून्य है और जिसका उत्पादन स्थानीय स्तर पर नहीं किया जाता है, कर छूट – छोड़ा गया राजस्व दिया जाता है जहां आयात किये गये कलपुर्जे और उपभोग्य सामग्री कर योग्य हैं और परंतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। आयात शुल्क और बिक्री कर पर पूरी छूट दी जाती है। कार्यक्रम के मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने एम आई डी ए की प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहन राशि पर विश्वास किया है।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

99. इस कार्यक्रम में योग्य निर्माताओं को कलपुर्जे और उपभोग्य सामग्री पर आयात शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। एम आई डी ए निर्माता की स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक पत्र जारी करता है। इस कार्यक्रम में निर्माण क्रियाकलापों को आउटसोर्स करने के लिए कच्ची सामग्री, संघटक और/ अथवा अर्ध तैयार उत्पादों पर आयात

शुल्क से छूट का मूल्यांकन शामिल था। शुल्क से छूट संबंधी एक समिति सदस्यों के साथ बनाई गई है जिसमें एम ओ एफ, एम आई टी आई, आर एम सी डी, एम आई डी ए और आई पी सी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) साक्ष्य के रूप में दिया जाता है। सभी निर्माता जो पात्रता के मानदंड को पूरा करते हैं, को इस योजना से लाभ मिलेगा और प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय नहीं है क्योंकि यह एस सी एम करार के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों (सब्सिडी की परिषाषा को छोड़कर) के अनुरूप है। इस कार्यक्रम को शासित करने वाले नियम और विनियम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 में निहित है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 द्वारा शासित होता है। यह कलपुर्जे और उपभोज्य सामग्री पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। यह कार्यक्रम मलेशिया के निवेश विकास प्राधिकरण (एम आई डी ए) द्वारा शासित होता है। यह कार्यक्रम छोड़े गए राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है तथा उसके माध्यम से लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ मानदंडों के पूरा होने के अध्यक्षीन है। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 12 : मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

101. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण तथा सानीय स्तर पर उत्पादन न किये गये मशीनरी और उपकरण पर कर नहीं लगाने की सरकार की नीति है, कर से छूट – छोड़ा गया राजस्व दिया जाता है जहां आयात की मशीनरी और उपकरण कर योग्य है लेकिन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। पूरी छूट आयात शुल्क और बिक्री कर पर दी जाती है। स्थानीय स्तर पर खरीदी गई मशीनरी और उपकरण के लिए पूरी छूट बिक्री कर पर दी जाती है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने एम आई टी ए की प्रशुल्क संबंधित प्रोत्साहन राशि पर विश्वास किया है।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

102. इस कार्यक्रम में योग्य निर्माता को मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। एम आई डी ए निर्माता की स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक पत्र जारी करता है। निर्माता छूट के लिए दावा करते हैं। इस छूट के लिए योग्य होने के वास्ते, मशीनरी और उपकरण अनुमोदित निर्माता के परिसर में तैयार उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में नया, उपयोग न किये गये और प्रत्यक्ष रूप से उपयोग की गई होनी चाहिए। सभी निर्माता जो पात्रता के मानदंड को पूरा करते हैं, को इस योजना से लाभ मिलेगा और एम आई डी ए अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय नहीं है क्योंकि यह एस सी एम करार के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों (सब्सिडी की परिषाषा को छोड़कर) के अनुरूप है। इस कार्यक्रम को शासित करने वाले नियम और विनियम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 में निहित है।

103. जांच के अधीन कंपनियों पात्रता के मानदंडों के अनुरूप थी जो एम आई डी ए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

104. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 द्वारा शासित होता है। यह योग्य निर्माता को नई और उपयोग न की गई मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। जांच की अवधि के दौरान बिक्री कर से कोई छूट नहीं है क्योंकि बिक्री कर अधिनियम 1972 [अधिनियम 64] वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2014 [अधिनियम 762] जो एक जुलाई 2014 को लागू किया गया, के अधिनियमन के साथ समाप्त हो गया था। इस कार्यक्रम का संचालन मलेशिया के निवेश विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
105. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके माध्यम से लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उपक्रमों तक सीमित है जो निर्माण

क्रियाकलाप के लिए नई मशीनरी और उपकरण का आयात करते हैं। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 13 : कच्चे माल / संघटकों पर आयात शुल्क से छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

106. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कच्चे माल/ संघटकों पर आयात शुल्क से पूरी छूट सामान्य तौर पर दी जाती है, बशर्ते कि कच्ची सामग्री/ संघटकों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है अथवा यदि स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाता है तब वे स्वीकार्य गुणवत्ता और कीमत के नहीं हैं। यह इस तथ्य पर विचार किये बिना है कि क्या तैयार उत्पाद घरेलू बाजार अथवा निर्यात के उद्देश्य से किया गया है। पात्रता यह है कि उन कमियों को निर्माण क्रियाकलापों में शामिल होना चाहिए।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 द्वारा शासित होता है। इसमें कच्ची सामग्री और संघटकों पर आयात शुल्क से छूट का प्रावधान है। शुल्क से छूट संबंधी समिति एम ओ एफ, एम आई टी आई, आर एम सी डी और एम आई डी ए के प्रतिनिधियों वाले सदस्यों के साथ स्थापित की गई है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय नहीं है क्योंकि यह एस सी एम करार के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों (सब्सिडी की परिषाषा को छोड़कर) के अनुरूप है। जांच के अधीन कंपनियां पात्रता के मानदंड के अनुरूप थीं जो एम आई डी ए के क्षेत्राधिकार के अधीन है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम में कच्ची सामग्री/ संघटक जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं, पर योग्य निर्माता को आयात शुल्क से छूट का प्रावधान है।
109. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके माध्यम से लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उपक्रमों तक सीमित है जो कच्चे माल स्थानीय स्तर उपलब्ध नहीं हैं, उसका उपयोग करते हैं। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 14 : निर्यातों के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

110. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर में कटौती उन व्यय के लिए निर्यातकों को दी जाती है जिनका उद्देश्य निर्यात का संवर्धन करना और विदेशी वस्तुओं की आपूर्ति करना, सेवाओं के संवर्धन के उद्देश्य से विदेश में कार्यालय बनाये रखने की लागत, सेवाओं के निर्यात के संवर्धन के लिए मलेशिया से बाहर किसी मीडिया में प्रचार और विज्ञापन तथा 139 निर्यात बाजार अनुसंधान के पृष्ठ 59 के अनुसार संवर्धन करना है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है।

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 41
- निर्यात का आयकर संवर्धन नियमावली 1986
- डब्ल्यू टी/ टी पी आर/ एस/ 292
- डब्ल्यू टी ओ – अधिसूचना-जी/ एस सी एम/ एन/3/ एम वाई एस-1995
- मलेशिया से यू एस कार्बन स्टील वॉयर रोड

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

111. यह कार्यक्रम जो आयकर (निर्यात का संवर्धन) नियमावली 1986 के नियम 4(2) के साथ पठित निवेश संवर्धन अधिनियम (पी आई ए) 1986 (अधिनियम 327) की धारा 41 के अंतर्गत दिया गया है। मलेशिया के निर्मित वस्तुओं अथवा कृषि से संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए अवसर की तलाश करने, अथवा मांग को सृजित करने अथवा उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अथवा प्रधान रूप से आधार अवधि में किये गये व्यय के संबंध में सभी रेजिडेंट ट्रेडिंग, निर्माण अथवा कृषि से संबंधित कंपनियों पर लागू है। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र पात्र निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों और न कि उनकी वस्तु के निर्यात कार्य निष्पादन अथवा घरेलू वस्तु के उपयोग पर मलेशिया की सहयोगी कंपनियों के भाग लेने पर है। उन सभी प्रतिष्ठानों जो पात्रता के मानदंड को पूरा कर सकते हैं इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं। इस जांच के अधीन कंपनियां कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र होंगे यदि वे मानदंड को पूरा करते हों। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाया गया है। इस कटौती को आगे ले जाया जा सकता है।
112. आवेदक कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे फार्म पूरा कर इस प्रोत्साहन राशि के लिए दावा करें और विज्ञापन, यात्रा और निर्यात संवर्धन से संबंधित व्यय के लिए विदेश में किये गये खर्चों से संबंधित व्यापार प्राप्तियों के साथ दावे की पुष्टि करें। मूल समर्थक दस्तावेज कंपनी द्वारा आई आर बी द्वारा लेखा परीक्षा के उद्देश्यों से अवश्य रखा जाना चाहिए।
113. किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने की स्थिति में कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे माट्रेड से अनुमोदन पत्र प्राप्त करें।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम निवेश संवर्धन अधिनियम (पी आई ए) 1986 (अधिनियम 327) की धारा 41 और आयकर (निर्यात का संवर्धन) नियमावली 1986 के नियम 4(2) द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण, व्यापार और कृषि संबंधित क्रियाकलापों में शामिल उपक्रम को आय से दोहरी कटौती निर्यात के संवर्धन के लिए किये गये खर्च के लिए उपलब्ध है। निर्यातों के लिए मांग में वृद्धि करने हेतु कंपनी द्वारा किये गये खर्च की अनुमति दोहरी कटौती के लिए दी जाती है।
115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके माध्यम से लाभ दिया जाता है। यह लाभ दोहरी कटौती के बाद भुगतान किये गये आयकर की राशि और आयकर की उस राशि जो इस प्रकार की दोहरी कटौती के अभाव में भुगतान योग्य हुई होती, के बीच अंतर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात कार्य निष्पादन पर निर्भर है और यह निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप में शामिल उपक्रम तक सीमित है। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया गया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 15 : निर्यातों कारगो के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती**क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

116. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यातक निर्यात कारगो पर प्रीमियम बीमा के लिए कर योग्य आय से कटौती और कर बीमा के लिए क्षेत्रीय कर कटौती कर सकता है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है
- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
 - निर्यात का आयकर संवर्धन नियमावली 1986
 - कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन
 - अन्य प्राधिकारी के जांच परिणाम

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

117. उस व्यक्ति को दोहरी कटौती की अनुमति दी जाती है जो मलेशिया से निर्यात किये गये कारगो की बीमा पर प्रीमियम का भुगतान करता है, बतर्शे की इन जोखिम का बीमा मलेशिया में निगमित बीमा कंपनी के साथ किया गया हो। भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम 1967 की धारा 33 के अनुसार होना चाहिए। यह सहायता कर योग्य आय से कटौती है। कटौती को आगे ले जाया जा सकता है।
118. इस कार्यक्रम को 2016 से समाप्त कर दिया गया है। आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) (निरस्तीकरण) नियमावली 2012 साक्ष्य के रूप में दिया जाता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) नियमावली 1995 द्वारा शासित किया गया था और आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) (निरस्तीकरण) नियमावली 2012 के द्वारा 2016 से निरस्त कर दिया गया है।

कार्यक्रम सं. 16 : बड़े हुए निर्यात के लिए छूट**क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

120. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह कार्यक्रम आयकर अधिनियम 1967 की धारा 154(1) के अंतर्गत तथा आयकर (बड़े हुए निर्यातों के लिए छूट) नियमावली 1999 के नियम 3 और (आयकर बड़े हुए निर्यातों के लिए छूट) संशोधन नियमावली 2003 के अंतर्गत कंपनियों को दी गई कर प्रोत्साहन के रूप में है। निर्यातक बड़े हुए निर्यातों के लिए कर योग्य आय से 70 प्रतिशत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही यदि उक्त छूट का उपयोग अर्जित वर्ष के दौरान नहीं किया जाता है तब उसे अगले आकलन वर्ष से अग्रेषित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है :

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- आयकर अधिनियम 1967
- सीमा शुल्क अधिनियम 1967
- बिक्री कर अधिनियम 1972
- उत्पाद शुल्क अधिनियम 1976
- फ्री जोन अधिनियम 1990

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

121. कोई भी रेजिडेंट निर्माता कंपनी अथवा कृषि से संबंधित कंपनी जो निर्मित उत्पादों अथवा कृषि से संबंधित उत्पादों का निर्यात करता है, को बड़े हुए निर्यातों के लिए छूट दी जानी है। यह सहायता कर योग्य से आय से छूट है। यह छूट आगे ले जाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाया गया है। आयकर (बड़े हुए निर्यातों के लिए छूट) नियमावली 1999 साक्ष्य में दिया गया है। इस नियमावली में निम्नलिखित परिभाषा है :

- क. कृषि से संबंधित उत्पाद का अभिप्राय ताजा और सूखे हुए फलों, ताजा और सूखे हुए फूलों, सजावटी पौधे तथा सजावटी मछली, फ्रोजन कच्चा प्राउन अथवा स्मिप, फ्रोजन कूड और पील्ड प्राउन और फ्रोजन कच्चा पशु मछली और स्विड से है;
- ख. निर्यात का अभिप्राय फ्री इंडस्ट्रीयल जॉन और लाइसेंसयुक्त मेनिफेक्चरिंग वेयरहाउसेस को की गई बिक्री को शामिल नहीं करते हुए प्रत्यक्ष निर्यात से है; 139 का पृष्ठ संख्या 62
- ग. मूल्यवर्धित का अभिप्राय कच्चे माल की कुल लागत से कम एक्स-फैक्ट्री कीमत पर वस्तुओं की बिक्री कीमत से है; और

- घ. बड़े हुए निर्यात के मूल्य का अभिप्राय आधार अवधि में निर्यात किये गये उत्पादों के फ्री-ऑन-बोर्ड (एफ ओ बी) मूल्य तथा तत्काल पूर्व की अवधि का फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के अंतर से है। एफ ओ बी मूल्य में धारा शुल्क और बीमा लागत शामिल नहीं होगी।
122. इस छूट का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :
- क. निर्मित उत्पाद
- कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यात जहां निर्यात किये गये उत्पाद में मूल्यवर्धित का कम से कम 30 प्रतिशत प्राप्त किया गया हो, के मूल्य का 10 प्रतिशत;
 - कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यात जहां निर्यात किये गये उत्पाद में मूल्यवर्धित का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त किया गया हो, के मूल्य का 15 प्रतिशत।
- ख. कृषि से संबंधित उत्पाद
- कंपनी द्वारा कृषि से संबंधित उत्पाद के बड़े हुए निर्यातों के मूल्य का 10 प्रतिशत।
123. यह छूट कंपनी की सांविधिक व्यापार आय के सत्तर प्रतिशत के विरुद्ध दिया जायेगा। कोई भी निर्यात छूट इनसे अलग नहीं रखा गया है, को आने वाले वर्षों में सांविधिक आय के सत्तर प्रतिशत के विरुद्ध अलग रखे जाने के लिए आगे ले जाया जायेगा।
- ग. प्राधिकारी द्वारा जांच
124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रेजिडेंट निर्माता कंपनी अथवा कृषि से संबंधित कंपनी जो निर्मित उत्पादों अथवा कृषि से संबंधित उत्पाद का निर्यात करता है, को बड़े हुए निर्यातों के लिए छूट दी जानी होती है। यह छूट कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यातों के मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत के समतुल्य है। यह छूट सांविधिक व्यापार आय के 70 प्रतिशत के विरुद्ध दिया जायेगा।
125. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व जो अन्य प्रकार से देय हैं, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह योजना प्रतिसंतुलनकारी योजना है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- कार्यक्रम सं. 17 : टैरिफ संबंधित प्रोत्साहन**
- क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध
126. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कच्चे माल/ संघटकों पर आयात शुल्क से पूरी छूट सामान्य तौर पर दी जाती है, बशर्ते कि कच्ची सामग्री/ संघटकों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है अथवा यदि स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाता है तब वे स्वीकार्य गुणवत्ता और कीमत के नहीं हैं। यह इस तथ्य पर विचार किये बिना है कि क्या तैयार उत्पाद घरेलू बाजार अथवा निर्यात के उद्देश्य से किया गया है। पात्रता यह है कि उन कमियों को निर्माण क्रियाकलापों में शामिल होना चाहिए।
- ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध
127. यह सब्सिडी कार्यक्रम वही है जैसा कि कार्यक्रम संख्या 13 है (निर्यातों के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती)।
- ग. प्राधिकारी द्वारा जांच
128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम का संचालन सीमा शुल्क महानिदेशक द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में योग्य निर्माता को कच्चे माल/ संघटक पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। यह छूट तब दी जाती है जब कच्चा माल/ संघटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो और अनुमोदित निर्माता के परिसर में तैयार उत्पाद के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया गया हो।
129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम छोड़े गए राजस्व, जो अन्य प्रकार से देय हो, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है। यह कार्यक्रम शुल्क भुगतान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमति दिये जाने के योग्य नहीं है क्योंकि यह

सभी प्रकार के निर्माण क्रियाकलापों में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल के लिए और न कि निर्यात किये गये उत्पादों में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल के लिए जिसे सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ख(ख) और एस सी एन करार के फुटनोट 1 में दिया गया है, के लिए आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उस उपक्रम तक सीमित है जो कच्चे माल का उपयोग करता है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। इस कारण से, इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 18 : संयंत्र और मशीनरी के लिए छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

130. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पूंजी छूट व्यापार के लिए निर्धारित परिसंपत्तियों के टूट फूट के लिए राहत देने हेतु है। इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि व्यय पूंजीगत प्रकृति का होना चाहिए और उसका उपयोग व्यापार के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपक्रम, फर्नीचर, फिटिंग्स, मोटर वाहन आदि जैसे व्यापार में परिसंपत्तियों की लागत का उपयोग किया जाता है।
131. इस योजना के अंतर्गत आरंभिक छूट उस समय परिसंपत्ति की लागत के आधार पर 20 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है जब पूंजीगत व्यय किया जाता हो। वार्षिक छूट परिसंपत्ति की मूल लागत के आधार पर प्रत्येक वर्ष समान दर पर दी जाती है और तदनुसार वह अलग अलग होती है।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

132. पूंजी छूट (सी ए) मशीनरी अथवा संयंत्र पर योग्य व्यय होने के लिए कटौती है। सी ए केवल बिजनेस स्रोत अथवा उस व्यक्ति के संबंध में दिया जाता है जो योग्य व्यय करता हो और इस छूट का दावा करने के लिए पात्र हो। सी ए की गणना एक आकलन वर्ष के लिए की जाती है और इसकी कटौती सांविधिक आय तय करने में व्यापार से समायोजित आय से की जाती है। यह छूट की निर्धारित दर के आधार पर स्टेट लाइन पद्धति पर गणना की जाती है। सभी कंपनियां जो पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं सी ए का दावा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है और आई आर बी वस्तुनिष्ठ मानदंडों को सी ए का अनुमोदन करने में लागू करता है। इस प्रकार से यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी नहीं होता है क्योंकि यह निर्यात शर्तों जो विशिष्ट न हो से संबंधित नहीं है और यह सामान्य तौर पर उपलब्ध है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन मलेशिया के अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड द्वारा किया जाता है। अभिलेख के अनुसार वे कंपनियां/ व्यक्ति जो व्यापार कर रहे हैं अथवा संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी व्यय करते हैं, का उपयोग उस व्यापार में अवश्य किया जाना चाहिए और आधार अवधि के अंत में संयंत्र और मशीनरी का मालिक इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकता है। यह लाभ कंपनी द्वारा दावा की गई अतिरिक्त पूंजी छूट है। पूंजी छूट की सीमा तक, लागत अधिक होगी, लाभ कम होगा। इस कारण से कर का आपतन कमतर होगा। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह पात्रता संबंधी कुछ मानदंडों को पूरा करने पर ही और न कि सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह योजना प्रतिसंतुलनकारी योजना है।
134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूंजी छूट मशीनरी अथवा संयंत्र पर योग्य व्यय के लिए कटौती प्रदान करता है। यह उस उपक्रम को दिया जाता है जो योग्य व्यय करता है। इसकी गणना एक आकलन वर्ष के लिए की जाती है और इसे सांविधिक आय तय करने में व्यापार से समायोजित आय से कटौती की जाती है। इसकी गणना छूट की निर्धारित दर के आधार पर स्टेट लाइन पद्धति पर की जाती है।
135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ प्रदान नहीं करता है क्योंकि यह सभी उपक्रम के लिए स्टेट लाइन पद्धति के अनुसार संयंत्र और मशीनरी पर ह्रास की सामान्य कटौती का प्रावधान करता है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 19 : निर्यात क्रेडिट पुनः वित्त पोषण**क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

136. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यह योजना निर्यात क्रेडिट के रूप में है। यह एक अल्पकालीन और लदान के पश्चात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातकों को वित्तपोषण है। निर्यातक अपने निर्यात आदेश के मूल्य का 95 प्रतिशत तक वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

137. निर्यात क्रेडिट पुनः वित्तपोषण (ई सी आर) योजना का उपयोग लगान पूर्व और लगान पश्चात वित्तपोषण के रूप में मलेशिया के निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए किया जाता है। ई सी आर मलेशिया में निगमित और निर्यातक क्रियाकलाप में शामिल सभी कंपनियों को उपलब्ध है।

138. ई सी आर योजना की प्रचालन संबंधी प्रक्रिया ई सी आर दिशानिर्देश द्वारा शासित होती है जिसे एग्जिम बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

139. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन मलेशिया के निर्यात आयात बैंक (एग्जिम बैंक) द्वारा किया जाता है। निर्यात क्रेडिट पुनः वित्तपोषण कार्यक्रम उत्पादों के निर्यात का वित्तपोषण करने के लिए उपक्रम को ऋण प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बैंक द्वारा जारी निर्यात क्रेडिट वित्तपोषण दिशानिर्देश द्वारा शासित किया जाता है जो इस कार्यक्रम के उद्देश्य से उत्पाद की पात्रता सहित पात्रता के मानदंडों (उत्पादों की नकारात्मक सूची जिसे बैंक द्वारा रखा जाता है) का प्रावधान करता है। सब्सिडी कार्यक्रम किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है और यह मलेशिया में निगमित सभी कंपनियों को उपलब्ध है।

140. एग्जिम बैंक सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्था है। यह वित्त मंत्री निगमित (इंक) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक एजेंसी के रूप में, एग्जिम बैंक की अधिदेशित भूमिका का उल्लेख सरकार द्वारा किया गया है। यह वस्तुओं के निर्यात और आयात, गैर परंपरागत बाजारों पर बल देते हुए सेवाओं और विदेशी परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने और सहयोग करने, निर्यात ऋण बीमा सेवाएं, निर्यात वित्तपोषण बीमा, विदेशी निवेश बीमा और गारंटी सुविधाएं देने के लिए ऋण सुविधाएं देता है।

141. प्राधिकारी इस बात का निर्धारण करते हैं कि एग्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है क्योंकि यह सरकार के स्वामित्व में है और इसे सरकारी प्राधिकारी द्वारा सरकारी कार्यों को करने के लिए अधिकार दिया गया है। तदनुसार, एग्जिम बैंक द्वारा दिया गया ऋण किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान है। ग्राही को दिया गया लाभ एग्जिम बैंक द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की राशि और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण के द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की राशि के बीच अंतर के रूप में है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर है। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया गया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्थी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 20 : क्रेता क्रेडिट गारंटी**क. घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

142. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी क्रेताओं को एग्जिम बैंक की बिना शर्त और रद्द न की जाने वाली गारंटी के द्वारा समर्थन दिया जाता है जिसमें ऋण देने वाले बैंक को बकाया राशि और ब्याज की राशि के पुनर्भुगतान की गारंटी दी जाती है। मलेशिया के निर्यातक बी सी जी का उपयोग करते हुए लेंडर के पास दीर्घ अवधि वित्त पोषण सुरक्षित करने के लिए विदेशी क्रेता को मदद कर सकते हैं। मलेशिया के निर्यातक को भुगतान की जाती है मानो उनके पास नकद राशि का ठेका है जबकि विदेशी क्रेता के पास उस ऋणदाता जिसको एग्जिम बैंक की गारंटी के द्वारा समर्थन दिया जाता है, से प्रतिभूतित वित्त पोषण के माध्यम से संविदा का भुगतान करने के लिए समय होता है। दिया गया साक्ष्य एग्जिम बैंक द्वारा क्रेता क्रेडिट बीमा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण की राशि नकद राशि की संविदा के संबंध में आर एम 2एमएन का न्यूनतम मूल्य होना ही चाहिए और पुनर्भुगतान की अवधि कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष होनी चाहिए।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

143. बैंकर ट्रेड क्रेडिट ताकाफुल (बी टी सी टी) एक क्रेडिट ताकाफुल है जिसे विदेशी क्रेताओं द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में 139 की पृष्ठ संख्या 45 से उत्पन्न उनके निर्यातकों द्वारा भुगतान न किये जाने के खतरे के विरुद्ध इस्लामिक वित्त संस्थाओं (आई एफ आई) का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। यह व्यापार की शर्तों जैसे खुले खाता, दस्तावेजी संग्रह और/ अथवा क्रेडिट पत्र पर व्यापार वित्त सुविधा के विरुद्ध उपलब्ध है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन एग्जिम बैंक द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम को शासित करने के लिए कोई कानून अथवा कानूनी विनियम नहीं है।
145. प्राधिकारी ने पहले ही इस बात का निर्धारण किया है कि एग्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एग्जिम बैंक विदेशी क्रेताओं से होने वाले चूक के कारण अपने निर्यातकों (ग्राहकों) द्वारा भुगतान न करने के खतरे के विरुद्ध वित्तीय संस्थाओं को गारंटी देता है। यह कार्यक्रम निधियों के संभावित प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान करता है और उसके माध्यम से लाभ दिया जाता है। ग्राही को दिया गया लाभ (i) एग्जिम बैंक से गारंटी का लाभ उठाने के लिए ग्राही द्वारा भुगतान किया गया शुल्क और वह शुल्क जिसका भुगतान किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को इस प्रकार की गारंटी के लिए किया गया होता, के बीच अंतर और (ii) प्रश्नगत ऋण देने वाले बैंक को ऋण के पुनर्भुगतान (एग्जिम बैंक की गारंटी के कारण सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर से कम होने के कारण) और वह राशि जो इस प्रकार की गारंटी के अभाव में भुगतान योग्य हुई होती (सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर के आधार पर) के बीच अंतर के समतुल्य है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर करता है। इस कारण से इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में नोट किया जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों किबिंग और जिन्यी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम सं. 21 : लाइसेंस मेनिफेक्चरिंग वेयरहाउस (एल एम डब्ल्यू)**क. घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

146. इस कार्यक्रम को निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर तथा मंत्री समूह के उत्तर के माध्यम से प्रकट किया गया था। घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि क्योंकि यह योजना शुल्क से छूट का लाभ देता है जिसे कंपनी के बुक्स में रिकार्ड नहीं किया गया है और इस कारण से उचित दस्तावेज और सूचना मलेशिया की सरकार और जिन्यी स्मार्ट से मंगाई जानी चाहिए। यदि उसमें कोई अंतर हो, तब इस योजना के उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए और प्राधिकारी को इस कार्यक्रम के लिए परिकलित सब्सिडी शुल्क के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों का उपयोग करना चाहिए।

ख. मलेशिया की सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

147. सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 65 में कर योग्य वस्तुओं के भंडारण का प्रावधान है और सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 65क में निर्माण प्रक्रिया जिसे लाइसेंस वेयरहाउसिस में किया जाना होता है, का प्रावधान है। लाइसेंस मेनिफेक्चर्स वेयरहाउस (एल एम डब्ल्यू) को प्रधान सीमा शुल्क क्षेत्र (पी सी ए) अर्थात् एक मुक्त जॉन, लबूआन और लांगकावी को छोड़कर मलेशिया के किसी भाग में स्थापित किया जा सकता है। उसमें निर्माण क्रियाकलाप सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अधीन होता है।
148. सीमा शुल्कों और बिक्री कर से छूट उन सभी कच्चे माल/ संघटकों को दिया जाता है जिसका अनुमोदित उत्पादों की निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसमें इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है कि क्या तैयार उत्पादों को निर्यात अथवा स्थानीय बाजार के लिए तैयार उत्पादों तक निर्माण के आरंभिक चरण से बनाया गया है। इसमें पैकेजिंग सामग्री और केसिंग शामिल है। इसके अलावा अनुमोदित अंतिम उत्पादों की प्रत्यक्ष निर्माण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपकरण ही सीमा शुल्क और बिक्री कर के छूट के लिए पात्र है।

149. एल एम डब्ल्यू में निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये जाने वाले मशीनरी/ उपकरण को इस तथ्य पर विचार किये बिना आयात शुल्क/ बिक्री कर से छूट दी जाती है की क्या तैयार उत्पाद निर्यात अथवा स्थानीय बाजार के लिए बनाये गये हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

150. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन रॉयल मेलेशियाई सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम को सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 65 और धारा 65क द्वारा शासित किया जाता है।

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट सभी कच्ची सामग्री/ संघटकों को दी जाती है जिसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से अनुमोदित उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। सहयोग करने वाले निर्यातक और मंत्रि समूह के उत्तरों से यह नोट किया जाता है कि अनुमोदित अंतिम उत्पादों की प्रत्यक्ष निर्माण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपकरण ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट के लिए पात्र है। इसके अलावा, एल एम डब्ल्यू में निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये जाने वाले मशीनरी/ उपकरण को आयात शुल्क/ बिक्री कर से छूट दी जाती है।

152. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम अनुमोदित उत्पादों की निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये जाने वाले सभी कच्चे माल/ संघटकों पर सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट देता है। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उत्पाद/ उपक्रम पर निर्भर करता है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह योजना प्रतिसंतुलनकारी योजना है।

153. जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ने भी इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है और इसीलिए, प्राधिकारी इस कार्यक्रम के तहत जिन्यी के लिए लाभ की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि किबिंग ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

मलेशिया के उत्पादक/ निर्यातक

जिन्यी स्मार्ट एनर्जी (जिन्यी)

154. जिन्यी मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं का सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक है और यह इन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत को प्रत्यक्ष रूप से करता है। जिन्यी ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा लाभ उठाये गये सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।

155. प्राधिकारी ने दोनों कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया है और नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है, जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त हुआ था अथवा उपार्जित हुआ था। प्राधिकारी ने इस तथ्य का निर्धारण किया है कि सब्सिडी कार्यक्रमों के फलस्वरूप छोड़े गए राजस्व जो अन्य प्रकार से देय था, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान करना पड़ा। इसके फलस्वरूप, दोनों जिन्यी को निम्नलिखित कार्यक्रम के ग्राही के रूप में लाभ दिया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी था क्योंकि वे जिन्यी सहित कुछ उपक्रमों तक सीमित था।

156. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम संख्या 1 के संबंध में, प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी प्राप्त होने पर कोई दावा/ गैर प्राप्ति अपने उत्तर में सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं किया गया है जबकि मलेशिया की सरकार ने यह माना है कि मलेशिया में गैस की कीमतें विनियमित की जाती हैं। हालांकि, डेस्क के सत्यापन के दौरान, जिन्यी ने दस्तावेज उपलब्ध कराया है जिसने यह दर्शाया कि कंपनी सब्सिडी का लाभ उठा रहा है।

157. प्राधिकारी ने गैस सब्सिडी के लिए सब्सिडी मार्जिन की राशि की गणना करने के लिए जिन्यी और किबिंग दोनों को गैस कंपनियों द्वारा बनाये गये बीजकों में विशिष्ट रूप से उल्लिखित सब्सिडी की राशि पर विचार किया है। उसके बाद सब्सिडी की कुल राशि का निर्धारण जांच की अवधि के लिये किया गया था जिसे तब प्रति मी. ट. सब्सिडी राशि तय करने के लिए संबंधित कंपनियों की कुल बिक्री मात्रा द्वारा भाग दिया गया था। इस प्रति मी. ट. सब्सिडी मार्जिन को दोनों सहयोगी कंपनियों के लिए भारत को सी आई एफ की कीमत के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी तय करने के लिए संबंधित कंपनियों की प्रति मी. ट. सी आई एफ कीमत से भाग दिया गया था। चूंकि

किसी भी अन्य उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है अतः प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के सभी अन्य मलेशियाई उत्पादकों के लिए सब्सिडी मार्जिन तय करने हेतु सर्वोत्तम तथ्यों को लागू किया है।

158. कार्यक्रम सं. 9 के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन रॉयल मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम में बिक्री कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है जो पात्रता के मानदंडों और शर्तों को पूरा करता है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि फ्लोट ग्लास 'बिक्री कर (कर से छूट प्राप्त वस्तु) आदेश 2018 दिसीयार्कन ओलेह/ प्रकाशित बायजाबतन पेगुआम निगारा/ एटॉजी जनरल्स चेम्बर्स' के रूप में प्रकाशित विशिष्ट छूट प्राप्त सूची के अंतर्गत नहीं था। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि चूंकि जिन्यी पदनामित प्रशुल्क क्षेत्र में स्थित है और इस कारण से उनके लिए बिक्री कर से छूट दी गई है। चूंकि यह छूट प्रदान की जाती है क्योंकि जिन्यी एक विशेष भौगोलिक स्थान पर स्थित है, यह विशिष्ट है और प्राधिकारी ने अपनी घरेलू बिक्री पर बिक्री कर से छूट पर विचार कर सब्सिडी मार्जिन की गणना की है। सब्सिडी राशि तय करने के लिए, प्राधिकारी ने बिक्री कर छूट की राशि को जिन्यी की कुल बिक्री मात्रा से विभाजित किया है ताकि प्रति मी. ट. सब्सिडी की राशि तय की जा सके। इस प्रति मी. ट. सब्सिडी मार्जिन को तब सी आई एफ की प्रति मी. ट. कीमत से विभाजित किया गया था ताकि जिन्यी के लिए भारत को सी आई एफ कीमत के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी तय की जा सके। इस प्रकार से निर्धारित सब्सिडी का मार्जिन नीचे सब्सिडी मार्जिन तालिका में दिया गया है।
159. कर छूट से संबंधित कार्यक्रम सं. 5 के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि क्योंकि जिन्यी एनर्जी स्मार्ट को इस योजना के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त हो रहा है अतः भुगतान न किया गया आयकर के बराबर राशि एक प्रत्यक्ष सब्सिडी है। कंपनी द्वारा उपयोग की गई निवेश कर छूट की राशि को तब प्रति मी. ट. सब्सिडी राशि तय करने के लिए जिन्यी एनर्जी स्मार्ट को कुल बिक्री मात्रा से विभाजित किया गया है। प्रति मी. ट. सब्सिडी मार्जिन को तब जिन्यी एनर्जी स्मार्ट के लिए भारत को सी आई एफ कीमत के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी तय करने के लिए प्रति मी. ट. सी आई एफ कीमत से विभाजित किया गया था। प्राधिकारी ने वर्ष 2018 के लिए जिन्यी द्वारा प्रस्तुत की गई आयकर विवरणी से सब्सिडी की गणना की है। आगे यह नोट किया जाता है कि रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार यह लाभ 10 वर्षों की अवधि अर्थात् 2015 से 2025 तक के लिए उपलब्ध है। चूंकि जांच की अवधि में उपलब्ध लाभ का उपयोग जांच की अवधि सहित अगले 8 वर्षों के लिए किया जा सकता है, अतः प्राधिकारी ने तदनुसार जांच की अवधि के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना की है।
160. कार्यक्रम सं. 21 के लिए जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन, बीएचडी. ने माना है कि इसे इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है। नीचे तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों तथा सदृश्य सब्सिडी मार्जिन का नाम दिया गया है।

जिन्यी

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 1	प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी	सरकार द्वारा विनियमित कीमतों पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता	***	0-10
कार्यक्रम सं. 3	निवेश कर छूट	पूंजी व्यय पर 100 प्रतिशत की छूट। फरवरी 2015 से दस (10) वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन सुविधाओं पर की गई कुल निवेश लागत का उपयोग संचित आई टी ए का पूर्ण रूप से उपयोग होने तक वर्ष 2015 से हुए कर योग्य लाभ को निष्प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है।	***	0-10

कार्यक्रम सं. 9	बिक्री कर छूट	उनके उत्पादन पर बिक्री कर के भुगतान से छूट (बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश 2018)	***	0-10
कार्यक्रम सं. 21	लाइसेंस मेनिफेक्चरिंग वेयरहाउस	इस तथ्य पर विचार किये बिना कि क्या तैयार उत्पाद निर्माण के आरंभिक चरण से उत्पादों के तैयार होने तक निर्यात के लिए अथवा स्थानीय बाजार के लिए बनाया गया है अनुमोदित उत्पादों की निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये जाने वाले सभी कच्चे माल और संघटकों को सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट	***	0-10
कुल			***	0-10

किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी

161. किबिंग मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं का सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक है और यह इन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत को प्रत्यक्ष रूप से करता है। किबिंग ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा लाभ उठाये गये सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।
162. प्राधिकारी ने दोनों कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया है और नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है, जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त हुआ था अथवा उपार्जित हुआ था। प्राधिकारी ने इस तथ्य का निर्धारण किया है कि सब्सिडी कार्यक्रमों के फलस्वरूप छोड़े गए राजस्व जो अन्य प्रकार से देय था, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान करना पड़ा। इसके फलस्वरूप, दोनों किबिंग को निम्नलिखित कार्यक्रम के ग्राही के रूप में लाभ दिया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी था क्योंकि वे किबिंग सहित कुछ उपक्रमों तक सीमित था।
163. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम संख्या 1 के संबंध में, प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी प्राप्त होने पर कोई दावा/ गैर प्राप्ति अपने उत्तर में सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं किया गया है जबकि मलेशिया की सरकार ने यह माना है कि मलेशिया में गैस की कीमतें विनियमित की जाती हैं। हालांकि, डेस्क के सत्यापन के दौरान, किबिंग ने दस्तावेज उपलब्ध कराया है जिसने यह दर्शाया कि कंपनी सब्सिडी का लाभ उठा रही है।
164. प्राधिकारी ने गैस सब्सिडी के लिए सब्सिडी मार्जिन की राशि की गणना करने के लिए दोनों किबिंग को गैस कंपनियों द्वारा बनाये गये बीजकों में विशिष्ट रूप से उल्लिखित सब्सिडी की राशि पर विचार किया है। उसके बाद सब्सिडी की कुल राशि का निर्धारण जांच की अवधि के लिये किया गया था जिसे तब प्रति मी. ट. सब्सिडी राशि तय करने के लिए किबिंग की कुल बिक्री मात्रा द्वारा भाग दिया गया था। इस प्रति मी. ट. सब्सिडी मार्जिन को दोनों सहयोगी कंपनियों के लिए भारत को सी आई एफ की कीमत के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी तय करने के लिए संबंधित कंपनियों की प्रति मी. ट. सी आई एफ कीमत से भाग दिया गया था।
165. कार्यक्रम सं. 9 के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन रॉयल मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम में बिक्री कर के भुगतान से छूट देता है जो पात्रता के मानदंडों और शर्तों को पूरा करता है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि फ्लोट ग्लास 'बिक्री कर (कर से छूट प्राप्त वस्तु) आदेश 2018 दिसीयार्कन ओलेह/ प्रकाशित बायजाबतन पेगुआम निगारा/ एटॉजी जनरल्स चेम्बर्स' के रूप में प्रकाशित विशिष्ट छूट प्राप्त सूची के अंतर्गत नहीं था। चूंकि किबिंग ग्रुप को यह लाभ प्राप्त हुआ है अतः यह दर्शाता है कि यह छूट विशेष रूप से उन्हें दी जाती है। यह कार्यक्रम निर्यातकों को देय बिक्री कर जो अन्य प्रकार से देय है, से छूट देता है। सब्सिडी राशि तय करने के लिए, प्राधिकारी ने बिक्री कर छूट की राशि को किबिंग की कुल बिक्री मात्रा से विभाजित किया है ताकि प्रति मी. ट. सब्सिडी की राशि तय की जा सके। इस प्रति मी. ट. सब्सिडी मार्जिन को तब सी आई एफ की प्रति मी. ट. कीमत से विभाजित किया गया था ताकि किबिंग के लिए भारत को सी आई एफ

कीमत के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी तय की जा सके। इस प्रकार से निर्धारित सब्सिडी का मार्जिन नीचे सब्सिडी तालिका में दिया गया है।

166. नीचे तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों तथा सदृश्य सब्सिडी मार्जिन का नाम दिया गया है।

किबिंग

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 1	प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी	सरकार द्वारा विनियमित कीमतों पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता	***	0-10
कार्यक्रम सं.9	बिक्री कर से छूट	उनके उत्पादन पर बिक्री कर के भुगतान से छूट (बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश 2018)	***	0-10
कुल			***	10-20

मलेशिया के भाग न लेने वाले अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए

167. मलेशिया के अन्य सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का निर्धारण सहयोगी प्रक्षकारों के लिए अधिकतम सब्सिडी मार्जिन के आधार पर और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सब्सिडी मार्जिन ***% [सब्सिडी मार्जिन रेंज (10-20%) है]।

क्षति का आकलन और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

168. घरेलू उद्योग द्वारा वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान किये गये क्षति संबंधी अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोध निम्नलिखित हैं :

- घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने का अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें लगातार अंतरिम अवधि के दौरान क्षति उठानी पड़ रही है।
- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान में यह भारत में लंबे लॉक डाउन के कारण गहरे संकट से गुजर रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह अनुरोध किया है कि फ्लोट ग्लास का उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है और इस कारण से घरेलू उद्योग के पास बाजार में कम ऑफ-टेक के बावजूद संबद्ध वस्तुओं का लगातार उत्पादन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। घरेलू उद्योग के अनुसार, जिन्यी और किबिंग भारत सहित निर्यात बाजारों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और जैसे ही वर्तमान कोविड-19 का संकट समाप्त होगा भारत विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जायेगा कि यूरोपीय यूनियन सहित उनके प्रमुख बाजार कोविड-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। घरेलू उद्योग का तर्क इसके द्वारा की गई बाजार सूचना पर आधारित है, जिसके अनुसार फरवरी 2020 में आयात (13622 मी. ट.) में मलेशिया से जनवरी 2020 (7358 मी. ट.) आयातों की तुलना में लगभग 85 प्रतिशत (6264 मी. ट.) तक वृद्धि हुई।
- मलेशिया से विचारार्थ उत्पाद के आयातों ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- मांग में मलेशिया का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में बहुत अधिक हो गया है। मलेशिया से आयातों ने न केवल घरेलू उद्योग के हिस्से को लिया है बल्कि बहुत कम समय में अन्य देशों के हिस्से को भी ले लिया है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

- v. विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों में गिरावट के साथ, भारतीय उत्पादक के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प या तो आयात कीमतों में परिवर्तनों के साथ अपनी कीमतों को रखना अथवा आदेश खोजा है। इस कारण से बाजार हिस्से में क्षति की जांच की समग्र अवधि के दौरान क्षति आई।
- vi. घरेलू उद्योग की कीमते उन कीमतों के प्रभाव को दर्शाती हैं जिन्हें घरेलू बाजार में निर्यातकों द्वारा दिये जाने की पेशकश की जा रही है। घरेलू उद्योग ने दृणतापूर्व यह भी तर्क दिया है कि निर्यातक अपनी पेशकश को उन्हें और अधिक आकर्षक बनाने के लिए भारतीय ग्राहकों को बिक्री के पश्चात छूट दे रहे हैं। घरेलू उद्योग ने अपने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ तथा अपने ग्राहकों के साथ भी अपनी संविदाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचना भुगतान की प्राप्ति के साथ देने के लिए निर्यातक को आग्रह करने का अनुरोध किया है ताकि वास्तविक आयात कीमत का पता लगाया जा सके।
- vii. कम कीमत पर बिक्री, कीमत में कटौती सकारात्मक और अधिक है। इसके अलावा घरेलू उद्योग कीमत पर दबाव के कारण हानि उठा रहा है क्योंकि वे अपनी कीमतों को उचित शर्तों तक बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हैं।
- viii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में लाभ के मामले में बहुत अधिक गिरावट आई है। वास्तव में घरेलू उद्योग की लाभप्रद स्थिति घाटे में बदल गई है और निवेश पर आय तथा नकद लाभ की भी वही प्रवृत्ति रही है।
- ix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट मलेशिया से गैर-लाभप्रद कीमतों पर आयात की मात्रा में अधिक वृद्धि के कारण हुई थी।
- x. बिक्री की कीमत में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि से कम थी और इस प्रकार से सब्सिडी आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण का प्रभाव पड़ रहा है।
- xi. घरेलू उद्योग को मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं की सब्सिडी के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है। इसके अलावा, यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तब घरेलू उद्योग को सतत क्षति होने का खतरा है।

ख. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

169. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान किये गये क्षति संबंधी अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोध निम्नलिखित हैं :
- i. मात्रा संबंधी कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
 - ii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है और इस बड़ी हुई क्षमता के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक पूंजी लगाई गई है, लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक लाभ हुआ है और भारी हानि हुई है।
 - iii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है, क्योंकि उसका तुलन पत्र बहुत अधिक लाभ को दर्शा रहा है। इसके अलावा, कोई भी क्षति के लिए मलेशिया से आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
 - iv. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे आलोचनात्मक रूप से क्षति के मानदंडों और अन्य कारकों की जांच करें, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

170. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण का समाधान यहां आगे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का करता है।
171. कंपनी की लाभप्रदता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आवेदक बहु-उत्पाद कंपनी है और विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता के साथ कंपनी की लाभप्रदता की तुलना करना सही नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू समान उत्पाद के संबंध में और न कि कंपनी के लिए संपूर्ण रूप में घरेलू उद्योग के कार्य

निष्पादन की जांच करें। अतः प्राधिकारी ने तदनुसार आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस कारण से, कंपनी की कुल लाभप्रदता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों का तर्क सही नहीं है।

172. क्षति संबंधी मानदंडों के विश्लेषण के मुद्दों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि क्षति का विश्लेषण करते समय उसका समाधान बाद के पैराओं में किया गया है।
173. क्षमता के विस्तार के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने देश में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि की है। हालांकि, जांच की अवधि में अचानक वृद्धि इस तथ्य के कारण हुई है कि घरेलू उद्योग के संघटकों में से एक संघटक ने क्षति की जांच की अवधि (दिसंबर 2017) के दौरान अपना कार्यकलाप शुरू किया। उसको देखते हुए, क्षमता में अचानक वृद्धि के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का उपयुक्त रूप से विश्लेषण किया जाता है और क्षति के विश्लेषण के दौरान उस पर ध्यान रखा जाता है। इस कारण से किसी हितबद्ध पक्षकारों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है।
174. इस नियमावली के अनुबंध-1 के साथ पठित नियम 13 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर सब्सिडी आयातों के प्रभाव के बारे में विचार करने में, इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में सब्सिडी आयातों के द्वारा कीमतों में बहुत अधिक कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती, जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर सब्सिडी आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, सब्सिडी की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर इस नियमावली के अनुबंध-11 के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और निर्यातकों/ आयातकों/ व्यापारी/ प्रयोक्ताओं के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और उसका विश्लेषण रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण यहां आगे वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

I. सब्सिडी आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग का आकलन

175. वर्तमान जांच के उद्देश्य से संबद्ध वस्तुओं की मांग अथवा स्पष्ट खपत को आवेदकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आय के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
मलेशिया से आयात	मी. ट.			1,29,794	1,92,379
अन्य देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है से आयात	मी. ट.	1,22,768	1,54,210	75,604	33,263
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	24,071	62,776	56,517	10,628
कुल आयात	मी. ट.	1,46,839	2,16,986	2,61,915	2,36,270
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	7,99,041	8,15,669	8,75,931	10,13,390
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	127
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	1,43,650	1,44,500	1,90,000	2,30,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	132	160
कुल घरेलू बिक्री	मी. ट.	9,42,691	9,60,169	10,65,931	12,43,390

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	113	132
मांग	मी. ट.	10,89,530	11,77,155	13,27,845	14,79,660
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	122	136

176. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान प्रवृत्ति में वृद्धि होती रही है।

ii. मलेशिया से आयात की मात्रा और आयात का हिस्सा

177. सब्सिडी आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में सब्सिडी आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
मलेशिया से आयात	मी. ट.	-	-	1,29,794	1,92,379
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	1,46,839	2,16,986	1,32,121	43,891
कुल आयात	मी. ट.	1,46,839	2,16,986	2,61,915	2,36,270
कुल पी यू सी उत्पादन	मी. ट.	11,87,674	11,86,379	12,96,914	17,05,946
भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग	मी. ट.	10,89,530	11,77,155	13,27,845	14,79,660
निम्नलिखित की तुलना में मलेशिया से आयात					
उत्पादन	%	-	-	10.01%	11.28%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	100	113
खपत	%	-	-	9.77%	13.00%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	100	133
कुल आयात	%	-	-	49.56%	81.42%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	100	164

178. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि -

क. मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ख. मलेशिया से आयातों में भारत में कुल आयात और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

iii. घरेलू उद्योग पर सब्सिडी आयातों का कीमत प्रभाव

179. कीमतों पर सब्सिडी आयातों के प्रभाव के संबंध में, इसका विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में सब्सिडी आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी, जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से सब्सिडी आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना मलेशिया से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

180. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या इन आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना नीचे दिये गये अनुसार की है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	-	-	17,980	18,124
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	-	-	22,755	21,206
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	-	-	4,775	3,082
कीमत में कटौती	%	-	-	27%	17%
कीमत में कटौती	रेंज	-	-	20-30	10-20

181. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से पहुंच मूल्य जांच की अवधि और उसके तत्काल पूर्व वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। इसके कारण घरेलू उद्योग पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

182. इस तथ्य का निर्धारण यह निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या मलेशिया से आयातों के कारण घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों का बहुत अधिक ह्रास होगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में इन परिवर्तनों पर नीचे दिये गये विवरण के अनुसार विचार किया है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	22,253	21,519	20,346	21,365
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	91	96
बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	24,246	24,001	22,755	21,206
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	94	87
मलेशिया से पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	0	0	17,980	18,124
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	100	101

183. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से आयातों का पहुंच मूल्य जांच की अवधि में और उसके तत्काल पूर्व वर्षों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत से कम थी। इसके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक ह्रास तक दबाव पड़ा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत तथा बिक्री की लागत दोनों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। हालांकि, बिक्री की कीमत में गिरावट उत्पादन की लागत में गिरावट से बहुत अधिक है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को भी कीमत ह्रास हुआ है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

184. प्राधिकारी ने मलेशिया से सब्सिडी आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री, यदि कोई हो की भी जांच की है। जांच के बाद, यह निर्धारण किया गया है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री हुई है।

विवरण	इकाई	मलेशिया
क्षति रहित कीमत (एन आई पी)	रु./ मी. ट.	***
संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	18,124
कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. ट.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***%
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	30-40

iv. घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदंड

185. इस नियमावली के अनुबंध-1 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडी आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादको पर सब्सिडी आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडी आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; वे कारक जो घरेलू कीमतें, सब्सिडी के मार्जिन के आकार को प्रभावित करते हों; नकदी के प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मानदंडों की चर्चा यहां नीचे की गई है :

v. बिक्री की मात्रा और मूल्य

186. घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा और मूल्य नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्री की मात्रा	मी. ट.	7,99,041	8,15,669	8,75,931	10,13,390
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	127
बिक्री मूल्य	रु. लाख	1,93,734	1,95,771	1,99,322	2,14,898
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	103	111
बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	24,246	24,001	22,755	21,206
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	94	87

187. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की मात्रा और मूल्य में पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, उसी समय के दौरान संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में कमी आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ग्राहकों को बनाये रखने के उद्देश्य से इनके पास संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की कीमत कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

vi. उत्पादन और क्षमता का उपयोग:

188. उत्पादन और क्षमता के उपयोग का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
क्षमता	मी. ट.	14,11,700	14,08,900	14,99,264	19,95,360
कुल उत्पादन	मी. ट.	11,87,674	11,86,379	12,96,914	17,05,946
केवल पी यू सी का उत्पादन	मी. ट.	8,93,924	9,10,076	10,17,204	12,61,606
क्षमता का उपयोग (कुल उत्पादन)	%	84.13%	84.21%	86.50%	85.50%

189. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि क्षमता के उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान आंशिक रूप से गिरावट आई है।

vii. बाजार हिस्सा:

190. घरेलू उद्योग के आयातों, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
मलेशिया से आयात	मी. ट.			1,29,794	1,92,379
अन्य देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है से आयात	मी. ट.	1,22,768	1,54,210	75,604	33,263
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	24,071	62,776	56,517	10,628
कुल आयात	मी. ट.	1,46,839	2,16,986	2,61,915	2,36,270
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	7,99,041	8,15,669	8,75,931	10,13,390
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	127
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	1,43,650	1,44,500	1,90,000	2,30,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	132	160
कुल घरेलू बिक्री	मी. ट.	9,42,691	9,60,169	10,65,931	12,43,390
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	113	132
मांग	मी. ट.	10,89,530	11,77,155	13,27,845	14,79,660
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	122	136
निम्नलिखित के मांग में हिस्सा					
मलेशिया से आयात	%	0%	0%	10%	13%
अन्य देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है से आयात	%	11%	13%	6%	2%
अन्य देशों से आयात	%	2%	5%	4%	1%
कुल आयात	%	13%	18%	20%	16%
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	73%	69%	66%	68%
अन्य घरेलू उत्पादको की बिक्री	%	13%	12%	14%	16%
मांग में कुल घरेलू बिक्री का हिस्सा	%	87%	82%	80%	84%

191. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उसी अवधि के दौरान मांग में वृद्धि के बावजूद आधार वर्ष के दौरान जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

viii. उत्पादकता

192. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
कर्मचारी	सं.	2,722	2,847	3,671	3,812
कार्यदिवस की औसत सं.	दिन	365	365	365	365
मानव दिवस की संख्या	मानव दिवस	9,93,530	10,39,155	13,39,915	13,91,380
उत्पादकता	मी. ट./मानव दिवस	0.90	0.88	0.76	0.91
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	84	101

193. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि प्रति मानव दिवस कुल उत्पादन के संबंध में उत्पादकता उसी दायरे में रही है। हालांकि, पिछले दो वर्षों की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है।

ix. माल सूची

194. संबद्ध वस्तुओं की माल सूची निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
औसत माल सूची	मी. ट.	51,113	59,186	94,046	1,40,794
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	184	275

195. 194. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि माल सूची में पूर्व किसी वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान के बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई यह माल सूची संबद्ध देश से आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को दर्शाता है।

x. रोजगार और मजदूरी

196. रोजगार और मजदूरी के संबंध में स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
कामगार	सं.	2,722	2,847	3,671	3,812
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	135	140
मजदूरी	रु. लाख	9,108	10,228	12,057	14,153
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	132	155
मजदूरी/ कर्मचारी (रु. प्रति वर्ष)	रु./ सं.	3,34,596	3,59,265	3,28,450	3,71,284
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	98	111

197. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या और उन्हें भुगतान की गई मजदूरी में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह देखा गया है कि कर्मचारियों को भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है यद्यपि भुगतान की गई मजदूरी में इस प्रकार की वृद्धि आमतौर पर देश में मजदूरी में वृद्धि के अनुपात में नहीं है।

xi. लाभप्रदता:

198. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर लाभ और नकद प्रभाव की जांच नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	24,246	24,001	22,755	21,206
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	94	87

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	र./ मी. ट.	22,253	21,519	20,346	21,365
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	91	96
लाभ और हानि	र. लाख	15,927	20,250	21,109	-1,610
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	133	-10
लाभ और हानि	र./ मी. ट.	1,993	2,483	2,410	-159
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	121	-8
नकद लाभ	र./ मी. ट.	3,916	4,454	4,069	1,345
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	104	34
लगाई गई पूंजी पर लाभ (आर ओ सी ई)	%	7.2%	8.8%	7.0%	-0.5%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	98	-7

199. जैसा कि पहले नोट किया गया है कि सब्सिडी और कम कीमत पर आयातों की तुलना में, घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन जांच की अवधि में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। यह आवश्यक रूप से कमतर कीमतों पर मलेशिया से हो रहे सब्सिडी आयातों के कारण हुई है जिसके कारण घरेलू उद्योग को आयातों की कम कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। घरेलू उद्योग पर कीमत के इस दबाव का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है जो जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक हो गया है। आर ओ सी ई की भी वही प्रवृत्ति रही है जो लाभप्रदता की रही है।

xii. वृद्धि:

200. घरेलू उद्योग की जांच की अवधि में बिक्री कीमत और बाजार हिस्से के संबंध में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। उसी प्रकार से लाभ तथा निवेश पर लाभ लाभप्रद स्थिति से नकारात्मक हो गई थी। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि वे मलेशिया से सब्सिडी आयातों की मौजूदगी के कारण उसका लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

विवरण (वर्ष दर वर्ष)	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्री कीमत		-1.01%	-5.19%	-6.81%
लाभप्रदता		25%	-3%	-107%
निवेश पर लाभ		1.6%	-1.8%	-7.5%
क्षमता का उपयोग		0.1%	2.3%	-1.0%
माल सूची		16%	59%	50%

xiii. सब्सिडी का परिमाण:

201. सब्सिडी का परिमाण उस सीमा का सूचक है जिस सीमा तक सब्सिडी आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि मलेशिया के विरुद्ध निर्धारित सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से ऊपर और बहुत अधिक है।

xiv. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता:

202. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है और विचाराधीन उत्पाद की सब्सिडी पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाल सकता है।

xv. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:

203. मलेशिया से आयात कीमतों पर विचार करते हुए, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, सब्सिडी आयातों को छोड़कर अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डाल रहे होंगे, दर्शाता है कि मलेशिया से आयात किये गये पट्टे मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक हद तक कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में बहुत अधिक कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि

घरेलू कीमत के लिए बेंचमार्क संबद्ध देश से आयात कीमतें हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शा रहा था और इस कारण से यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता था। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य है।

xvi. क्षति मार्जिन

204. प्राधिकारी ने समय समय यथासंशोधित इस नियमावली के अनुबंध-111 के साथ पठित इस नियमावली में दिये गये सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण किया है। समान उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण इस जांच की अवधि के लिए निर्माण करने की लागत तथा बिक्री से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-111 के अनुसार किया गया है। एन आई पी का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। वही बर्ताव यूटिलिटी के साथ किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन की क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन की गणना सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए किया गया है और उसी उत्पादन पर प्रति इकाई निर्धारित लागत तय करने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई असाधारण अथवा गैर आवृत्ति खर्च उत्पादन की लागत में प्रभावित नहीं किया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिये लगाई गई औसत पूंजी (औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित लाभ (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति अनुबंध-111 में यथानिर्धारित क्षति रहित कीमत और प्राधिकारी द्वारा सतत् रूप से अपनाई जा रही क्षति रहित कीमत को तय करने के लिए ब्याज, कारपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिये दी गई थी। इस प्रकार से निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमतों से की गई है।

देश	उत्पादक	क्षति रहित कीमत (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	पहुंच मूल्य (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	क्षति मार्जिन (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
मलेशिया	किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	30-40
	जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	30-40
	अन्य	***	***	***	***	60-70

xvii. वास्तविक क्षति मा विश्लेषण

205. आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों के साथ क्षति के विभिन्न मानदंडों की जांच यह दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में तथा देश में कुल आयातों, घरेलू उत्पादन और कुल मांग की तुलना में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। कीमत के प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी आयातों के कारण कीमत ह्रास के कारण हानि भी हुई है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत दोनों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। हालांकि, बिक्री कीमत में गिरावट उत्पादन की लागत में गिरावट से बहुत अधिक है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को भी कीमत ह्रास के कारण हानि हुई है।

206. घरेलू उद्योग पर मात्रा और कीमत के प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, माल सूची और बाजार हिस्से पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और आर ओ सी ई संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।
207. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सब्सिडी प्राप्त आयातों के क्षतिकारी प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

xviii. गैर-आरोपण का विश्लेषण

208. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे सब्सिडी आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे ताकि अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति का कारण सब्सिडी आयातों को नहीं माना जा सकता है। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, ने अन्य बातों के साथ साथ सब्सिडी कीमतों पर न बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। इसकी जांच नीचे की गई है कि क्या सब्सिडी आयातों को छोड़कर अन्य कारणों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

xix. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

209. मलेशिया को छोड़कर देशों तथा उन देशों जिन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है आयात मात्रा में बहुत अधिक नहीं है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति को सके अथवा क्षति का खतरा हो सके। अन्य देशों से आयात कुल आयातों में 5 प्रतिशत से कम और भारत में कुल मांग/ खपत का 1 प्रतिशत से कम था। इस प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों के कारण वर्तमान में क्षति हो रही है।

xx. निर्यात कार्य निष्पादन

210. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू कार्यचालन के लिए है और इस कारण से निर्यात की मात्रा में संभावित परिवर्तनों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

xxi. प्रौद्योगिकी का विकास

211. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं है।

xxii. कंपनी के उत्पादों का कार्य निष्पादन

212. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे और बेचे जा रहे उत्पादों के कार्य निष्पादन के संबंध में यह प्रतीत होता है कि यह घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

xxiii. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

213. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और उसका स्वतंत्र रूप से देश में निर्यात किया जा सकता है। कोई भी साक्ष्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

xxiv. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

214. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन और प्रतिदिन उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में इस अवधि के दौरान मामूली रूप से वृद्धि हुई है।

xxv. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

215. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की समग्र अवधि के दौरान सतत रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

xxvi. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी द्वारा जांच

216. इस प्रकार से यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या उत्पाद की सब्सिडी के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित मानदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति सब्सिडी आयातों के कारण हुई है:

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की अवधि के दौरान तत्काल पूर्व के वर्ष अर्थात् 2017-18 की तुलना में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भी स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपना उत्पादन और वृद्धि बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।
- ग. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है यद्यपि संबद्ध वस्तुओं की मांग में उसी अवधि के दौरान भारत में वृद्धि होती रही है। यह इस कारण से हुआ है कि आयातों ने मांग में वृद्धि को आक्रामक रूप से अपने कब्जे में ले लिया है।
- घ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक हद तक कटौती हो रही थी। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य था। घरेलू उद्योग द्वारा उठाया गया कीमत ह्रास प्राथमिक रूप से इस देश में उत्पाद की सब्सिडी के कारण है।
- ङ. घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को अपनी लागत से भी कम करने के लिए बाध्य था, जिसके कारण वित्तीय हानि हुई। इस प्रकार से संबद्ध देश से सब्सिडी आयातों के कारण हुए कीमत ह्रास के फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक लाभ से नकारात्मक लाभ हो गया है।
- च. लाभ, नकद प्रभाव और निवेश पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में कीमत ह्रास के फलस्वरूप गिरावट आई। इस प्रकार इस उत्पाद की सब्सिडी के फलस्वरूप लाभ, नकद प्रभाव और निवेश पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।

प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां

217. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और यह नोट किया जाता है कि अधिकांश उठाए गए मामले पुनः उठाए गए हैं और इन्हें पहले भी उठाया जा चुका है तथा इन पर समुचित रूप से विचार किया जा चुका है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण इस प्रकार से किया गया है :

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**कार्यक्रम सं. 1. प्राकृतिक गैस के संबंध में सब्सिडी****मलेशिया की सरकार द्वारा किया गया अनुरोध**

218. इस कार्यक्रम के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित विशिष्टता का आधार, जिसके लिए कोई प्रतिसंतुलनकारी उपाय करने होते हैं, निस्संदेह मौजूद नहीं हैं। गैर-विशिष्ट आधार को निम्नलिखित सूचना से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया:-

- i. सभी जी एम बी ग्राहकों के लिए नियंत्रित गैस की कीमत उपलब्ध कराई गई है। मलेशिया की सरकार ने कतिपय उद्यमों के लिए इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई स्पष्ट सीमा नहीं लगाई है और इसीलिए डब्ल्यू टी ओ एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1 (क) में विशिष्टता का सिद्धांत लागू नहीं होता।
- ii. ग्राहक से ली गई गैस की कीमत टैरिफ की श्रेणियों के अनुसार है, जो कि ग्राहक की औसत वार्षिक गैस खपत के आधार पर है। मलेशिया की सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक विशिष्ट टैरिफ श्रेणी के लिए ग्राहकों के लिए लागू करना अपेक्षित नहीं है। यह डब्ल्यू टी ओ एस सी एम करार को अनुच्छेद 2.1 (ख) के अनुरूप है, जहां पर कि जी एम बी ने ऐसे उद्देश्यपरक मानदंड या शर्त तय किए हैं, जो कि बिना पक्षपात के हैं और अन्य उद्यमों की बजाय किसी विशिष्ट उद्यम का पक्ष नहीं करते हैं। औसतन वार्षिक गैस खपत के आधार पर टैरिफ की श्रेणी किफायतता की प्रकृति की भी है और समानान्तर भी है।

219. मलेशिया की सरकार द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि यह कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद के निर्माण अथवा उत्पादन में लगे सीमित व्यक्तियों के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जी एम बी की गैस की मात्रा के वितरण के संबंध में स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की ही स्पष्ट रूप से अनदेखी की है। याचिकाकर्ता ने जी एम बी की वार्षिक रिपोर्ट 2017 को, कार्यक्रम के कानूनी आधार के संबंध में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे प्रकटीकरण विवरण के पैरा 33 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है। जी एम बी की वार्षिक रिपोर्ट 2017 के पैरा 42 से यह स्पष्ट हो जाता है कि मलेशिया में ऐसे विविध और व्यापक उद्योग मौजूद हैं, जो अपने कार्य में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि ग्लास उत्पादों के निर्माता, जिन्होंने मलेशिया में कुल प्राकृतिक गैस की खपत का केवल 8 प्रतिशत ही खपत किया था, वे भी मलेशिया में प्राकृतिक गैस के थोक ग्राहक नहीं थे। मलेशिया की सरकार इस बात से अत्यंत ही आश्चर्यचकित है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस अनिवार्य सूचना को नजरअंदाज किया है और मलेशिया में प्राकृतिक गैस के वितरण की विशिष्टता के संबंध में मनमाना निष्कर्ष निकाला है कि केवल विचाराधीन उत्पाद के निर्माताओं को ही लाभ प्रदान किया जा रहा है।

जिन्यी द्वारा किए गए अनुरोध

220. यह कि, यद्यपि मलेशिया की सरकार (जी ओ एम) ने यह स्वीकार किया है कि गैस की कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, लेकिन मलेशियाई प्रयोक्ताओं के लिए प्रस्तावित गैस की कीमत अन्य एशियाई बाजारों और भारत से भी अधिक है।
221. डीजीटीआर ने भी कार्यक्रमों की विशिष्टता का विश्लेषण नहीं किया है। मलेशिया की सरकार ने प्रश्नावली उत्तर में यह कहा है कि मलेशिया में गैस के औद्योगिक प्रयोक्ताओं से टैरिफ की श्रेणी के आधार पर चार्ज लिया जाता है और इसी श्रेणी के उद्यमों के लिए वही कीमत ली जाएगी। अतः कार्यक्रम सं. 1 विशिष्ट नहीं है और इस प्रकार इसे प्रतिसंतुलनकारी के रूप में नहीं माना जा सकता।
222. यह भी अनुरोध किया जाता है कि गैस लागत पास-थ्रू (जी सी पी टी) व्यवस्था के तहत गैस की कीमतें हर 6 माह में समायोजित की जाती हैं ताकि बाजार की कीमत से मेल खा सके और यह संभावना है कि वर्ष 2020 में बाजार की कीमत तक पहुंच जाएगी। वास्तव में जी सी पी टी व्यवस्था, 2019 के अंत में समाप्त हो गई थी। गैस सप्लायर गैस मलेशिया बर्हार्ड ने गैस की कीमत में परिवर्तन होने के बारे में कंपनी की घोषणा की है।
223. जिन्यी एनर्जी स्मार्ट ने यह स्वीकार किया है कि जनवरी, 2020 से मलेशिया में गैस सप्लायरों को कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं की गई। जनवरी, 2020 से शुरू गैस बिलों में अब जी सी पी टी खंड अथवा सरकारी सब्सिडी (मलय में "सब्सिडी ओलेह केराजान पेरसीकुतुआन" खंड नहीं है, जो यह सिद्ध करता है कि जी सी पी टी व्यवस्था समाप्त हो गई है और उसके बाद से सहायता रद्द कर दी गई है। तथापि, यह भी अनुरोध किया जाता है कि मलेशिया की सरकार ने अब वर्ष 2020 के लिए आर एम 33.65/ एमएमबीटीयू की औसत कीमत पर गैस कीमत निर्धारित की है। वर्ष 2021 के लिए कीमत की समीक्षा की जाएगी और वर्ष 2020 के समाप्त होने से पूर्व मलेशिया की सरकार द्वारा कीमत तय की जाएगी।

किबिंग द्वारा किए गए अनुरोध

224. किबिंग को सरकार द्वारा कोई गैस सब्सिडी प्रदान नहीं की गई थी। गैस इनवॉयस में दर्शाई गई राशि, मलेशिया से गैस की निर्यात कीमत और खरीदारों से ली गई गैस कीमत के बीच के अंतर को दर्शाती है।
225. यह कि, जनवरी, 2020 से गैस की कीमत की व्यवस्था में बदलाव किया गया है और तब से लेकर अब तक गैस इनवॉयस में ऐसी किसी राशि का उल्लेख नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा किसी विशिष्टता का दावा नहीं किया गया है और प्राधिकारी भी इस कार्यक्रम में कोई विशिष्टता होने को साबित नहीं कर पाए है। अतः यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी नहीं है।

कार्यक्रम सं. 3 अग्रणी दर्जा प्राप्त कार्यक्रम**मलेशिया की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध**

226. मलेशिया की सरकार द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उसने सहयोगी मलेशियाई उत्पादकों को अग्रणी का दर्जा अथवा आई टी ए प्रदान किया है। तथापि, कतिपय मानदंड/ अपेक्षाओं के कारण, जिनकी इन कंपनियों द्वारा पूर्ति नहीं की गई, उन्हें कार्यक्रम से अभी भी कोई लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि जांच की अवधि (पी ओ आई) के दौरान कंपनियों द्वारा किसी कर छूट का दावा किया गया तो संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक कर विवरणी में उस कर छूट की राशि का उल्लेख किया जाएगा।
227. किबिंग ने मलेशिया की सरकार द्वारा 29 जनवरी, 2016 को अनुमोदित किए जाने के बाद से कभी भी अग्रणी दर्जा कार्यक्रम का उपयोग नहीं किया गया है। किसी भी कंपनी को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अग्रणी प्रमाणपत्र (पी सी एस) के लिए आवेदन करना अपेक्षित होता है। अतः किबिंग ने इस कार्यक्रम से लाभ अर्जित करने अथवा प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी इस सूचना के लिए किबिंग की ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित वर्षों की वार्षिक कर विवरणी से पुष्टि कर सकते हैं।

किबिंग द्वारा किए गए अनुरोध

228. किबिंग ने यह अनुरोध किया है कि चूंकि उसने प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, इसलिए जांच की अवधि के दौरान इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है और इसीलिए, उनके द्वारा अग्रणी योजना/ निवेश कर भत्ते के तहत कोई लाभ के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 2018 के लिए कंपनी की आयकर विवरणी में निवेश कर भत्ते/ अग्रणी दर्जे के रूप में दर्शाई गई पूंजीगत भत्ते की अवधारणा गलत है, क्योंकि ये दोनों ही योजनाएं अलग-अलग हैं। इसके अलावा, चूंकि प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आय कर विवरणी में दर्शाया गया पूंजीगत भत्ता प्रति संतुलनकारी नहीं है, अतः उन्हें आय कर का भुगतान न करने संबंधी कोई लाभ नहीं मिला है। किबिंग की वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 की वार्षिक रिपोर्ट में भी किबिंग द्वारा इन योजनाओं से कोई लाभ प्राप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।
229. यह भी अनुरोध किया जाता है कि अग्रणी योजना के लिए अनुमति को केवल मई, 2019 में निवेश कर भत्ता में परिवर्तित किया गया है। तथापि, किबिंग ने एमआईटीआई को अभी कार्यक्रम की शुरुआत की तारीख के बारे में अधिसूचित नहीं किया है, अतः इस कार्यक्रम के तहत किबिंग द्वारा कोई लाभ अर्जित या प्राप्त नहीं किया गया है।

कार्यक्रम सं. 5 निवेश कर भत्ता**मलेशिया की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध**

230. मलेशिया की सरकार ने यह अनुरोध किया है कि उसने सहयोगी मलेशियाई उत्पादकों को अग्रणी का दर्जा अथवा आई टी ए प्रदान किया है। तथापि, कतिपय मानदंड/ अपेक्षाओं के कारण, जिनकी इन कंपनियों द्वारा पूर्ति नहीं की गई, उन्हें कार्यक्रम से अभी भी कोई लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि जांच की अवधि (पी ओ आई) के दौरान कंपनियों द्वारा किसी कर छूट का दावा किया गया तो संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक कर विवरणी में उस कर छूट की राशि का उल्लेख किया जाएगा।

जिन्यी द्वारा किए गए अनुरोध

231. यह अनुरोध किया जाता है कि मलेशिया कर प्राधिकरण द्वारा अभी हाल ही में किए गए टैक्स ऑडिट के दौरान यह निष्कर्ष दिया गया है कि जिन्यी एनर्जी स्मार्ट एक शर्त को पूरा करने में विफल रहा है। इसके फलस्वरूप, मलेशिया कर प्राधिकरण ने कंपनी को आई टी ए लाभ वापस लेने का निर्णय लिया था। आई टी ए लाभ लेने की एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि आवेदक ने 20 प्रतिशत से अधिक अकुशल विदेशी कामगार नहीं लगाए हों। जिन्यी उस अवधि के लिए ऐसी शर्त पूरी करने में विफल रहा है।
232. यह भी अनुरोध किया जाता है कि 6 वर्षों की अवधि को औसत लाभकारी अवधि (ए यू एल) के रूप में अपनाना कंपनी की वास्तविक औसत ए यू एल से मेल नहीं खाता। प्राधिकारी को दावा की गई परिसंपत्तियों की औसत अवधि के आधार पर और वार्षिक रिपोर्ट में अपनाई गई अवधि के आधार पर ए यू एल अपनानी चाहिए ताकि मूल्यहास की गणना की जा सके, जो जी ए ए पी की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

233. जिन्व्यी एनर्जी स्मार्ट ने यह अनुरोध किया है कि “जिन्व्यी” (मलेशिया) को निवेश कर भत्ते का कर प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है, जिससे जनवरी, 2015 से दस (10) वर्षों की अवधि के भीतर व्यय की जाने वाली उत्पादन सुविधाओं पर कुल निवेश लागत का उपयोग, वर्ष 2015 से लेकर संचित आई टी ए का पूर्ण रूप से उपयोग होने तक किए गए कर लाभ को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, चूंकि आई टी ए का उपयोग पूंजीगत भत्ते का पूर्ण रूप से उपयोग होने तक नहीं किया सकेगा, अतः वर्ष 2018 के आकलन वर्ष के दौरान उपयोग किया गया आई टी ए शून्य एम वाई आर है। आकलन वर्ष 2017 और 2018 के दौरान जिन्व्यी एनर्जी स्मार्ट की सांविधिक आय भी शून्य थी, इसलिए आई टी ए की राशि, जिसका वास्तव में पूर्ण रूप से उपयोग किया गया, वह भी शून्य थी। अतः जिन्व्यी एनर्जी स्मार्ट का यह कहना है कि कोई भी सब्सिडी मार्जिन नहीं गिना जाएगा क्योंकि जिन्व्यी एनर्जी स्मार्ट को वास्तव में जांच की अवधि और जांच की अवधि से पूर्व की अवधि के दौरान कोई आई टी ए लाभ नहीं मिला था।

कार्यक्रम सं. 9 बिक्री कर छूट

किबिंग द्वारा किया गया अनुरोध

234. यह अनुरोध किया जाता है कि ग्राहकों के लिए बिक्री कर प्रभार किबिंग के लिए आय नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि किबिंग फ्लोट ग्लास का निर्माण करता है और अपने ग्राहकों को फ्लोट ग्लास की बिक्री करता है। फ्लोट ग्लास ग्राहकों के लिए एक कच्चा माल/ सामग्री है। यदि कोई ग्राहक, जिसने रायल मलेशियन सीमा शुल्क विभाग (आरएमसीडी) से बिक्री कर छूट प्राप्त की है, उसे किबिंग से खरीदी गई सामग्रियों पर बिक्री कर का भुगतान करने से छूट प्राप्त होती है। ऐसे ग्राहकों के लिए, जिन्होंने रायल मलेशियन सीमा शुल्क विभाग (आरएमसीडी) से बिक्री कर छूट प्राप्त नहीं की थी, किबिंग से बिक्री कर आदेश 2018 के तहत यह अपेक्षित है कि वह आरएमसीडी की ओर से ग्राहकों से बिक्री कर प्राप्त करे और विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार आरएमसीडी को भुगतान करे।

कार्यक्रम सं. 11 स्पेयर पार्ट पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

किबिंग द्वारा किया गया अनुरोध

235. किबिंग ने यह कहा है कि एक्विजिट-9 में स्पेयर्स और कंज्यूमेबल्स पर आयात शुल्क और बिक्री कर की छूट के रूप में उल्लेख की गई राशि गलत और निराधार है। वास्तव में एसएसटी1 और एसएसटी में ऐसी अवधि के दौरान, जब एसएसटी लागू था, बिक्री की गई वस्तुओं की राशि दर्शाई गई है। यह स्पेयर्स और कंज्यूमेबल्स पर आयात शुल्क और बिक्री कर की एसएसटी छूट नहीं है बल्कि किबिंग के ग्राहकों द्वारा आरएमसीडी के लिए लागू और किबिंग के ग्राहकों को दिए गए अनुमोदन के अनुसार बिक्री कर छूट के साथ बेची गई वस्तुओं का मूल्य है। वास्तव में, इनपुट पर भुगतान किया गया बिक्री कर घरेलू बिक्रियों के संबंध में एकत्र किए गए बिक्री कर के लिए समायोजित किया गया है। इसे संबंधित अवधियों के लिए बिक्री कर विवरणी में दर्शाया गया है। अतः यह अवधारणा कि किबिंग की प्रश्नावली के उत्तर के एक्विजिट-9 में दर्शाई गई राशि स्पेयर्स और कंज्यूमेबल्स पर आयात शुल्क और बिक्री कर की छूट है, पूरी तरह से गलत है। एसएसटी1 और एसएसटी3 के तहत एक्विजिट-9 में दर्शाई गई राशि सितम्बर, 2018 से अप्रैल, 2019 तक की अवधि के दौरान बिक्री की गई वस्तुओं की राशि है। उसे उस अवधि के लिए बिक्री कर विवरणी में विधिवत दर्शाया गया है।

कार्यक्रम सं. 12 मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

236. किबिंग ने यह कहा है कि एक्विजिट-9 में मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर के रूप में उल्लिखित राशि पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। वास्तव में पीटीसी1 और पीटीसी2 में ऐसी अवधि के दौरान, जब एसएसटी लागू था, खरीदे गए कतिपय इनपुट पर एसएसटी की राशि दर्शाई गई है। यह मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर की छूट पर एसएसटी छूट की राशि नहीं है। वास्तव में, इनपुट पर भुगतान किया गया बिक्री कर घरेलू बिक्रियों के संबंध में एकत्र की गई बिक्री कर राशि के संबंध में समायोजित किया गया है। यह धनराशि संबंधित अवधियों के लिए बिक्री कर विवरणी में दर्शाई गई है। अतः यह धारणा कि किबिंग के प्रश्नावली उत्तर के एक्विजिट-9 में दर्शाई गई राशि, मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर की छूट है, पूरी तरह से गलत है।

237. निर्यातकों ने यह भी अनुरोध किया है कि 8.5 वर्ष की अवधि को औसत लाभकारी अवधि (ए यू एल) के रूप में स्वीकार करना कंपनी की वास्तविक औसत ए यू एल से मेल नहीं खाता। प्राधिकारी को दावा की गई परिसम्पत्तियों और वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों की औसत अवधि के आधार पर ए यू एल को अपनाना चाहिए, ताकि मूल्यहास की गणना की जा सके, जो जी ए ए पी की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

238. कथित सहयोगी मलेशियाई निर्यातकों नामतः मै० जिन्यी स्मार्ट एनर्जी (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. (जिन्यी) और मै० किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. (किबिंग) तथा मलेशिया की सरकार (जी ओ एम) ने जानबूझकर और अतार्किक ढंग से ऐसी सूचना को छिपाया है, जिसका कि सब्सिडी शुल्कों की मात्रा से सीधा संबंध है।
239. यह कि, मलेशिया की सरकार ने विशेष रूप से यह कहा है कि वर्तमान योजना औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है और मलेशियाई निर्यातकों, जिन्यी तथा किबिंग ने भी वर्तमान योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त होने से इंकार किया है। तथापि, दस्तावेजों की जांच के समय, प्राधिकारी यह पता लगाने में समर्थ थे कि मलेशियाई निर्यातकों ने वास्तव में वर्तमान योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त किया है और इसीलिए प्राधिकारी को निर्यातकों को अस्वीकार करना चाहिए।
240. यह कि, एक सब्सिडीरोधी जांच में प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और सूचना पर मुख्य रूप से निर्भर है, अतः कोई भी गलत सूचना देने, जानबूझकर तथ्यों के छिपाने, अथवा जांच के पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली का पूरा और पर्याप्त उत्तर देने में विफल होने को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी व्यापार उपचार जांचों में पक्षकारों के समग्र उत्तर को निरंतर अस्वीकार करते रहे हैं, यहां तक कि ऐसे समय में भी जब कोई संदेह हो कि कथित पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष पारदर्शी नहीं रहा है अथवा उसके द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर का कोई भी भाग अधूरा हो। वर्तमान जांच में, दोनों ही निर्यातकों ने अपने संगत पक्षकारों के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है और इसीलिए उनका उत्तर अस्वीकार करने योग्य है।
241. यह भी अनुरोध किया जाता है कि सत्यापन के दौरान प्राधिकारी द्वारा गैस सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में उनकी असत्यता के बाद प्रतिवादी मलेशियाई निर्यातकों ने कतिपय आधी अधूरी सूचना प्रदान की है, प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करके उनकी सब्सिडी निर्धारित करनी चाहिए।
242. घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि भारत से फाइन डिनायर पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी जांच में [सी- 533-876, दिनांक 16.1.2018], यू एस जांच प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद, उस योजना (टीयूएफएस) के लिए उपलब्ध तथ्यों का उपयोग किया है कि भारतीय उत्पादन ने टेक्सटाइल कंपनी द्वारा, कथित योजना के बारे में सत्यापन के दौरान पूरी सूचना प्रदान की थी और न कि पी एस एफ का उत्पादन करने वाली कंपनी द्वारा, जबकि सच्चाई यह थी कि कंपनी ने बैंक को ब्याज सहित राशि भी वापस कर दी थी और इसीलिए कोई सब्सिडी शामिल नहीं की जानी चाहिए। यू एस प्राधिकारी ने केवल इस कारण से प्रतिकूल तथ्य लगाए क्योंकि उस योजना के संबंध में सूचना सत्यापन से पूर्व प्रकट नहीं की गई थी।
243. प्रतिवादी निर्यातकों और मलेशिया की सरकार की प्रतिसंतुलनकारी योजनाएं मलेशिया में मौजूद होने के संबंध में अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से यह पाया गया है कि उस निर्यातक और मलेशिया की सरकार ने प्राधिकारी से सूचना को जान बूझकर छिपाया है और गलत सूचना प्रदान की है।
244. यह कि, प्रकटीकरण विवरण यह दर्ज करने में विफल रहा कि सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए कतिपय लाभ प्रतिस्थापित करने योग्य प्रकृति के हैं और इनका उपयोग समूह कंपनियों द्वारा किया जा सकता है और इसीलिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि सभी संगत कंपनियों का विश्लेषण उचित रूप से किया जाए। चूंकि मलेशियाई निर्यातकों ने संगत पक्षकारों और उन योजनाओं के नाम प्रदान नहीं किए हैं, जिनसे उन्होंने लाभ प्राप्त किया है, अतः उनके उत्तरों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

245. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्ति की प्रकृति के हैं और इन पर प्रकटीकरण विवरण में पहले ही विचार किया जा चुका है। उपरोक्त जांच परिणाम पक्षकारों के इन तर्कों को अपने आप स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के नीचे दिए गए अनुरोधों की उनकी संगतता के अनुसार जांच की है और उन पर कहीं भी विचार नहीं किया गया है।

प्राकृतिक गैस सब्सिडी

246. प्राधिकारी घरेलू उद्योग, सहयोगी निर्यातक और मलेशिया की सरकार के अनुरोधों को नोट करते हैं जो कि विभिन्न संस्थाओं को प्राकृतिक गैस के संबंध में प्रदान की गई सब्सिडी की व्यवस्था सहित उपलब्धता और मात्रा के संबंध में है। मलेशिया की सरकार ने अपने उत्तर में गैस की कीमत व्यवस्था प्रदान की है। तथापि, अनुरोध के बावजूद के जी सी पी टी व्यवस्था को स्पष्ट करने अथवा जांच की अवधि के दौरान जी सी पी टी व्यवस्था की बैठक से संबंधित कार्यवृत्त प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं। इससे प्राधिकारी व्यवस्था को समझ पाने में असमर्थ रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि मलेशिया की सरकार ने यह स्वीकार किया है कि गैस की कीमत बाजार में नियंत्रित होती है। इसके अलावा, डेस्क सत्यापन के दौरान सहयोगी निर्यातकों ने वास्तविक इनवाँयस भी दिखाए हैं जिनमें कि प्राप्त की गई गैस सब्सिडी राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जबकि प्रारंभ में गैस सब्सिडी मौजूद होने के संबंध में इंकार किया गया था। प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए इनवाँयस पर गैस सब्सिडी की वास्तविक राशि का पता लगाने पर उसके अनुसार गैस सब्सिडी मार्जिन की गणना की है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम के तहत निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी की राशि की पुष्टि करते हैं।

अग्रणी दर्जा प्राप्त कार्यक्रम (पी एस)

247. अग्रणी दर्जा प्राप्त कार्यक्रम के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण में इस योजना की प्रतिसंतुलनकारिता के संबंध में प्रस्ताव किया था। तथापि, किबिंग और मलेशिया की सरकार द्वारा अग्रणी दर्जा प्राप्त कार्यक्रम के संबंध में की गई प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी ने आयकर का भुगतान नहीं किया था क्योंकि उन्हें पूंजीगत भत्ता उपलब्ध था, जिस पर पहले ही इस जांच में गैर प्रतिसंतुलनकारी योजना के रूप में निर्णय लिया जा चुका है। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि किबिंग ने प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, अतः उनके द्वारा जांच की अवधि के दौरान इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है और इसीलिए उन पर अग्रणी योजना के तहत कोई लाभ लागू नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि इस योजना के प्रतिसंतुलनकारी होने के बावजूद, किबिंग के लिए किसी सब्सिडी राशि की सिफारिश नहीं की जा रही, क्योंकि उन्होंने इसका लाभ प्राप्त नहीं किया है।

निवेश कर भत्ता (आई टी ए)

248. जहां तक जिन्यी द्वारा इस तथ्य के संबंध में किए गए अनुरोध का संबंध है कि आई टी ए के तहत कोई लाभ उपलब्ध नहीं था, यह नोट किया जाता है कि प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध में प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए लाभ की राशि तक पहुंचने के लिए प्रयोग की गई कार्य प्रणाली पर विवाद था। इस प्रसंग में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों को देखते हुए, लाभ की पुनः जांच की है। इसका विश्लेषण करते समय यह पुष्टि की जाती है कि जिन्यी ने वास्तव में इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किए हैं क्योंकि इसका उनकी वार्षिक रिपोर्ट और उनके द्वारा दाखिल की गई आई टी आर में भी उल्लेख किया गया था। प्राधिकारी ने जिन्यी द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट और आय कर विवरणी पर भरोसा किया है।

249. इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि कंपनी ने *** आरएम की राशि दर्शाई है, जो विगत वर्ष से आगे लाई गई है और *** आरएम की राशि वर्तमान वर्ष की है, इस प्रकार कुल *** आरएम की राशि है, जिसका कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पाई है और इस धनराशि को आगामी वर्षों में इस्तेमाल किए जाने के लिए अग्रणीत किया गया। चूंकि योजना दिनांक 29 जनवरी, 2015 से 28 जनवरी, 2025 तक 10 वर्ष की अवधि तक के लिए उपलब्ध है और *** आरएम की कैरी फॉरवर्ड राशि का उपयोग करने के लिए प्रभावी रूप से केवल 6 माह ही शेष बचे है, तदनुसार, आई टी आर में दर्शाई गई निवेश भत्ते की बिना उपयोग के शेष बची राशि को छह साल की अवधि में प्रसारित किया गया है और तदनुसार सब्सिडी मार्जिन की गणना की गई है।

250. जिन्यी द्वारा उनके आई टी ए दावों और मलेशिया की सरकार को जुमाने सहित उसकी परिणामी राशि की वापसी के संबंध में किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि वापसी के दावों की इस अवस्था में इस कारण से पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि यह बाद में उत्पादक/ निर्यातक को प्राप्त नहीं है अथवा इसकी बहाली की अनुमति नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सहयोगी निर्यातक ने अपनी पूर्व टिप्पणियों के क्रम में,

यह अनुरोध किया है कि उनके लिए आई टी ए को बंद कर दिया गया है। तथापि, प्राधिकारी इस बाद की अवस्था में इस दावे की पुष्टि नहीं कर सके। इसके अलावा, इसके पूरे ब्यौरे भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि निर्यातक इस योजना के तहत भविष्य में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा तो निर्यातक संगत नियमों के अनुसार समीक्षा दाखिल कर सकते हैं। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया कि जिन्ही ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है।

बिक्री कर छूट

251. प्राधिकारी ने किबिंग और मलेशिया की सरकार द्वारा कार्यक्रम सं. 9, 11 और 12 के संबंध में तथा उसके तहत गणना किए गए मार्जिन के लिए किए गए अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी ने उनके स्पष्टीकरण और अनुरोधों पर विधिवत संज्ञान लिया है, जिन्हें सत्यापन की प्रक्रिया की अवस्था में स्पष्ट/ प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्राधिकारी ने इस संबंध में निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को समझने के लिए प्रयास किए हैं और तदनुसार 'एसएसटी1 और एसएसटी3' के संबंध में तथा 'पीटीसी1 और पीटीसी2' के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया है। प्राधिकारी ने प्रकटीकरण के उपरांत के विवरण की टिप्पणियों के आलोक में, एक्जिबिट-9 की पुनः जांच की है और यह पाया है कि 'पीओआई' में प्राप्त वास्तविक सब्सिडी शीर्षक के तहत बिक्री कर छूट की श्रेणी में उल्लिखित राशि एक्जिबिट-9 में उनके द्वारा दावा की गई और निर्यातक द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक सब्सिडी है। चूंकि निर्यातक ने स्वयं ही बिक्री कर छूट के तहत जांच की अवधि के दौरान प्राप्त सब्सिडी को स्वीकार किया है, अतः प्राधिकारी ने प्रश्नावली उत्तर में किबिंग द्वारा दावा की गई सब्सिडी राशि पर आधारित बिक्री कर छूट के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है।

स्पेयर्स और कंज्यूमेबल्स पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

252. प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत किबिंग द्वारा दाखिल किए गए उत्तर की जांच की है और 'एसएसटी1' तथा 'एसएसटी3' के संदर्भ में स्पष्टीकरण तथा इस संबंध में प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत किए गए समर्थक दस्तावेजों को नोट किया है। चूंकि 'एसएसटी1' और 'एसएसटी3' शब्द स्पेयर्स और कंज्यूमेबल्स पर बिक्री कर से संबंधित नहीं है, जैसा कि निर्यातक द्वारा स्पष्ट किया गया था, अतः प्राधिकारी द्वारा किबिंग के लिए इस योजना के प्रतिसंतुलनकारिता न होने के संबंध निर्णय लिया गया है और तदनुसार, इस योजना के लिए इन अंतिम जांच परिणामों में किसी सब्सिडी मार्जिन की गणना नहीं की गई है।

मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

253. प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के संबंध में किबिंग द्वारा दाखिल किए गए उत्तर की जांच की है और 'पीटीसी1 एवं पीटीसी2' शब्द की व्याख्या और इस संबंध में प्रकटीकरण के पश्चात की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों को नोट किया है। चूंकि 'पीटीसी1 और पीटीसी2' शब्द मशीनरी और उपकरण पर बिक्री कर के संबंध में नहीं है, जैसा कि निर्यातक द्वारा स्पष्ट किया गया था, अतः प्राधिकारी द्वारा किबिंग के लिए इस योजना के प्रतिसंतुलनकारिता न होने के संबंध निर्णय लिया गया है और तदनुसार, इस योजना के लिए इन अंतिम जांच परिणामों में किसी सब्सिडी मार्जिन की गणना नहीं की गई है।
254. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा तथ्यों को जान बूझकर छिपाने के लिए प्राधिकारी को गलत सूचना प्रदान करने संबंधी अनुरोध को नोट करते हैं और आगामी पैरा में इन चिंताओं का समाधान किया है।

निष्कर्ष

255. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए तथा प्राधिकारी के समक्ष उपरोक्त जांच परिणामों में दर्ज किए गए उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-
- विचाराधीन उत्पादकों सब्सिडी प्राप्त कीमत पर मलेशिया से भारत को निर्यात किया गया है।
 - घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की सब्सिडी के कारण पर्याप्त क्षति का सामना किया है।
 - मलेशिया के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण पर्याप्त क्षति हुई है।

विवरण	पाटनरोधी जांच में पाटन मार्जिन	पाटनरोधी जांच में पाटन मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन	पाटन मार्जिन + सब्सिडी मार्जिन	क्षति मार्जिन
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	***	***
अन्य	***	***	***	***	***	***

260. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि क्षति मार्जिन जो एक ही पीओआई होने के कारण पाटनरोधी जांच और एंटी-सब्सिडी जांच दोनों के लिए समान है, इसलिए सहयोग करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और सब्सिडी मार्जिन के जोड़ से काफी अधिक है। चूंकि अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन प्रतिशत पाटन और सब्सिडी मार्जिन के कुल प्रतिशत की राशि से कम है, इसलिए एंटी-सब्सिडी शुल्क उस राशि तक सीमित है जिसके द्वारा क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन, यानी ***%, से अधिक है।
261. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और मलेशिया की सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा सब्सिडी, मार्जिन और कारणात्मक संबंधों के पहलुओं पर सूचना/ साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। विनिर्दिष्ट नियमों के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंधों के लिए जांच शुरू करके और जांच पूरी करके तथा ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन और पर्याप्त क्षति प्रमाणित होने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि सब्सिडी और क्षति के प्रभाव को दूर करने के लिए निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए रूप में और तरीके से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
262. प्राधिकारी द्वारा कमतर शुल्क नियम का अनुसरण किए जाने के संबंध में प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने की दृष्टि से केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के समान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में यथा-उल्लिखित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका :

क. सं. (1)	शीर्ष/ उप शीर्ष (2)	समूह का विवरण (3)	मूलता का देश (4)	निर्यात का देश (5)	उत्पादक (6)	सीआईएफ मूल्य के % के रूप में शुल्क की राशि (7)
1.	7005	4 मि. मी. से 12 मि. मी. (दोनों शामिल) तक की सामान्य मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास बीआईएस 14900:2000	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	9.74%
2	- वही -	- वही -	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	11.15%
3	- वही -	- वही -	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्र. सं. 1 और 2 के इतर कोई कोई अन्य	4.02%

क. सं. (1)	शीर्ष/ उप शीर्ष (2)	समूह का विवरण (3)	मूलता का देश (4)	निर्यात का देश (5)	उत्पादक (6)	सीआईएफ मूल्य के % के रूप में शुल्क की राशि (7)
4	- वही -	- वही -	मलेशिया के अलावा कोई देश	मलेशिया	कोई भी	4.02%

- सीआईएफ मूल्य से तात्पर्य आकलन योग्य मूल्य से है, जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 (1962 का 52) के तहत यथा निर्धारित है।
- प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण आधारभूत सीमा शुल्क शून्य है और इसीलिए पहुंच मूल्य और सीआईएफ राशि समान होगी।
- यह स्पष्ट करने के लिए कि पाटनरोधी शुल्क और सब्सिडीरोधी शुल्क, दोनों कैसे संचालित होंगे, इसके लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया :-
 - ❖ यदि जिन्यी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत को किए गए निर्यातों का सी आई एफ/ पहुंच मूल्य यूएस डॉलर 250/ मी. टन है तो जिन्यी को 22.87 यूएस डॉलर/ मी. टन (यू एस डॉलर 272.87/ मी. टन घटा (-) 250 यूएस डॉलर/ मी. टन) पाटनरोधी शुल्क के रूप में और 24.35 यूएस डॉलर/ मी. टन (250 यूएस डॉलर/ मी. टन का 9.74%) प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में भुगतान करना है। निर्यात की इसी कीमत के साथ, अन्य उत्पादकों और निर्यातकों को एडीडी के रूप में 76/मीट्रिक टन (यूएस \$ 326/मीट्रिक टन ऋण यूएस \$ 250/मीट्रिक टन) और सीवीडी के रूप में यूएस \$ 10.05/मीट्रिक टन का भुगतान करना होगा।

आगे की प्रक्रिया

263. इन जांच परिणामों के कारण केंद्रीय सरकार के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
NOTIFICATION
(Final Findings)

New Delhi, the 29th December, 2020

(CASE No. CVD 04/2019)

Subject : Countervailing/Anti-subsidy investigation on the imports of Clear Float Glass originating in or exported from Malaysia.

A. BACKGROUND

- F. No.6/14/2019-DGTR-** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and Rule 18 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Countervailing Duty/ CVD Rules") thereof:
- Whereas, M/s Asahi India Glass Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Saint-Gobain Glass India Ltd. and M/s Siseecam Flat Glass India Ltd. (hereinafter also referred to as "the Applicants" had filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as "the Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time

(hereinafter also referred to as “the Act”) and the Countervailing Duty Rules, as amended from time to time for imposition of countervailing/anti-subsidy duty on imports of “Clear Float Glass” (hereinafter also referred to as “subject goods”) originating in or exported from Malaysia (hereinafter also referred to as the “subject country”).

3. And, Whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a Notification No. 6/14/2019-DGTR dated 1.10.2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged subsidy of the subject goods, originating in or exported from Malaysia, and to recommend the amount of anti-subsidy duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicants on behalf of the Domestic Industry, alleging subsidy of Clear Float Glass from Malaysia.
 - ii. The Authority notified the Government of Malaysia, through its High Commission in India about the receipt of the anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 6 of the Countervailing Duty Rules.
 - iii. The Authority invited the Government of Malaysia for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 17.9.2019 in New Delhi, which was attended by the representatives of the Government of Malaysia (hereinafter also referred to as “GOM”). The issues clarified by the GOM were taken on record.
 - iv. The Authority issued a notification dated 1.10.2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-subsidy/countervailing investigation concerning imports of the subject goods from Malaysia.
 - v. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to all known exporters of the subject goods, the Government of the subject country through their High Commission in India, and other interested parties about the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 7(2) of the Rules.
 - vi. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of Malaysia, through its High Commission and to other interested parties who made a request therefore in writing in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested. Also, in view of the global pandemic and physical inaccessibility, request was made to all the interested parties to share the non-confidential versions of their submissions with other interested parties via email.
 - vii. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating anti-subsidy investigation to the known producers / exporters in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to questionnaire in the form and manner prescribed within time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rules. The Authority sent Exporter’s Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with the Rules:
 - a. Kibing Group (M) Sdn. Bhd. (“Kibing”)
 - b. Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Xinyi”)
 - c. Sipex Glass
 - viii. The Governments of Malaysia, through their High Commission in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the High Commission along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

- ix. In response to the notification, following producers/exporters responded by filing Exporter's Questionnaire responses.
- a. Government of Malaysia
 - b. Kibing Group (M) Sdn. Bhd. (Producer / Exporter)
 - c. Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd. (Producer / Exporter)
- x. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating anti-subsidy investigation along with Importer's Questionnaire to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 7(4):
- a. Atlantic Trading – Mumbai
 - b. Kanch Ghar – Mumbai
 - c. Fishfa Glass – Mumbai
 - d. Samarth Industries – Mumbai
 - e. Prashanth Trading – Mumbai
 - f. Asmi Traders – Mumbai
 - g. Rajat Glass Traders – Karad
 - h. Chandan Glass Traders – Pune
 - i. Kochhar Glass Traders – Bhopal
 - j. Ganeriwala Brothers Pvt Ltd – Kolkata
 - k. Sure Safe Group/ Ganeriwala Glass Traders- Kolkata
 - l. M S Glass Traders- Kolkata
 - m. Glaze Architecture Pvt Ltd. - Kolkata
 - n. Glaze Infrastructure P Ltd.- Kolkata
 - o. Saraf Glass P Ltd. - Kolkata
 - p. GSC - Noida
 - q. Shiv Shakti - Roorkee
 - r. Ridhi Sidhi - Jaipur
 - s. Banaras Glass - Lucknow
 - t. T. L. Verma - Chandigarh
 - u. Jagdamba Glass - Delhi
 - v. Sheesh Mahal Tuff - Rohtak
 - w. Nutan Glass Hs(P) Ltd. - Bangalore
 - x. Mahaveer Glass Hs - Bangalore
 - y. Karnataka Metal Company - Bangalore
 - z. Impact Safety Glass (P) Ltd - Bangalore
 - aa. Southern Auto Products (P) Ltd. - Bangalore
 - bb. Tough Glass India- Bangalore
 - cc. Yesho Float Glass (P) Ltd. - Hyderabad
 - dd. Bhandari Glass Co. - Hyderabad
 - ee. Prakash Glass - Hyderabad
 - ff. Mahaveer Glass - Chennai

- gg. Mahaveer Mirror - Vishakhapatnam
 - hh. Uma Industries – Bangalore
 - ii. Jai Mirror Industries – Chennai
- xi. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known Association of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
- a. All India Flat Glass Manufacturers Association (AIFGMA)
 - b. ASSOCHAM
 - c. FICCI
 - d. CII
- xii. In response to the above, none of the importers/users have filed their submissions/representations in the above matter.
- xiii. The Authority made available non-confidential versions of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and from DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The exporters, during the discussions, submitted that they have exported float glass of various thicknesses under a particular invoice. However, the DGCI&S data has reported entire such quantity of that invoice under only one thickness head. This has impacted the CIF prices of their exports to India. After analysis of DG Systems data and exporters' questionnaire response, credence was found in the request of the exporters. In view thereof, after due examination of the transactions and required analysis, DG Systems data has been relied upon for computation of the volume and value of imports to correlate quantum of exports from specified exporters and validate responses filed, to the extent feasible.
- xv. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Subsidy duty lower than the injury margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvi. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from 1st April 2018 to 31st March 2019 (12 months). However, the injury investigation period covers the data of previous three years, i.e. April 2015 to March 2016, April 2016 to March 2017, April 2017 to March 2018 and POI.
- xvii. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 08.01.2020. Subsequently, another oral hearing was held on 15.07.2020 in view of the change of the Designated Authority, as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07.01.2011. All the parties who attended and presented their views in the oral hearings were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were provided an opportunity to submit their rejoinders thereafter. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed in these final findings.
- xviii. In accordance with the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 11.12.2020 and the interested parties were allowed time up-to 17.12.2020 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.
- xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered in this final finding.

- xx. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and disclosure statement has been recorded on the basis of the facts available.
- xxii. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted for the subject investigation is US\$1 = ₹70.85.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration (PUC) for the purpose of present investigation was defined as “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)”, the nominal thickness being as per BIS 14900:2000, originating in or exported from Malaysia.
6. Clear Float Glass is used in construction, refrigeration, mirror, solar energy industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes.
7. Float Glass is classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. However, the subject goods are also being imported under tariff sub-headings 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 and 7020. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

8. No submission has been made by the producers/exporters with regard to the scope of the product under consideration and like article.

Views of the Domestic Industry

9. The product under consideration (PUC) for the purpose of present investigation is “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)”, the nominal thickness being as per BIS14900:2000.
10. Clear Float Glass is used in construction, refrigeration, mirror and solar energy industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes.
11. Float Glass is classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. However, the subject goods are also being imported under tariff headings 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 and 7020. It is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way binding upon the product scope of the Customs Tariff Act, 1975.
12. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from Malaysia. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The applicants have claimed that the subject goods, which are being coming into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subsidized imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules.

Examination of the Authority

13. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)”, the nominal thickness being as per BIS14900:2000 (hereinafter referred to as the “subject goods”).
14. Clear Float Glass is used in construction, refrigeration, mirror and solar energy industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface, etc., the applications of the product have been increasing for different purposes and classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 and 7020 etc. The custom classification is indicative only and in no way binding upon the product scope of the Customs Tariff Act, 1975.
15. With regard to like article, Rule 2(ca) of the Anti-subsidy Rules provides as under:
"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."
16. It is noted that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry, and product under consideration exported from Malaysia. Subject goods produced by the Indian industry and imported from Malaysia are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from Malaysia within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-subsidy Rules.
17. No other argument has been made by any interested party on the product under consideration and like article issue. Therefore, it is confirmed that the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as mentioned in the initiation notification.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

18. The current application has been filed by M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Asahi India Glass Ltd., M/s Saint-Gobain Glass India Ltd. and M/s Siseecam Flat Glass India Ltd., who collectively command 85% share in Indian production of the subject goods during the period of investigation. As per the information available with the Authority there is only one other known producers of the product under consideration in the country i.e., M/s Gujarat Guardian Ltd. It is also noted that the said company has neither supported nor opposed to the present investigation.
19. As per the available information, the Applicants have neither imported the subject goods from Malaysia nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in Malaysia or any importer in India. Further, the Applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods.
20. In view of the above, and since none of the interested parties has made any submissions in relation standing of the Domestic Industry, the Authority the Applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY**Submissions made by exporters/importers and other interested parties**

21. The exporters/importers and other interested parties have claimed that the responses filed by them are as per the Trade notice. It is further claimed that they have filed the exact replica of the confidential version in the non-confidential version. Therefore, allegation of the Domestic Industry that they have not filed the proper non-confidential version is incorrect.
22. The application suffers from excessive confidentiality as Domestic Industry has claimed all the costing formats as confidential.

Submissions made by the domestic industry

23. Various submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality claims of the exporters/importers and other interested parties are as follows:
- i. Excessive confidentiality has been claimed by the exporters in as much as the non-confidential versions of the questionnaire response were not the exact replica of the confidential version filed by the exporters as required under the Rules and the instructions on the issue.
 - ii. Exporters / importers have even claimed confidentiality on the narrative portion of their response, which has made impossible for the Domestic Industry to defend their legitimate interest or to assist the Authority in the best possible manner.
 - iii. As far as their submissions of Applicants are concerned, confidentiality has been claimed in accordance with the provisions of Rule 7 of the Anti-subsidy Rules and the Trade Notices issued in this regard. Therefore, the claims of interested parties that the Applicants have claimed excessive confidentiality, are baseless.

Examination by the Authority

24. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Countervailing Duty Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, sub-rule (2) of rule 14, sub-rule (4) of rule 17 and sub-rule (3) of rule 19 copies of applications received under sub-rule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

25. Non-confidential version of the submissions by various interested parties were made available to the all the other interested parties through inspection of the Public file maintained by the Authority for the same and also through circulation via e-mail for their comments and record.
26. As regards the contentions with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

F. Assessment of subsidy – Methodology, Parameters, Countervailability and Subsidy margins

27. The petition filed by Domestic Industry provided prima facie evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country to initiate the instant investigation prior to initiation of investigation. Government of Malaysia was invited for consultation on 17.9.2019 in New Delhi. The producers and exporters from Malaysia were advised to file response to the questionnaire and

were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.

28. The following producers/exporters from Malaysia including the Governments of Malaysia have filed questionnaire responses.
- a. Government of Malaysia
 - b. Kibing Group (M) Sdn. Bhd. (Producer / Exporter)
 - c. Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd. (Producer / Exporter)

General overview of the alleged Subsidy Programs

Submissions made by domestic industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry:
- a. Response of Kibing Group cannot be accepted, as they have not provided the complete information of their related parties situated in Malaysia namely Kibing Energy Saving Glass Co., Ltd and CS Eco Glass (M) Sd. Bhd. Domestic Industry has further submitted that unless the data of Kibing Energy Saving Glass Co., Ltd and CS Eco Glass (M) Sd. Bhd. are not examined, the Authority would not be in a situation to calculate the total subsidy benefit availed by Kibing Group.
 - b. Response of Xinyi Smart Energy cannot be accepted, as they have not provided the information of their related companies situated in Malaysia namely Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd. (Xinyi Solar) and Xinyi Photovoltaic (Malaysia) Co., Ltd. (Xinyi Photovoltaic). Domestic Industry has further submitted that unless the data of Xinyi Solar and Xinyi Photovoltaic are examined, the Authority would not be in a situation to calculate the total subsidy benefit availed by Xinyi Smart Energy.
 - c. Exporters have stated "not applicable" in most of the schemes on the grounds that the company did not avail the specified programs. However, when a company is eligible for a program, there is no reason to believe that it would not have benefited under the alleged programs. Thus, either the company should show absence of eligibility or must demonstrate why it has not availed benefit that is available under the program.
 - d. The response filed by the Government of Malaysia should also not be accepted as they have not cooperated to the best of their ability. In this context, it is submitted that the Government of Malaysia has simply stated that information should be collected from the exporters, without providing specific information requested in the response.
 - e. In their response Government of Malaysia has not provided information relating to the companies under investigation as to which companies have applied for, claimed, received or used assistance stated. Moreover, information about their related companies and benefits availed by them also not been disclosed by the Authority. This non-submission of information relating to exporters of subject goods and their related entities vitiate the whole purpose of collecting response from Government of exporting country.
 - f. Government of Malaysia and exporters of the subject goods from Malaysia have not participated with clean hands and therefore, their responses need to be rejected and Domestic Industry should be protected to the full level of subsidy margins.

Submissions by the other interested parties

30. The following submissions have been made by the other interested parties:
- a. Article 11.3 of the SCM Agreement requires an investigating authority to review the accuracy and adequacy of the evidence provided in a petition in order to determine whether it is "sufficient" to justify the initiation of an investigation.
 - b. It must be noted that "prima facie" and "sufficient" are two completely distinct terms, imply different standards and are not interchangeable. Further, the petitioner could not establish the existence of the three elements comprising a countervailable subsidy, i.e. financial contribution by a government or public body; benefit; and specificity.

- c. The GOI's consistent use of a lower standard of assessment and its failure to first determine that the petition provides "sufficient evidence" of subsidization of the subject goods by exporting producers and resulting injury to the Indian industry is a fatal error.

Examination by the Authority

31. The Authority notes that the investigation was initiated for 20 schemes for which *prima facie* evidences were provided by the applicant to shows that the producers and exporters of the subject goods in Malaysia have benefited from a number of subsidies granted by the Government of Malaysia directly or indirectly. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; Provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc. In addition to 20 schemes, the exporter has provided one more scheme namely Licensed Manufacturing Warehouse Scheme. The Authority has thus analyzed the countervailability of all 21 schemes in the following paragraphs.

I. Schemes Identified as Grants

1. Subsidies on Natural Gas
2. The Market Development grant

II. Schemes Identified as Tax Incentive

3. Pioneer Status
4. Incentive for manufacturing and manufacturing related service in East Cost Economic Corridor
5. Investment Tax Allowance
6. Accelerated Capital Allowance
7. Double deduction for promotion of Malaysian brand
8. Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty
9. Sales Tax Exemption
10. Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities.
11. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables
12. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment
13. Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components
14. Double Deduction for Promotion of Exports
15. Double Deduction for Promotion of Export Cargo
16. Allowance for Increased Export
17. Tariff Related Incentive
18. Allowance for plants and Machinery

III. Schemes Identified as Export Credit and Export Financing

19. Export Credit Refinancing
20. Buyer Credit Guarantee

IV. Scheme Claimed by the Exporter

21. Licensed Manufacturing Warehouse
32. The Authority has examined the claims and counterclaims of all the interested parties with respect to specific schemes below:

Calculation Methodology

33. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

Schemes related information:**Program No. 1: Subsidies on Natural Gas****a. Submission of the Domestic Industry**

34. The Petitioner submitted that under this program, natural gas is provided at subsidized rate by the gas providing company to manufacturing sector and electricity producers. The Domestic Industry further submitted that this this subsidy is available for the industries engaged in manufacturing activities as well as to the electricity producers. This, in turn, while providing the industries in manufacturing sector access to cheap gas, leads to reducing the cost of electricity production. As per the petitioner, the electricity so produced is thereafter supplied to the manufacturing industries at cheap rate leading to substantial overall cost reduction. They submitted that Gas and electricity are critical components of manufacturing process in glass industry and thus, this scheme confers benefit upon the Malaysian producers. As per the petitioner, the gas company is compensated by the government to the extent of subsidization.
35. As evidence of existence of the program, Petitioners relied on:
- Annual report of the Gas company “Gas Malaysia Berhad”
 - Regulated and unregulated gas prices published by the energy commission of Malaysia.
 - Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

36. Prior to the Asian Financial Crisis of 1997-98, the gas price to downstream consumers in Malaysia was based on market value. Contractually, gas prices were linked to a substitute petroleum product. As part of the overall stimulus and recovery package implemented by the Government in response to the crisis, domestic gas prices were subsequently regulated. In October 2002, the Government began regulating the gas pricing for industrial sector where the gas prices for industrial sector were lower than the market price.
37. The price adjustments for industrial sector experienced eleven cycles of price revisions since 2014, with an increase of RM1.50/million British thermal unit (MMBtu) every six months. As of March 2019, the average gas tariff for industrial sector was RM***/MMBtu. The regulated gas price is expected to reach market price in 2020. In that note, current regulated gas price is slightly lower than the market price.
38. Currently, there are two categories of gas prices in Malaysia that are collectively referred to as the two-tiered pricing mechanism, namely regulated gas price and market-based LNG-indexed price. Under the regulated gas price regime, which only applies to customers with pre-existing contracts, the Government regulates the price of the gas supplied by PETRONAS and Gas Malaysia Berhad (GMB). On the other hand, LNG indexed pricing is applicable for all new volumes, including additional volumes from customers with pre-existing contracts.
39. In addition, the government has also prescribed the Incentive Based Regulation (IBR) framework which sets the base tariff for industrial customers for three years from January 2017 to December 2019. This IBR framework allows changes in the gas costs to be passed through via the Gas Cost Pass-Through (GCPT) mechanism every six months. GCPT is the mechanism to pass through the

gas cost differential which incurred due to the difference between gas cost forecasted in base tariff and actual gas cost. GCPT is implemented every 6 months in January and July. The rate will be either a rebate or surcharge.

40. The gas price charged to industrial customers is based on tariff category. All the customers in the same tariff category will be imposed the same price. Since this program is not available for industrial customers, no application process is applicable.
41. The exporters have further submitted that no subsidy is granted to the Gas suppliers since January 2020 and the same is verified from the invoices of the Gas companies. They have further submitted that all the existing Gas Malaysia Berhad (GMB) consumers will enjoy a fixed gas price for 2 years starting 1st January 2020 until 31st December 2021. The Government has fixed the consumer gas price at the average price of RM***/Mmbtu for the year 2020.
42. The exporters have further claimed that that Program No.1 cannot be regarded as countervailable, as GCPT is no longer applicable and the regulated gas prices have been matched with the unregulated gas price since January 2020 and hence no subsidy is given by the Government of Malaysia to Gas companies. Since Gas prices will not be regulated by GOM starting 1st January 2022, hence, no margin should be applied on account of Program No. 1.

c. Examination by the Authority:

43. Authority notes that this program is governed by Gas Supply Act,1993. The subsidy program allows regulated, more favourable rates of natural gas prices for industrial sector including the electricity sector. It is noted that the GOM admittedly provides subsidies to the gas supplying companies namely, PETRONAS and Gas Malaysia Berhad (GMB) which in turn supplies gas to the exporter at reduced rates. The difference is then recovered by the said company from the GOM. Thus, the Authority is of the view that there is a direct financial contribution by the GOM. Further, the response of GOM itself states that:

“The government has also prescribed the Incentive Based Regulation (IBR) framework, which sets the base tariff for industrial customers for three years from January 2017 to December 2019. This IBR framework allows changes in the gas costs to be passed through via the Gas Cost Pass-Through (GCPT) mechanism every six months. GCPT is the mechanism to pass through the gas cost differential which incurred due to the difference between gas cost forecasted in base tariff and actual gas cost. GCPT is implemented every 6 months in January and July. The rate will be either a rebate or surcharge”

44. As regards the contention of the GOM that the program is not available to the industrial customers, the Authority observes that the GOM has also not denied the existence of the subsidy element in the gas pricing mechanism which is supplied to the industrial producers. The Authority notes that it is not necessary for a subsidy to be countervailable that it should be made available to the concerned enterprise directly. In this context, it would be appropriate to refer to the definition of “subsidy” under Section 9(1) of the Customs Tariff Act, 1975, which reads as under:

9(1)Where any country or territory pays, bestows, directly or indirectly, any subsidy upon the manufacture or production therein or the exportation therefrom of any article including any subsidy on transportation of such article, then, upon the importation of any such article into India, whether the same is imported directly from the country of manufacture, production or otherwise, and whether it is imported in the same condition as when exported from the country of manufacture or production or has been changed in condition by manufacture, production or otherwise, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, impose a countervailing duty not exceeding the amount of such subsidy.

Explanation. - For the purposes of this section, a subsidy shall be deemed to exist if –

- (a) *there is financial contribution by a Government, or any public body [in the exporting or producing country or territory], that is, where –*
 - i. *a Government practice involves a direct transfer of funds (including grants, loans and equity infusion), or potential direct transfer of funds or liabilities, or both;*

- ii. *Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (including fiscal incentives);*
 - iii. *a Government provides goods or services other than general infrastructure or purchases goods;*
 - iv. *a Government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions specified in clauses (i) to (iii) above which would normally be vested in the Government and the practice in, no real sense, differs from practices normally followed by Governments; or.....*
45. From the above, it is clear that if a government ‘entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in points (i), (ii) and (iii) which would normally be vested in the government, and the functioning, in no real sense, differs from functions normally carried out by governments in terms of paragraph i-iii of Section 9(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975, then it is deemed to be a subsidy. These provisions mirror Article 1.1(a)(1)(iv) and (iii) of the SCM Agreement. Therefore, any program which allows even the private bodies to provide Gas for less than adequate remuneration to the industry, is covered by the definition of “subsidy” in terms of the above provisions.
46. The Authority further notes that the exporters initially denied any knowledge about the existence of the subsidy relating to natural gas. However, during the investigation, the Authority took note of the fact that subsidy element was mentioned on the Gas invoices raised by the Gas supplier to the exporters. The Authority, thereafter, checked the invoices for the relevant period and noticed that subsidy was indeed availed by the exporters of the subject goods.
47. The Authority has examined the countervailability of the scheme below:
- a. The response submitted by the GOM states that the gas prices in Malaysia are regulated by the Government.
 - b. The response submitted by the GOM acknowledges that there is a price differential in the market prices of gas and the prices of gas for industrial users.
 - c. Further, the response of GOM also states that the gas price charged to industrial customers is based on tariff category, indicating consumption-based tariff system.
 - d. The Authority notes that this scheme provide benefit to large numbers of the enterprises. However, while examining the scheme, the Authority observes that the Government of Malaysia’s natural gas regulation predominantly benefits the industries who uses gas as major input for manufacturing their product. Since Natural Gas is major input used in the furnace for melting raw material in Float Glass industry, the Authority considers this scheme to have been granted to a limited number of persons engaged in the manufacture or production of the product under consideration. It is also noted that natural gas constitutes substantial part of the total cost. The inherent characteristics of natural gas limits the possible use of the subsidy to few industries, but this does not mean that, in order to be specific, the subsidy must be further limited to a subset of any industry. It is therefore specific under Article 2 of the ASCM.
48. In view of the aforesaid, the Authority determines that the above program is countervailable and the element of the benefit is to be included in the overall subsidization.

Program No. 2: Market Development Grant (MDG)

a. Views of the Domestic Industry

49. The Petitioner submitted that the scheme is introduced by Malaysian Investment Development Authority (MIDA) for SMEs to promote export promotional activities. The maximum grant for an SME under the MDG program is RM 200,000. The SME should have been incorporated under the Companies Act, 1965 with at least 60% Malaysian equity ownership. The evidence and the legal basis are General Policies, Facilities, and Guidelines for Market Development Grants (MDG)-2016.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested

50. It is a continuous program structured under the 11th Malaysia Plan (2016 - 2020) for increasing the SME’s participation in export promotional activities.

51. The MDG provides an opportunity for Malaysian SMEs to apply for a reimbursable grant up to RM200,000 for participation in export promotional activities namely International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centers overseas.

c. Examination by the Authority

52. The Authority notes that Market Development Plan (MDP) was introduced in 2002. It is part of the 11th Malaysian Plan (2016-20). It is intended to increase participation of SMEs in export promotional activities. The MDP provides SMEs a reimbursable grant up to RM 2,00,000 for their participation in export promotional activities such as International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centres overseas.

53. The subsidy program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred to the recipient. The subsidy program is also specific because is contingent on export. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

Program No.3: Pioneer Status

a. Submission by the Domestic Industry

54. The Domestic Industry has submitted that under this program a company granted Pioneer Status will enjoy tax exemption from corporate income tax. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. Five-year partial exemption is provided from payment of income tax. A company pays tax on 30% of its statutory income, with exemption period commencing from its Production Day. Unabsorbed capital allowances and accumulated losses incurred during the pioneer period can be carried forward and deducted from post pioneer income of company. As evidence of existence of the program, petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- New and full notification pursuant to article xvi:1 of the GATT 1994 and article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures-Malaysia dt. 5 October, 2017
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986
- Laws of Malaysia Act 327 of Promotion of Investment act, 1986 Part-II Sec 5,6,7, deals with pioneer status
- Web Report: EXIM Bank's Export Credit Refinancing
- US Extruded through Malaysia

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

55. Companies are required to submit the applications for the Pioneer Status program to the Malaysian Investment Development Authority (MIDA), an agency under Ministry of International Trade and Industry (MITI). The company will then be required to get the Pioneer Certificate from MIDA. This is to ensure that the company has complied with the conditions imposed. After MIDA is satisfied that the company has complied with the conditions, MIDA will determine the production date for the company and determine the start and ending date of the program. Later, companies approved with the program submit their claims to the Inland Revenue Board together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax deductions. The applicants will need to go through the Approval Committee also.

56. The major tax incentives for companies investing in the agricultural and manufacturing sectors are the Pioneer Status and Investment Tax Allowance. These incentives are mutually exclusive. Sections 5-25 Promotion of Investments Act 1986 are evidence of the same. The benefit is an exemption from taxes owed. Also, losses can be carried forward.

57. The eligibility criteria for the Pioneer Status is based on criteria such as capital intensive, capable of generating significant linkages, import substitution, high value added, technology, green technology, job creation, contribution to the development of manufacturing support services and spillover effect to the country.

c. Examination by Authority

58. The Authority notes that Sections 5 to 25 of the Promotion of Investment Act 1986 provides for pioneer status program. The program provides for tax incentives in the form of exemption from income tax. Losses incurred during the exemption period can be carried forward for subsequent years to offset taxable income/net profit. It is noted from the responses on record that the eligibility is based on criteria such as capital intensive, capable of generating significant linkages, import substitution, high value added, technology, green technology, job creation, contribution to the development of manufacturing support services and spillover effect to the country

59. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is based on criteria listed above. In addition to that, the GOM stated that, "*The applicants will still need to go through the Approval Committee. Reasons for rejection can vary from applicants not able to meet the criteria stated above & some other relevant criteria set up by the Government.*" The Authority therefore, notes that the discretion of 'setting up of some other relevant criteria' exercised by the Government for selection or rejection of any company clearly lends specificity to the enterprises who get benefit under this scheme. Accordingly, the Authority determines this scheme as specific and countervailable.

60. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

Program No.4: Incentives for Manufacturing and manufacturing related services in East coast Economic Corridor

a. Submission by the Domestic Industry

61. The Domestic Industry has submitted that under this program, various tax exemptions-revenue foregone are given to a company, situated in East Coast Economic Corridor, involved in manufacturing of selected and agro-based products and manufacturing related services.

62. Customized incentives based on merit of each case, or, Income Tax exemption of 100% for 10 years starting from year company derives statutory income or Income Tax exemption of 100% on the qualifying capital expenditure for 5 years is given. Stamp duty exemption on land or building acquired for development and Import duty and sales tax exemption on machinery and consumables that are produced locally and used directly in the activity are also available.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

63. Tax Exemption may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia.

64. Companies are required to submit the applications for the tax exemption program to the East Coast Economic Region Development Council (ECERDC), an agency under MOF. The company will then be required to get the verification of compliance letter from ECERDC upon the company receiving the first statutory income for tax exemption will be issued upon the company meet all the conditions. After ECERDC is satisfied that the company has complied with the conditions, it will issue the said letter of which the company then can enjoy the incentive for the period of 10 years. Later, companies approved with the program will submit their claims to the IRB together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax exemption. The assistance is an exemption from taxes owed. There is a provision of losses and carry forward is allowed. Not all individuals/firms who applied and met eligibility criteria will be approved of the program. The applicants will need to go through Approval Committee.

65. The eligibility criteria for the program are:

- project is located in East Coast of Malaysia;
- value added; and
- level of technology as measured by the Managerial, Technical and Supervisory (MTS) Index.

c. Examination by Authority

66. The Authority notes that full income tax exemption is granted under this program to the company whose project is located in the east coast economic corridor and is intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia.
67. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to promoted products and also specific to region i.e. enterprise whose project is located in east coast economic corridor. Therefore, Authority holds that this scheme is a countervailing program. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

Program No.5: Investment Tax Allowance**d. Submission by the Domestic Industry**

68. The Petitioner submitted that under this program, a company granted Investment Tax Allowance (ITA) is entitled to offset this allowance against the statutory income for each year of assessment. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector, that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. An allowance of 60% on its qualifying capital expenditure incurred within 5 years from the date the first qualifying capital expenditure is incurred is given. Company can offset this allowance against 70% of its statutory income for each year of assessment. Remaining 30% of its statutory income will be taxed at the prevailing company tax rate. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- New and full notification pursuant to article xvi:1 of the GATT 1994 and article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures-Malaysia dt. 5 October, 2017
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

e. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

69. Investment Tax Allowance (ITA) may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia. Promoted activities and promoted products are determined and gazetted by the Minister of International Trade and Industry. Sections 26 – 29 of the Promotion of Investments Act 1986 (Act 327) are evidence of the same.
70. The allowance is only given on capital expenditure incurred on industrial buildings, plant and machinery directly used for promoted activities or the production of the promoted products. Companies are required to submit the applications for ITA program to MIDA, an agency under MITI. The company will then be required to establish the commencement of ITA period which is on the incurrence of the first capital expenditure duly certified by MIDA. Later, companies approved with the program submit their claims to the Inland Revenue Board (IRB) together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax deductions.
71. The eligibility criteria for the ITA are value added (VA) percentage and level of technology as measured by the MTS Index.
72. Not all individuals/firms who applied and met all the eligibility criteria are approved. The applicants will need to go through the Approval Committee. The assistance is a deduction from taxable income. The allowance can be carried forward until fully utilized.
73. A company can elect to receive Pioneer Status but not receive the Investment Tax Allowance, or can elect to receive the Investment Tax Allowance, but not Pioneer Status.

f. Examination by Authority

74. Authority notes that Sections 26 to 29 of the Promotion of Investments Act 1986 provides for Investment Tax Allowance program. Promoted activities and promoted products are granted capital allowance. Value addition and technological requirements are also to be fulfilled. Out of the total capital expenditure, 60% of the capital expenditure is granted as allowance and can be deducted against 70% of statutory income for 5 years. Remaining income can be taxed at normal income tax rate. It is noted from the responses on record that the eligibility is based on criteria such as capital intensive, capable of generating significant linkages, import substitution, high value added, technology, green technology, job creation, contribution to the development of manufacturing support services and spillover effect to the country.
75. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is based on criteria listed above. In addition to that, the GOM stated that, “*The applicants will still need to go through the Approval Committee. Reasons for rejection can vary from applicants not able to meet the criteria stated above & some other relevant criteria set up by the Government.*” The Authority, therefore, notes that the discretion of ‘setting up of some other relevant criteria’ exercised by the Government for selection or rejection of any company clearly lends specificity to the enterprises who get benefit under this scheme. Accordingly, the Authority determines to treat this scheme as specific and countervailable.
76. The Authority further notes that under this scheme, Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd. has got income tax exemption and therefore, the Authority is of the view that countervailing duty should be imposed against this subsidy programs for Xinyi Energy Smart. Accordingly, the Authority determines this scheme as specific and countervailable. It is further noted that although the allowance can be carried forward until fully utilized, this scheme is valid only for the period of 10 years and accordingly, the Authority has calculated the benefit under this scheme. It is noted that the benefit under this program is not availed by the M/s Kibing, the cooperating exporter.

Program No. 6: Accelerated Capital Allowance**a. Submission by Petitioners**

77. The Domestic Industry has submitted that under this program a special allowance, where the capital expenditure is written off within 3 years, i.e. an initial allowance of 40% and an annual allowance of 20%, is given. After the 15-year period of eligibility for Reinvestment Allowance, companies that reinvest in the manufacture of promoted products are eligible to apply for Accelerated Capital Allowance. Applications have to be submitted to the IRB accompanied by a letter from MIDA certifying that the companies are manufacturing promoted activities/products. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

78. Accelerated Capital Allowance (ACA) provides allowances to write off the capital expenditure within three years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent. This program is available to all companies and the IRB applies objective criteria in granting ACA. Program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available. The assistance is an accelerated capital allowance to be deducted from taxable income. The allowance can be carried forward. Generally, to be eligible for accelerated capital allowance (ACA), a person must meet the following conditions:

- He was carrying on a business during the basis period
- He has incurred qualifying expenditure in the basis period
- The asset was used for purposes of a business, and
- At the end of the basis period, he was the owner of the asset and the asset was in use

79. The companies under investigation will be eligible to claim ACA if they fulfil the criteria and government doesn't exercise discretion as to which firm is eligible to benefit.

c. Examination by Authority

80. Authority notes that the program provides for capital allowance i.e. deduction of capital expenditure from statutory income to promoted activity after the expiry of 15 years of reinvestment allowance period. The program allows to write off the total capital expenditure within three years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent in the next two years.

81. Authority notes that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to certain enterprise carrying out promoted activity that qualify for using this allowance and does not qualify for re-investment allowance on account of expiry of 15 years period of eligibility. Therefore, Authority holds this program as countervailing program.

82. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

Program No 7: Double deduction for promotion of Malaysian Brand

a. Submission by Petitioners

83. The Domestic Industry has submitted that under this program, expenditure incurred on advertising local brand products domestically is allowed double deduction i.e. expenses incurred on certain activities can be set off twice as against taxable profits. The local brand must be owned more than 50% by the registered proprietor of the Malaysian brand name which should be owned by a company that's locally incorporated with at least 70% Malaysian owned and registered in Malaysia or overseas. The deduction can only be claimed by one company in a year of assessment. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on

- Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax promotion of export rules 1986
- Inland Revenue Board of Malaysia Public Ruling No.1/2013
- Malaysian External Trade Development Corporation

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

84. Expenditure for qualifying advertisements in advertising Malaysian brand name goods is eligible for a double deduction in arriving at adjusted income from a business. Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002 are given in evidence. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred within Malaysia for advertising Malaysian brand goods. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB. The claim can be made in the annual tax returns for the fiscal year (basis period) in which the expenditure is incurred. The companies under investigation will be eligible to claim the deductions if they fulfill the criteria. The assistance is a deduction from taxable income. The deduction can be carried forward. No changes are anticipated to the program.

c. Examination by Authority

85. The Authority notes that this program is governed by Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002. Under this program, expenditure incurred in advertising Malaysian brand is eligible for double deduction from business income. To qualify for this double deduction, the company must have 70% Malaysian equity and the brand name should be of goods of export quality.

86. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to enterprise that incur expenses on advertising Malaysian brand. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

Program No. 8: Drawback on Import duty, Sales tax and Excise duty**a. Submission by the Domestic Industry**

87. The Domestic Industry has submitted that under this program, drawback on import duty, sales tax and excise duty that have been paid may be claimed by a manufacturer if the parts, raw materials or packaging materials are used in the manufacture of goods for export within a year based on conditions stipulated in the acts. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on
- Section 99 of the Customs Act 1967
 - Section 29 of the Sales tax Act 1972
 - Section 19 of the Excise Act 1976

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

88. Program provides for Duty Import Refund on imported goods that are subsequently reexported. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). No changes are anticipated to the program. Companies are required to submit the applications for Drawback under sections 93, 95, 99 of Customs Act 1967 to Royal Malaysian Customs Department (RMCD). Then the companies are required to provide proof of import/export declaration and relevant import/export documents. RMCD will verify the documents before refund is made or disapprove.

c. Examination by Authority

89. Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Custom Department. The program provides import duty refund on goods that are subsequently reexported. It is however, noted that the Government of Malaysia has not indicated the mechanism of providing duty drawback. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

Program No. 9: Sales Tax Exemption**a. Submission by the Domestic Industry**

90. The Domestic Industry has submitted that in order to reduce cost of doing business and enhance competitiveness the government has exempted the sales tax. This program is approved and administrated by RMCD and established in 1.9.2018. The Domestic Industry has submitted that under this scheme manufacturers with an annual sales turnover of less than RM 100,000 are exempted from licensing and are thus exempted from paying sales tax on their output. However, these manufacturers can opt to be licensed and obtain sales tax exemption on their inputs instead.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

91. The program provides exemption from payment of sales tax. There are persons or manufacturers who are exempted from paying sales tax on importation and purchase of locally manufactured goods under Sales Tax (Person Exempted from Payment of Tax) Order 2018. Exemptions are classified into three (3) schedules as below:
- i. Schedule A - Class of persons that meets the criteria and conditions;
 - ii. Schedule B - Manufacturer of specific non-taxable goods exemption of tax on the acquisition of all goods excluding petroleum to be used solely and directly in manufacturing non-taxable goods activities;
 - iii. Schedule C - Registered manufacturer of taxable goods exemption of tax on the acquisition of raw materials, components and packaging materials to be used solely and directly in manufacturing of taxable goods.

c. Examination by Authority

92. Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Custom Department. The program provides exemption from payment of sales tax, who meets the eligibility criteria and conditions as submitted by the Government. This program provides exemption of Sales tax due to the exporters which is otherwise due. The program is also specific because it is available to certain

enterprise who meet the eligibility criteria. Therefore, this program is noted to be countervailable. It is also noted that both the cooperating producers and exporters have availed this benefit.

Program No. 10: Exemption from Import duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activity

a. Submission by Domestic Industry

93. The Domestic Industry has submitted that under this program, to reduce cost of doing business and enhance competitiveness, import duty and sales tax exemption are given to Malaysian brands with at least 60% Malaysian equity who outsource manufacturing activities. Import duty and sales tax exemption on raw materials and components used in manufacturing of finished products by their contractual manufacturers locally/abroad and import duty and sales tax exemption on semi-finished goods from their contract manufacturers abroad to be used by their local contract manufacturers to manufacture finished products are available. As evidence of existence of the program, Domestic Industry have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

94. The program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD, MIDA and IPC. Section 14(2) Customs Act 1967 is given as evidence. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from scheme and the authorities do not exercise discretion. No changes are anticipated to the program.

95. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annex I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition).

96. To qualify for the exemption,

- Imported raw materials and components which are used to manufacture finished products with nil import duty.
- Semi-finished products which are imported from contract manufacturers abroad and are used in the manufacture of finished products by local contract manufacturers.

c. Examination by Authority

97. Authority notes that Section 14(2) Customs Act 1967 governs the administration of the program. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority. The program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. Raw materials which are used in the production of exported product and semi-finished goods which are imported from contract manufacturers for use by local manufacturers qualify for this exemption. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi have not availed any benefit under this scheme.

Program No. 11: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables

a. Submission by the Domestic Industry

98. The Domestic Industry has submitted that since it is the policy of the government not to impose taxes on spares and consumables used directly in manufacturing process where import duties are nil process and not produced locally, tax exemption-Revenue forgone is given where imported spares and consumables are taxable but not available locally. Full exemption is given on import duty and sales tax. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

99. The program provides import duty exemption on spares and consumables to qualified manufacturer. MIDA issues a letter to confirm the status of the manufacturer. The program involved evaluating import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. A committee on duty exemption is established

with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD, MIDA and IPC. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. No changes are anticipated to the program. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The laws and regulations governing this program are contained in Customs Duties (Exemption) Order 2017.

c. Examination by Authority

100. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on spares and consumables. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority (MIDA). The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is subject to fulfillment of certain criteria. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi have not availed any benefit under this scheme.

Program No. 12: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment

a. Submission by the Domestic Industry

101. The Domestic Industry has submitted that since it is the policy of the government not to impose taxes on machinery and equipment used directly in manufacturing process and not produced locally, tax exemption-Revenue forgone is given where imported machinery and equipment are taxable but not available locally. Full exemption is given on import duty and sales tax. For locally purchased machinery and equipment full exemption is given on sales tax. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

102. The program provides import duty exemption on machinery and equipment to qualified manufacturer. MIDA issues a letter to confirm the status of the manufacturer. The manufacturer then claims for exemption. To qualify for the exemption, the machinery and equipment must be new, unused and directly used in the manufacturing process of the finished product at the approved manufacturer's premise(s). All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. No changes are anticipated to the program. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The laws and regulations governing this program are contained in Customs Duties (Exemption) Order 2017.
103. The companies under investigation conformed with the eligibility criteria which are under MIDA's purview.

c. Examination by Authority

104. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on new and unused machinery and equipment to qualified manufacturer. There is no exemption from sales tax during the POI because Sales Tax Act 1972 [Act 64] was repealed with the enactment of the Goods and Services Tax Act 2014 [Act 762] entered into force 1 July 2014. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority.
105. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to certain enterprises that import new machinery and equipment for manufacturing activity. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi has not availed any benefit under this scheme.

Program No. 13: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components

a. Submission by the Domestic Industry

106. The Domestic Industry has submitted that under this program, full exemption from import duty on raw materials/components is normally granted, provided raw materials/components are not

produced locally or if produced locally, they aren't of acceptable quality and price. This is regardless of whether the finished products are meant for export or domestic market. The eligibility is that the companies should be involved in manufacturing activities.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

107. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on raw material and components. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD and MIDA. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The companies under investigation conformed with the eligibility criteria which are under MIDA's purview

c. Examination by Authority

108. Authority notes that the program is governed by Section 14(2) of Customs Act 1967. The program provides for import duty exemption to the qualified manufacturer on raw materials / component that are not locally available.

109. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to an enterprise that uses raw material that are not locally available. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi have not availed any benefit under this scheme.

Program No. 14: Double Deduction for Promotion of Exports

a. Views of the Domestic Industry

110. The Domestic Industry has submitted that under this program tax deduction is given to exporters for expenses which are aimed at promoting exports and supply of goods overseas, cost of maintaining office overseas for purpose of promotion of services, publicity and advertisements in any media outside Malaysia for promotion of export of services and Page 59 of 139 export market research. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- Section 41 of Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax promotion of export rules 1986
- WT/TPR/S/292
- WTO-Notification-G/SCM/N/3/MYS-1995
- US carbon steel wire rod from Malaysia

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

111. The program which is provided under section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) read together with rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986 is applicable to all resident trading, manufacturing or agricultural companies in respect of expenses incurred in the basis period primarily and principally for the purpose of seeking opportunities, or in creating or increasing a demand for the export of Malaysian manufactured goods or agricultural products. This program's focus is on supporting Malaysian companies' participation in eligible export promotional activities, not on their goods' export performance or on the use of domestic good. All firms which can meet the eligibility criteria can benefit from this program. The companies under investigation will be eligible to claim the deductions if they fulfil the criteria. There are no anticipated changes to the program. The deduction can be carried forward.

112. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred overseas for advertising, travelling and related export promotional expenditure. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB.

113. In the case of participation in an international trade fair, companies are required to get a letter of approval from MATRADE.

c. Examination by Authority

114. Authority notes that the program is governed by Section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) & Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986. Under this program double deduction from income to enterprise involved in manufacturing, trading and agricultural activities is available for expenses incurred for promotion of export. Expenses incurred by a company for increasing demand for exports are allowed for double deduction.
115. The Authority notes that the program provides for financial contribution the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The benefit is the difference between the amount of income tax paid after double deduction and the amount of income tax that would have been payable in absence of such double deduction. The program is also specific because it is contingent on export performance and is limited to enterprise engaged in export promotion activity. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi have not availed any benefit under this scheme.

Program No. 15: Double Deduction for Promotion of Export Cargo**a. Submission by the Domestic Industry**

116. The Domestic Industry has submitted that under this program an exporter may make a deduction from taxable income for premium insurance on export cargo and regional tax deduction for tax insurance. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on
- Promotion of Investment Act, 1986
 - Income tax promotion of export rules 1986
 - Tax incentives for Companies
 - Other Authority findings

b. Submission by Government of Malaysia/Other interested parties

117. A double deduction is allowed to a person who incurs premium on the insurance of cargo exported from Malaysia provided that the risks are insured with an insurance company incorporated in Malaysia. The premium paid must be in accordance to section 33 of Income Tax Act 1967. The assistance is a deduction from taxable income. The deduction can be carried forward.
118. This program has been revoked since 2016. Income Tax (Deductions of Insurance Premiums for Exporters) (Revocation) Rules 2012 is given as evidence.

c. Examination by Authority

119. The Authority notes that the program was governed by Income Tax (Deductions of Insurance Premiums for Exporters) Rules 1995 and is revoked by Income Tax (Deductions of Insurance Premiums for Exporters) (Revocation) Rules 2012 since 2016.

Program No. 16: Allowance for Increased Export**a. Submission by the Domestic Industry**

120. The Domestic Industry has submitted that this program is a form of tax incentive granted to companies under section 154(1) of Income Tax Act 1967 and Rule 3 of Income Tax (Allowance for increased exports) Rules 1999 and Income Tax (Allowance for increased exports) amendment Rules 2003. An exporter can avail 70% tax deduction from taxable income for increased exports. Also, if the said allowance is not used during the earned year that can be forwarded to the following assessment year. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:
- Promotion of Investment Act, 1986
 - Income tax act 1967
 - Customs Act 1967
 - Sales tax Act 1972
 - Excise Act 1976
 - Free zones act 1990

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

121. A resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The assistance is an exemption from taxable income. The allowance can be carried forward. There are no anticipated changes to the program. Income Tax (Allowance for Increased Exports) Rules 1999 is given in evidence. The Rules contain the following definitions:

- a. agricultural produce means fresh and dried fruits, fresh and dried flowers, ornamental plants and ornamental fish, frozen raw prawn or shrimp, frozen cooked and peeled prawn and frozen raw cattle fish and squid;
- b. export means direct exports not including sales to Free Industrial Zones and Licensed Manufacturing Warehouses; Page 62 of 139
- c. value added means the sale price of goods at ex-factory price less the total cost of raw materials; and
- d. value of increased export means the difference of the Free-On-Board (FOB) value of products exported in the basis period and that of the immediately preceding period. FOB value will exclude the freight charges and insurance cost.

122. The allowance is determined as follows:

a. Manufactured products

- ❖ 10% of the value of increased exports of the manufactured products by the company where the products exported attained at least 30% of value added;
- ❖ 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company where the products exported attained at least 50% of value added.

b. Agricultural products

- ❖ 10% of the value of increased exports of agricultural produce by the company.

123. The allowance will be given against seventy per cent of statutory business income of the company. Any export allowance not set off would be carried forward to be set-off against seventy per cent of the statutory income in future years.

c. Examination by Authority

124. Authority notes that a resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The allowance is equivalent to 10% or 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company. Allowance will be given against 70% of the statutory business income.

125. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific because it is contingent on export performance. Therefore, Authority holds that this scheme is a countervailing scheme. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi has not availed any benefit under this scheme.

Program No. 17: Tariff Related Incentive**a. Submission by the Domestic Industry**

126. The Domestic Industry has submitted that under this program, full exemption from import duty on raw materials/components is normally granted, provided raw materials/components are not produced locally or if produced locally, they aren't of acceptable quality and price. This is regardless of whether the finished products are meant for export or domestic market. The eligibility is that the companies should be involved in manufacturing activities.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

127. The subsidy program is same as program No. 13. (Double Deduction for Promotion of Exports)

c. Examination by Authority

128. The Authority notes that the program is administered by Director General of Customs. The program provides import duty exemption on raw material / component to qualified manufacturer. Exemption is granted when the raw materials / components are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premise(s).
129. The Authority notes that the program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program does not qualify to be permissible duty remission program because it provides exemption from import duty for raw material used in all kinds of manufacturing activities and not only for raw materials used in exported products, as provided in footnote 1 of the SCN Agreement and Section 9B(b) of the Customs Tariff Act. The program is specific because it is limited to enterprise that use raw materials that are not available locally. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi has not availed any benefit under this scheme.

Program No. 18: Allowance for plants and Machinery**a. Submission by Domestic Industry**

130. The Domestic Industry has submitted that Capital allowance is to give relief for wear and tear of fixed assets for business. It is further submitted that the expenditure must be capital in nature and used for business purpose. Costs of assets used in business such as plants and machinery, office equipment, furniture, fittings, motor vehicles etc.
131. Under this scheme initial allowance is fixed at 20% based on the cost of the asset at the time when the capital expenditure is incurred. Annual allowance is a flat rate given every year based on the original cost of the asset and varies accordingly.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

132. Capital allowance (CA) is deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. CA is given only in respect of a business source and the person who incurs the qualifying expenditure is eligible to claim the allowance. CA is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method on the basis of a prescribed rate of allowance. All companies that meet the eligibility criteria can claim the CA. This program is available to all companies and the IRB applies objective criteria in granting CA. Thus, this program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available

c. Examination by the Authority

133. The Authority notes that the program is administered by Inland Revenue Board of Malaysia. According to the record companies / person carrying business or incurs capital expenditure on plant and machinery or the plant and machinery must be used in that business and owner of the plant and machinery at the end of basis period can avail benefit under this scheme. The benefit is the additional capital allowance claimed by the company. To the extent of the capital allowance, the cost will be more, profit will be low. Therefore, the incidence of the tax will be lower. The program is also specific because it is available only on fulfillment of certain eligibility conditions and not to all the companies. Therefore, Authority holds that this scheme is a countervailing scheme
134. Authority notes that capital allowance provides deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. It is given to enterprise that incurs the qualifying expenditure. It is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method based on a prescribed rate of allowance.
135. Authority notes that this program does not provide countervailable benefit because it provides for normal deduction of depreciation on plant and machinery as per straight line method to all enterprise. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi has not availed any benefit under this scheme.

Program No. 19: Export Credit Refinancing**a. Submission by the Domestic Industry**

136. The Domestic Industry has contended that this scheme is in the form of export credit. It is a short term and post shipment financing to direct and indirect exporters. Exporters can obtain financing up to 95% of the value of their export order.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties.

137. Export Credit Refinancing (ECR) scheme is used to promote Malaysia's exports and international trade in the form of Pre-shipment and Post-shipment financing. ECR is available to all companies incorporated in Malaysia and involved in export activity.

138. The operational procedure of the ECR Scheme is governed by the ECR Guideline which is issued by EXIM Bank.

c. Examination by the Authority

139. The Authority notes that the program is administered by Export-Import Bank of Malaysia (EXIM Bank). Export credit refinancing program provides loan to enterprise to finance export of products. The program is governed by Export Credit Refinancing guideline issued by the Bank, which provides for eligibility criteria including eligibility of product (negative list of products which is maintained by bank) for the purpose of the program. The subsidy program is not restricted to any particular sector and is available to all companies incorporated in Malaysia.

140. EXIM Bank is a government-owned Development Financial Institution. It is a wholly owned subsidiary of the Minister of Finance Incorporated (Inc.). As an agency under the purview of the Ministry of Finance, EXIM Bank's mandated role is specified by the Government. It is to provide credit facilities to finance and support exports and imports of goods, services and overseas projects with emphasis on non-traditional markets, providing export credit insurance services, export financing insurance, overseas investments insurance and guarantee facilities.

141. The Authority determines that EXIM Bank is a public body because it is owned by Government and is vested with the Government Authority to carry out governmental functions. Accordingly, the loan provided by EXIM Banks are financial contribution in the form of direct transfer of funds by a public body. The benefit conferred on the recipient is in the form of difference between the amount of interest charged by the EXIM bank and the amount of interest charged by the comparable commercial loan. The program is also specific because it is contingent on export. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi has not availed any benefit under this scheme.

Program No. 20: Buyer Credit Guarantee**b. Views of the Domestic Industry**

142. The Petitioner submitted that under this program the overseas buyers are backed by EXIM Bank's unconditional and irrevocable guarantee in which lending bank is guaranteed repayment of due and interest amount. Malaysian exporter can help the overseas buyer to secure a long-term financing with a lender using the BCG. Malaysian exporter is paid as if he has a cash contract, whilst the overseas buyer has time to pay the contract through financing secured from the lender which is backed by EXIM Bank's guarantee. The evidence given is Buyer Credit Insurance by EXIM Bank. The loan amount under this program must be minimum value of RM 2mn in support of a cash contract and the repayment period should be at last 2 years and maximum 15 years.

b. Submission by Government/other interested parties

143. Bankers Trade Credit Takaful (BTCT) is a Credit Takaful designed to protect the Islamic Financial Institutions (IFIs) against risk of non-payment by their exporters arising from Page 45 of 139 default by the overseas buyers. It's available against a trade finance facility on trade terms such as Open Account, Documentary Collection and/or Letter of Credit.

c. Examination by Authority

144. The Authority notes that the program is administered by Exim Bank. There is no law or legal regulation governing the program.
145. The Authority has already determined that EXIM Bank is a public body. Under this program, EXIM Bank provides guarantee to financial institutions against risk of non-payment by their exporters (customers) because of default arising from overseas buyers. The program provides for financial contribution in the form of potential direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The benefit conferred on the recipient is equivalent to (i) the difference between the fee paid by the recipient for availing guarantee from EXIM Bank and the fee that would have been paid to any other commercial bank for such guarantee and (ii) the difference between the loan repayment to the lending bank in question (owing to less than normal commercial interest rate because of EXIM bank guarantee) and the amount that would have been payable in absence of such guarantee (based on normal commercial interest rate). The subsidy program is also specific because it is contingent on export. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the Authority notes that both the exporters Kibing and Xinyi has not availed any benefit under this scheme.

Program No. 21: Licensed Manufacturing Warehouse (LMW)**a. Views of the Domestic Industry**

146. This program was disclosed through the questionnaire response of the exporter as well response of GOM. The Domestic Industry has further submitted that since this scheme provides benefit of duty exemption, which is not recorded in the books of the company and therefore, proper documents and information should be called for from the Government of Malaysia and Xinyi Smart. If the finds any mismatch, the response of this scheme should be rejected, and the Authority should use best facts available to calculated subsidy duty for this program.

b. Submission by Government/other interested parties

147. Section 65 of the Customs Act 1967 provides for storage of dutiable goods and Section 65A of the Customs Act 1967 provides for manufacturing process to be carried out in licensed warehouses. Licensed Manufacturing Warehouses (LMW) can be set up in Principal Customs Area (PCA) i.e. any part of Malaysia excluding a free zone, Labuan and Langkawi. Manufacturing operations therein are subjected to customs procedures.
148. Exemption from customs duties and sales tax is given to all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products regardless of whether the finished products are meant for export or local market from the initial stage of manufacture until the finished products. This includes packaging materials and casings. Further, only machinery and equipment required for direct manufacturing process of approved final products are eligible for exemption from customs duty and sales tax.
149. Machinery/equipment used directly in the manufacturing process in the LMW is exempted from import duty/sales tax regardless of whether the finished products are meant for export or local market.

c. Examination by Authority

150. The Authority notes that the program is administered by Royal Malaysian Customs Department. The program is governed by Section 65 and Section 65A of the Customs Act, 1967.
151. The Authority notes that under this program exemption from customs duties and sales tax is given to all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products. It is noted from the responses of the cooperating exporter and GOM that only machinery and equipment required for direct manufacturing process of approved final products are eligible for exemption from customs duty and sales tax under this program. Further, machinery/equipment used directly in the manufacturing process in the LMW is exempted from import duty/sales tax.
152. The Authority notes that this program provides exemption of customs duty and Sales tax on all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products. The subsidy program is also specific because it is contingent on product/enterprise. Therefore, Authority holds that this scheme is a countervailing scheme

153. Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd. Has also admitted receiving benefit under this program and therefore, the Authority confirms receipt of benefit under this Program for Xinyi. It is however noted that Kibing has not availed any benefit under this scheme.

Producers Exporters from Malaysia

Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd

154. Xinyi is cooperating producer / exporter of the subject goods from Malaysia and export the subject goods directly to India. Xinyi has filed responses to the questionnaire, and has provided information regarding the subsidy programs availed by them.
155. The Authority has verified the information provided by both the companies and determined subsidy margin for programs mentioned in the Table below for which benefit was received or accrued during the POI. The Authority has also determined that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to both Xinyi as a recipient of following program. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including Xinyi.
156. The Authority further notes that with respect to Program no. 1, no claim on receipt/non-receipt of subsidy on natural gas has been made by the cooperating exporter in its response whereas the Government of Malaysia has admitted that gas prices in Malaysia are regulated. However, during the desk verification, Xinyi provided documents which showed that the company is availing subsidy benefits.
157. The Authority has considered the subsidy amount specifically mentioned in invoices raised by the gas companies to both Xinyi and Kibing for computing the amount of subsidy margin for Gas subsidy. The total subsidy amount was then determined for the POI, which was then divided by the total sales quantity of the respective companies to arrive at subsidy amount per MT. This per MT subsidy margin was divided by the CIF price per MT of the respective companies to arrive at the subsidy as a % of CIF price to India for both the cooperative companies. Since no other producer / exporter has participated in the investigation, the Authority has applied best facts to arrive at the subsidy margin for all other Malaysian producers of the subject goods.
158. With respect to Program no. 9, the Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Custom Department. The program provides exemption from payment of sales tax, who meets the eligibility criteria and conditions. The Authority has also noted that Float Glass was not under the specific exempted list published as 'SALES TAX (GOODS EXEMPTED FROM TAX) ORDER 2018 DISIARKAN OLEH/PUBLISHED BYJABATAN PEGUAM NEGARA/ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS'. The Authority notes that Xinyi is situated in designated tariff area. Since this tax exemption is provided because Xinyi is situated in a particular geographical location, it renders the tax exemption to be specific and, therefore, the Authority has computed subsidy margin by considering exemption of sales tax on their domestic sales. For working out the subsidy amount, the Authority has divided the sales tax exemption amount by the total sales quantity of the Xinyi to arrive at subsidy amount per MT. This per MT subsidy margin was then divided by the CIF price per MT to arrive at the subsidy as a % of CIF price to India for Xinyi. The subsidy margin so determined is given in the Subsidy margin table below.
159. In relation to Program no. 5 pertaining to tax allowance, it is noted that since Xinyi Energy Smart is getting tax exemption under this scheme, the amount equal to the income tax not paid is a direct subsidy. The amount of investment tax allowance utilized by the company, is then divided by the total sales quantity of the Xinyi Energy Smart to arrive at subsidy amount per MT. This per MT subsidy margin was then divided by the CIF price per MT to arrive at the subsidy as a % of CIF price to India for Xinyi Energy Smart. The Authority has computed subsidy from the income tax return submitted by Xinyi for the year 2018. It is further noted that as per information available on record the benefit is available for the period of 10 years i.e., from 2015 to 2025. Since the benefit available in POI can be utilized for next 8 years including POI, the Authority has computed the subsidy margin for POI accordingly.

160. For Program no. 21, Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd has admitted receiving benefit under this program. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margins.

Xinyi

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 1	Subsidies on Natural Gas	Availability of natural gas at government regulated prices	***	0-10
Program No. 3	Investment Tax Allowance	Exemption of 100% on capital expenditures. The total investment cost on production facilities incurred within the period of ten (10) years from February 2015 can be used to offset the taxable profit incurred since year 2015 till the accumulated ITA is fully utilised.	***	0-10
Program No. 9	Sales Tax Exemption	Exemption from payment of sales tax on their output (Sales Tax (Person Exempted from Payment of Tax) Order 2018)	***	0-10
Program No. 21	Licensed Manufacturing Warehouse	Exemption from custom duties and sales tax to all raw materials / components used directly in the manufacturing process of approved products regardless of whether the finished products are meant for exports or local market from the initial stage of manufacture until the finished products	***	0-10
Total			***	0-10

Kibing Group (M) Sdn. Bhd.

161. Kibing is cooperating producer / exporter of the subject goods from Malaysia and export the subject goods directly to India. Kibing has filed responses to the questionnaire, and has provided information regarding the subsidy programs availed by them.
162. The Authority has verified the information provided by the company and determined subsidy margin for programs mentioned in the Table below for which benefit was received or accrued during the POI. The Authority has also determined that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to Kibing as a recipient of following program. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprises including Kibing.
163. The Authority further notes that with respect to Program no. 1, no claim on receipt/non receipt of subsidy on natural gas has been made by the cooperating exporter in its response whereas the Government of Malaysia has admitted that gas prices in Malaysia are regulated. However, during the desk verification, Kibing provided documents which showed that the company is availing subsidy benefits.

164. The Authority has considered the subsidy amount specifically mentioned in invoices raised by the gas companies to Kibing for computing the amount of subsidy margin for Gas subsidy. The total subsidy amount was determined for the POI, which was then divided by the total sales quantity of the Kibing to arrive at subsidy amount per MT. This per MT subsidy margin was divided by the CIF price per MT of the respective companies to arrive at the subsidy as a % of CIF price to India for both the cooperative companies.
165. With respect to Program no. 9, the Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Custom Department. The program provides exemption from payment of sales tax, who meets the eligibility criteria and conditions. The Authority has also noted that Float Glass was not under the specific exempted list published as 'SALES TAX (GOODS EXEMPTED FROM TAX) ORDER 2018 DISIARKAN OLEH/PUBLISHED BYJABATAN PEGUAM NEGARA/ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS'. Since Kibing Group has got this benefit, it shows that this exemption is specifically provided to them. This program provides exemption of Sales tax due to the exporters which is otherwise due. For working out the subsidy amount, the Authority has divided the sales tax exemption amount by the total sales quantity of the Kibing to arrive at subsidy amount per MT. This per MT subsidy margin was then divided by the CIF price per MT to arrive at the subsidy as a % of CIF price to India for Kibing. The subsidy margin so determined is given in the Subsidy table below.
166. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin

Kibing

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 1	Subsidies on Natural Gas	Availability of natural gas at government regulated prices	***	0-10
Program No. 9	Sales Tax Exemption	Exemption from payment of sales tax on their output (Sales Tax (Person Exempted from Payment of Tax) Order 2018)	***	0-10
Total			***	10-20

For other non-participating Producers / Exporters from Malaysia

167. Countervailing duty for all other producers/exporters from Malaysia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties, and based on facts available for other subsidy programs. The subsidy margin so determined is ***% [Subsidy Margin Range (10-20) %].

METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

a. Submissions made by the Domestic Industry

168. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
- i. Domestic Industry has requested to issue preliminary findings in the instant investigation, as they are continuing to suffer injury during the interim period.
 - ii. Domestic industry has submitted that it is currently going through a deep crisis due to the prolonged lockdown in India. They have further submitted that Float glass production is a continuous process, and therefore, the Domestic Industry has no choice but to continuously produce the subject goods despite poor off-take in the market. According to the Domestic Industry, Xinyi and Kibing continue to export the subject goods in export markets including India and once the current Covid-19 crisis gets over, India will become the hot destination for exports of the subject goods from Malaysia particularly in view of the fact that their major markets including the European Union have been severely affected by the Covid-19 crisis.

Contention of the Domestic Industry is based on the market information provided by it according to which imports in February 2020 (13622 MT) increased by around 85% (6264MT) as compared to January 2020 (7358 MT) imports from Malaysia

- iii. Imports of the product under consideration from Malaysia have shown massive increase in the POI as compared to previous year, which has caused injury to the Domestic Industry.
- iv. Market share of Malaysia in demand has become significant in POI. Imports from Malaysia have not only taken the share of Domestic Industry but also of other countries in a short span of time. Market share of the Domestic Industry has decreased in the POI as compared to the base year.
- v. With reduction in the prices by the foreign producers, the only choice available to the Indian producer is to either realign their prices with the changes in the import prices or to lose orders. Hence the market share reduced during the entire injury investigation period.
- vi. Domestic industry prices reflect the effect of the prices that are being offered by the exporters in the domestic market. The Domestic Industry has also firmly contended that exporters are giving post sales discount to Indian customers to make their offers more attractive to them. Domestic Industry has requested to insist upon the importer to provide factual information about their contracts with their foreign suppliers and also with their customers along with the payment receipts to ascertain the actual import price.
- vii. The price underselling, price undercutting is positive and substantial. Further, the Domestic Industry is suffering from price depression as they are not able to increase its prices to reasonable terms.
- viii. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits. In fact, the profitable situation of the Domestic Industry has turned into losses and return on investments and cash profits have also followed the same trend.
- ix. The decline in profitability of the domestic industry was due to significant increase in the import volume at non-remunerative prices from Malaysia.
- x. The increase in selling price was lower than the increase in cost of production and thus the subsidized imports are creating price suppression effect on the domestic industry.
- xi. The domestic industry has suffered material injury in connection with subsidy of subject goods from Malaysia. Further, the domestic industry is threatened with continued injury, should the present condition continue.

b. Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties

169. The following are the injury related submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority.
- i. There is no volume effect, as the market share of the Domestic Industry has increased in the POI as compared to previous year.
 - ii. Domestic Industry has increased its capacity during the POI and this increased capacity, has resulted into higher capital employed, negative return on capital employed, and huge losses.
 - iii. The Domestic Industry is not suffering any injury, as their balance sheet is showing significant profits. Moreover, no injury can be attributed to the imports from Malaysia.
 - iv. Interested parties requested the Authority to critically examine the injury parameters and other factors causing injury to the Domestic Industry.

c. Examination by the Authority

170. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of the all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
171. As regards the profitability of the company, it is noted that the Applicants are multi-product company and to compare profitability of the company with profitability of the product under

consideration is incorrect. Further, the Authority is required to examine the performance of the Domestic Industry with respect to domestic like product and not for the company as a whole. The Authority has, therefore, analyzed the data accordingly. Therefore, the contention of the interested parties based on total profitability of the company is not correct.

172. As regards the issues of analysis of the injury parameters, it is noted that the same are addressed in the subsequent paragraphs while making injury analysis.
173. As regards the issue of capacity expansion, it is noted that the Domestic Industry has increased its capacity to cater the increased demand in the country. However, the sudden increase in POI is because of the fact that one of the constituents of the Domestic Industry started its operations during the injury investigation period (December 2017). In view thereof, the contention of the interested parties in relation to sudden increase in capacity is appropriately analyzed and taken care during the injury analysis. Therefore, no prejudice is caused to any interested parties.
174. Rule 13 read with Annexure-I of the Rules provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry. In considering the effect of the subsidized imports on prices, it is necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of subsidy, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and the exporters / importers / traders / users on injury to the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

I. Volume Effect of Subsidized Imports and impact on the Domestic Industry

i. Assessment of Demand

175. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the subject goods has been defined as the sum of domestic sales of the Applicants and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Imports from Malaysia	MT	-	-	1,29,794	1,92,379
Imports from Other Countries attracting ADD	MT	1,22,768	1,54,210	75,604	33,263
Imports from Other Countries	MT	24,071	62,776	56,517	10,628
Total Imports	MT	1,46,839	2,16,986	2,61,915	2,36,270
Sales of Domestic Industry	MT	7,99,041	8,15,669	8,75,931	10,13,390
Trend	Indexed	100	102	110	127
Sales of Other Domestic Producers	MT	1,43,650	1,44,500	1,90,000	2,30,000
Trend	Indexed	100	101	132	160
Total Domestic Sales	MT	9,42,691	9,60,169	10,65,931	12,43,390
Trend	Indexed	100	102	113	132
Demand	MT	10,89,530	11,77,155	13,27,845	14,79,660
Trend	Indexed	100	108	122	136

176. From the above, it is noted that the demand of the subject goods has been on the increasing trend throughout the injury investigation period.

ii. Imports volume and share of the imports from Malaysia

177. With regard to the volume of subsidized imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from Malaysia has been analyzed as under:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Imports from Malaysia	MT	-	-	1,29,794	1,92,379
Imports from Other Countries	MT	1,46,839	2,16,986	1,32,121	43,891
Total Imports	MT	1,46,839	2,16,986	2,61,915	2,36,270
Total PUC Production	MT	11,87,674	11,86,379	12,96,914	17,05,946
Demand of Subject goods in India	MT	10,89,530	11,77,155	13,27,845	14,79,660
Imports from Malaysia in relation to					
Production	%	-	-	10.01%	11.28%
Trend	Indexed	-	-	100	113
Consumption	%	-	-	9.77%	13.00%
Trend	Indexed	-	-	100	133
Total Imports	%	-	-	49.56%	81.42%
Trend	Indexed	-	-	100	164

178. From the above table, it is noted that-

- Imports of subject goods from Malaysia have increased significantly during the injury period in absolute terms.
- The imports from Malaysia have increased significantly in relation to total imports and consumption in India.

iii. Price Effect of Subsidized Imports on the Domestic Industry

179. With regard to the effect of the subsidized imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the subsidized imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from Malaysia.

a. Price Undercutting

180. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry as below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Landed price from Subject Country	Rs/MT	-	-	17,980	18,124
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	-	-	22,755	21,206
Price undercutting	Rs/MT	-	-	4,775	3,082
Price undercutting	%	-	-	27%	17%
Price undercutting	Range	-	-	20-30	10-20

181. It is noted that the landed value from Malaysia is below the selling price of the Domestic Industry during the POI and immediately preceding years. This has created huge pressure on the Domestic Industry.

b. Price Suppression and Depression

182. In order to determine whether the imports from Malaysia are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has considered the changes in the costs and prices over the injury period, as detailed below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Sales	Rs/MT	22,253	21,519	20,346	21,365
Trend	Indexed	100	97	91	96
Selling Price	Rs/MT	24,246	24,001	22,755	21,206
Trend	Indexed	100	99	94	87
Landed Value from Malaysia	Rs/MT	0	0	17,980	18,124
Trend	Indexed	0	0	100	101

183. From the above table, it is noted that the landed value of imports from Malaysia was below the selling price and cost of sales of the Domestic Industry in the POI and immediately preceding years. This has depressed the prices of the Domestic Industry to a significant degree. It is also noted that both the selling price as well as cost of sales of subject goods have declined during the injury period. However, the decline in the selling price is much more than decline in the cost of production, indicating that the domestic industry has also suffered price suppression.

c. Price Underselling

184. The Authority has also examined price underselling if any, suffered by the domestic industry on account of subsidized imports from Malaysia. After examination, it is determined that the domestic industry has suffered price underselling during the POI.

Particulars	Unit	Malaysia
Non-Injurious Price (NIP)	Rs/MT	***
Landed price of imports from subject country	Rs/MT	18,124
Price underselling	Rs/MT	***
Price underselling	%	***%
Price underselling	Range	30-40

iv. Economic Parameters of the Domestic Industry

185. Annexure-I to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of subsidized imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of subsidized imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of subsidy; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below

v. Sales Volume and Value

186. The sales volume and value of the Domestic Industry is given in the table below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Sales Quantity	MT	7,99,041	8,15,669	8,75,931	10,13,390
Trend	Indexed	100	102	110	127
Sales Value	Rs. Lacs	1,93,734	1,95,771	1,99,322	2,14,898
Trend	Indexed	100	101	103	111
Sales Price	Rs. /MT	24,246	24,001	22,755	21,206
Trend	Indexed	100	99	94	87

187. It is noted from the above table, that the sales volume and value of the subject goods have increased during the POI as compared to the preceding years. However, during the same time the selling price of the subject goods decreased. Domestic Industry has submitted that in order to retain the customers, they had no option but to reduce the selling price of the subject goods.

vi. Production and Capacity Utilization:

188. The details of production and capacity utilization are given in the table below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Capacity	MT	14,11,700	14,08,900	14,99,264	19,95,360
Total Production	MT	11,87,674	11,86,379	12,96,914	17,05,946
Production PUC only	MT	8,93,924	9,10,076	10,17,204	12,61,606
Capacity Utilization (Total Production)	%	84.13%	84.21%	86.50%	85.50%

189. It is noted from above table that the Domestic Industry have sufficient capacity to cater the need of the domestic demand. It is further noted that the capacity utilization has declined marginally during the POI as compared to previous year.

vii. Market share:

190. The details of imports, domestic sales and the market share of the domestic industry is as below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Imports from Malaysia	MT	–	–	1,29,794	1,92,379
Imports from Other Countries attracting ADD	MT	1,22,768	1,54,210	75,604	33,263
Imports from Other Countries	MT	24,071	62,776	56,517	10,628

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Total Imports	MT	1,46,839	2,16,986	2,61,915	2,36,270
Sales of Domestic Industry	MT	7,99,041	8,15,669	8,75,931	10,13,390
Trend	Indexed	100	102	110	127
Sales of Other Domestic Producers	MT	1,43,650	1,44,500	1,90,000	2,30,000
Trend	Indexed	100	101	132	160
Total Domestic Sales	MT	9,42,691	9,60,169	10,65,931	12,43,390
Trend	Indexed	100	102	113	132
Demand	MT	10,89,530	11,77,155	13,27,845	14,79,660
Trend	Indexed	100	108	122	136
Share in Demand of					
Imports from Malaysia	%	0%	0%	10%	13%
Imports from Other Countries attracting ADD	%	11%	13%	6%	2%
Imports from Other Countries	%	2%	5%	4%	1%
Total Imports	%	13%	18%	20%	16%
Sales of Domestic Industry	%	73%	69%	66%	68%
Sales of Other Domestic Producers	%	13%	12%	14%	16%
Total Domestic Sales share in Demand	%	87%	82%	80%	84%

191. From the above, it is noted that imports of the subject goods from Malaysia has increased in the POI as compared to the previous year. It is further noted that the market share of the Domestic Industry has decreased during the period of investigation over the base year despite increase in the demand over the same period.

viii. **Productivity:**

192. The productivity of the Domestic Industry is given in table below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Employees	Nos	2,722	2,847	3,671	3,812
Average no. of Working Days	Days	365	365	365	365
No. of Man Days	Man Days	9,93,530	10,39,155	13,39,915	13,91,380
Productivity	MT/man-days	0.90	0.88	0.76	0.91
Trend	Indexed	100	97	84	101

193. It is noted from the above table that the productivity in terms of total production per man-days has remained in the same band. However, the same has increased as compared to the preceding two years.

ix. Inventories:

194. The inventory of the subject goods is shown in the following table.

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Average Inventory	MT	51,113	59,186	94,046	1,40,794
Trend	Indexed	100	116	184	275

195. From the above table, it is noted that the inventory has increased substantially during the POI as compared to any of the previous year. This increased inventory indicates the injurious impact of imports from subject country.

x. Employment and Wages:

196. The position with regard to employment and wages is given in table below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Employees	Nos	2,722	2,847	3,671	3,812
Trend	Indexed	100	105	135	140
Wages	Rs. Lacs	9,108	10,228	12,057	14,153
Trend	Indexed	100	112	132	155
Wages/employee (Rs. per annum)	Rs/Nos	3,34,596	3,59,265	3,28,450	3,71,284
Trend	Indexed	100	107	98	111

197. It is noted from above table that the number of the employees and wages paid to them has increased during the POI. It is further noticed that the wages paid to the employees has increased, although such increase in wages paid has been commensurate to the increase in wages in the country in general.

xi. Profitability:

198. The Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined as below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Selling Price	Rs./MT	24,246	24,001	22,755	21,206
Trend	Indexed	100	99	94	87
Cost of Sales Price	Rs./MT	22,253	21,519	20,346	21,365
Trend	Indexed	100	97	91	96
Profit & Loss	Rs. Lacs	15,927	20,250	21,109	-1,610
Trend	Indexed	100	127	133	-10
Profit & Loss	Rs./MT	1,993	2,483	2,410	-159
Trend	Indexed	100	125	121	-8
Cash Profit	Rs./MT	3,916	4,454	4,069	1,345
Trend	Indexed	100	114	104	34
Return on Capital Employed (ROCE)	%	7.2%	8.8%	7.0%	-0.5%
Trend	Indexed	100	123	98	-7

199. As noted earlier that due to the subsidized and low-priced imports, the performance of the domestic industry has been adversely affected in the period of investigation. This is essentially on account of the subsidized imports from Malaysia coming at lower prices due to which the domestic industry has been forced to reduce its prices to match the low prices of imports. This price pressure on the Domestic Industry has adversely affected the profitability of the Domestic Industry which turned negative during the POI. The ROCE has also followed the same trend as of profitability.

xii. Growth

200. There was negative growth of the domestic industry in terms of sales price and market share in the POI. Similarly, profits, as well as ROI turned into negative from profitable situation. The Domestic industry has contended that they were not able to achieve the same due to the presence of the subsidized imports from Malaysia.

Particulars (Year on year)	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Selling Price	-	-1.01%	-5.19%	-6.81%
Profitability	-	25%	-3%	-107%
Return on investment	-	1.6%	-1.8%	-7.5%
Capacity utilization	-	0.1%	2.3%	-1.0%
Inventory	-	16%	59%	50%

xiii. Magnitude of Subsidy:

201. Magnitude of subsidy is an indicator of the extent to which the subsidized imports can cause injury to the domestic industry. The data shows that the subsidy margin determined against Malaysia is above *de minimis* and significant.

xiv. Ability to raise Capital Investment:

202. The Authority notes that the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and subsidy of the product under consideration may adversely impact the ability of the domestic industry to raise capital investment.

xv. Factors affecting domestic prices

203. Consideration the import prices from Malaysia, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than subsidized imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market show that the landed value of imported material from Malaysia is significantly below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. The domestic industry contended that benchmark for the domestic prices are the import prices from the subject country. It is also noted that the demand for the subject goods was showing increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it can be concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the landed value of subject goods from subject country.

xvi. Injury Margin

204. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure-III to the Rules, as amended from time to time. The NIP of the domestic like product has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost to make and sell for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out in accordance with Annexure III to the Rules. For determining NIP, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilization and the same production has been considered for arriving per unit fixed costs. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product

under consideration was allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being consistently followed by the Authority. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin.

Country	Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
Malaysia	Kibing Group (M) Sdn. Bhd	***	***	***	***%	30-40
	Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd.	***	***	***	***%	30-40
	Others	***	***	***	***%	60-70

xvii. Conclusion on Material Injury

205. An examination of the various parameters of injury along with the volume and price effects of imports reveals that there is an increase in the volume of imports of subject goods from the subject country during the POI in absolute terms as well as in relation to the total imports, domestic production and total demand in the country. With regard to price effect, it is noted that imports of the subject goods from the subject country are undercutting the selling price of the domestic industry. The domestic industry has also suffered price depression on account of subsidized imports of subject goods from subject country as selling price of subject goods has decreased during the injury period. It is also noted that both the selling price as well as cost of sales of subject goods have declined during the injury period. However, the decline in the selling price is much more than decline in the cost of production, indicating that the domestic industry has also suffered price suppression.
206. With regard to impact of volume and price effect on the domestic industry, it is noted that selling price, inventory and market share of the domestic industry has been adversely affected. Further, it is also noted that profitability and ROCE of the domestic industry has been adversely affected on account of subsidized imports of subject goods from the subject country.
207. On the basis of above analysis, it is concluded that due to injurious effect of the subsidized imports, the domestic industry has suffered injury.

xviii. Non-Attribution Analysis

208. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the subsidized imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the subsidized imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at subsidized prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than subsidized imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

xix. Volume and price of imports from third countries

209. The imports from the countries other than Malaysia and countries already attracting anti-subsidy duties are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the Domestic Industry. Imports from other countries accounted for less than 5% in total imports and 1% of total demand/consumption in India. Thus, it cannot be said that imports from other countries are currently causing injury.

xx. Export Performance

210. It is noted that the injury information examined by the Authority is for domestic operations and therefore possible changes in exports volume have not caused injury to the Domestic Industry.

xxi. Development of Technology

211. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. It is further noted that technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

xxii. Performance of other products of the company

212. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the domestic industry.

xxiii. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

213. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

xxiv. Productivity of the Domestic Industry

214. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has marginally increased over the period.

xxv. Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

215. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it can be concluded that the injury to the Domestic industry was not due to contraction in demand.

xxvi. Examination by the Authority on injury and causal link:

216. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the subsidy of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by subsidized imports:

- a. Imports of the subject goods from the subject country has increased in absolute terms during the POI as compared to the immediately preceding year i.e., 2017-18. Imports of the PUC from the subject country has also increased in absolute terms as well as increased relative to production and consumption in India.
- b. The domestic industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.
- c. Market share of the Domestic Industry has decreased from during the injury period even though demand for the subject goods has been rising in India during the same period. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.
- d. The imports of subject goods from subject countries were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce its prices. The price depression suffered by the domestic industry is primarily because of subsidy of the product in the country.
- e. The domestic industry was forced to reduce its prices even below its cost causing financial losses. The price depression caused by the subsidized imports from subject country has thus resulted in negative profit from positive profit during the POI.
- f. Performance of the domestic industry with regard to profits, cash flow and return on investments deteriorated as a result of price depression. Thus, subsidy of the product has led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow and return on investments.

POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

217. The post disclosure submissions have been received from the interested parties, and it is noted that the most of the issues raised are reiterations and have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions have been analyzed as under:

Submissions of the Other Interested Parties**Program No. 1. Subsidies on Natural Gas****Submission by Government of Malaysia**

218. The specificity element essentially required for this program to be subjected to any countervailing measure undoubtedly does not exist. The non-specific element has been clearly demonstrated from the following information:

- i. Regulated gas price is made available to all GMB customers. The GOM did not explicitly limit access of this program to certain enterprises and therefore the specificity principle in Article 2.1(a) of the WTO SCM Agreement is not applicable.
- ii. Gas price charged to customers is according to tariff categories which is based on the customers' average annual gas consumption. The GOM further explained that no application is required for the customers to apply for a specific tariff category. This conforms with Article 2.1(b) of the WTO SCM Agreement where GMB established objective criteria or condition which are neutral and do not favour certain enterprise over others. The tariff category based on average annual gas consumption is also economic in nature and horizontal in application.

219. It is submitted by GOM that the Designated Authority has inaccurately concluded that this program has been granted to a limited number of persons engaged in the manufacture or production of the product under consideration. Further, it is submitted that the Designated Authority plainly overlooked the evidence provided by the Petitioner itself with regards to GMB's gas volume distribution. The Petitioner has furnished GMB's Annual Report 2017 as the legal basis evidence on the program which was duly acknowledged by the Designated Authority in paragraph 33 of the Disclosure Statement. It is clearly evident from page 42 of GMB's Annual Report 2017 that Malaysia has a diverse and wide range of industries utilizing natural gas in their operation. It is also obviously illustrated that glass products manufacturers with only 8% of total natural gas consumed were not the bulk consumer of natural gas in Malaysia. The GOM is highly astonished that the Designated Authority has neglected this imperative information and erroneously made an arbitrary conclusion on the specificity of natural gas distribution in Malaysia has only benefiting the manufacturers of the product under consideration.

Submission by Xinyi

220. That although the Government of Malaysia (GOM) has admitted Gas prices are regulated by Government, the gas price offered to Malaysian users is higher than in other Asian markets and India as well.

221. DGTR has also not analyzed the specificity of the programs. The GOM has stated in the Questionnaire response that the industrial users of gas in Malaysia are charged based on tariff category and enterprises within the same category will be charged same price. Therefore, Program No.1 is not specific and thus cannot be regarded as countervailable.

222. It is further submitted that under Gas Cost Pass-Through (GCPT) mechanism, gas pricing is adjusted every 6 months in order to match with market price and is expected to reach market price in 2020. In fact, GCPT mechanism has ended at the end of 2019. The gas supplier, Gas Malaysia Berhad has made company announcement regarding the change of gas price.

223. Xinyi Energy Smart submitted that no subsidy was granted to Gas suppliers in Malaysia since January 2020. Starting from January 2020 the gas bill no longer has GCPT section or "Government subsidies" ("Subsidi Oleh Kerajaan Persekutuan" in Malay) which proved that GCPT mechanism has ended and the assistance has been cancelled since then. However, it is further submitted that the Government of Malaysia has now fixed the gas price at the average price of RM ***/Mmbtu for the year 2020. The price for the year 2021 shall be reviewed and set by the GOM before end of 2020.

Submission by Kibing

224. There is no gas subsidy given by the Government to Kibing. The amount shown in the Gas Invoices represent the difference between Export Price of Gas from Malaysia and Gas Price charged from the buyers.
225. That there is a change in Gas Pricing Mechanism from Jan 2020 and since then no such amount is mentioned on the Gas Invoices. No specificity has been claimed by the Domestic Industry and also the Authority could not establish any specificity in this Program. Hence this Program is not countervailable.

Program No. 3 Pioneer Status Program**Submission by Government of Malaysia**

226. GOM has submitted that it has approved either Pioneer Status or ITA to the participating Malaysian producers. However, because of certain criteria/requirements which have not been met by these companies, they are yet to receive any benefit from the Program. Further, it has been submitted that if the tax exemption were claimed by the companies during the Period of Investigation (POI), the tax exemption amount will be reflected in the companies' annual tax return of the corresponding assessment year.
227. Kibing has never utilized the Pioneer Status program since the approval by the GOM dated 29 January 2016. A company is required to apply for Pioneer Certificate (PC) in order to avail its benefits under this program. As such, Kibing has not applied for, accrued, or received benefit from this program. The Designated Authority would be able to verify this information from Kibing's audit report and annual tax return of the corresponding years.

Submission by Kibing

228. Kibing has submitted that since it has not completed the procedural requirements, hence, no benefit is availed under this scheme during POI and therefore, no benefit under Pioneer Scheme/Investment Tax Allowance can be applied to them. It was further clarified that assumption of Capital Allowance shown in the Income tax Return of the Company for 2018 as Investment Tax Allowance/Pioneer Status is totally incorrect as both these schemes are independent. Further, since the Authority has concluded that Capital Allowance indicated in Income Tax Return is not countervailable, no benefit for not paying income tax is accrued to them. Annual Reports of Kibing for 2016, 2017, 2018 and 2019 also do not reflect any benefit from these schemes received by Kibing.
229. It is also submitted that permission for Pioneer Scheme has been converted into Investment Tax Allowance only in May 2019. However, Kibing has not yet notified the MITI about date of commencement of the program, hence no benefit has accrued or received by Kibing under this program

Program No. 5 Investment Tax Allowance**Submission by Government of Malaysia**

230. GOM has submitted that it has approved either Pioneer Status or ITA to the participating Malaysian producers. However, because of certain criteria/requirements which have not been met by these companies, they are yet to receive any benefit from the Program. Further, it is submitted that if the tax exemption were claimed by the companies during the Period of Investigation (POI), the tax exemption amount will be reflected in the companies' annual tax return of the corresponding assessment year.

Submission by Xinyi

231. It is submitted that during the most recent tax audit carried out by Malaysia Tax Authority, it has been concluded that Xinyi Energy Smart has failed to meet one of the conditions. As a result, Malaysia Tax Authority had decided to withdraw the ITA benefit to the company. One of the important conditions for availing ITA benefit was that the applicant should not have employed more than 20% of unskilled foreign workers. Xinyi has failed to meet such condition for period in question.

232. It is also submitted that the adoption of 6 years as Average Useful Life (AUL) does not match with actual average AUL of the company. The Authority should adopt AUL on the basis of average life of assets claimed and adopted in its Annual Report to work out the depreciation which meets the requirement of GAAP.
233. Xinyi Energy Smart has submitted that “Xinyi” (Malaysia) is enjoying tax incentive of Investment Tax Allowance (ITA) whereby the total investment cost on production facilities incurred within the period of ten (10) years from January 2015 can be used to offset the taxable profit incurred since the year 2015 till the accumulated ITA is fully utilized. However, as the ITA won't be utilized until Capital Allowance amount has been fully utilized, the ITA utilized for Year of assessment 2018 is MYR 0. During the year of Assessment 2017 and 2018, the statutory income of Xinyi Energy Smart was both zero, therefore, the amount of ITA that had been actually utilized was zero as well. Therefore, Xinyi Energy Smart submits no subsidy margin shall be calculated since Xinyi Energy Smart did not actually avail any ITA benefits during the POI and pre-POI.

Program No.9. Sales Tax Exemption

Submission by Kibing

234. It is submitted that Sales Tax Charge to Customer is not an income to Kibing. It is further submitted that Kibing manufactures float glass and sells float glass to its customers. The float glass is a raw material/material to the customers. If a customer who has obtained the Sales Tax exemption from the Royal Malaysian Custom Department (RMCD), the customer is exempted to pay the sales tax on the materials they purchased from Kibing. For those customers who did not get the Sales Tax Exemption from the RMCD, Kibing is required, under the Sales Tax Order 2018, to collect the Sales Tax from the customers, on behalf of the RMCD, and make payment to the RMCD according to the prescribe schedule.

Program No. 11 Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares Part

Submission by Kibing

235. Kibing has stated that the amount mentioned in Exhibit-9 as Exemption of Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables is totally incorrect and unfounded. In fact, SST1 and SST represents the amount of goods sold for during the period when SST was applicable. It is not the SST Exemption of Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables but value of goods sold with sales tax exemption applied by Kibing's customers to RMCD and approval given to Kibing's customers. In fact, Sales Tax paid on input is set off against Sales Tax collected in respect of domestic sales. The same is shown in the Sales Tax Return for the respective periods. Hence the assumption that the amount shown in Exhibit-9 of the Questionnaire Response of Kibing is the Exemption of Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables is totally incorrect. The Amounts indicated in Exhibit-9 under SST1 and SST 3 reflect amount of Goods sold during the period Sept 2018 to April 2018. The same is duly reflected in the Sales Tax Returns for the said period.

Program No. 12 Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment

236. Kibing has stated that the amount mentioned in Exhibit-9 as Exemption of Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment is totally incorrect and unfounded. In fact, PTC1 and PTC2 represents the amount of SST on certain inputs purchased during the period when SST was applicable. It is not the SST exemption amount on Exemption of Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment. In fact, Sales Tax paid on input is set off against Sales Tax collected in respect of domestic sales. The amount is shown in the Sales Tax Return for the respective periods. Therefore, the assumption that the amount shown in Exhibit 9 of the Questionnaire Response of Kibing is the Exemption of Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment is totally incorrect.
237. The exporters have further submitted that the adoption of 8.5 years as Average Useful Life (AUL) does not match with actual average AUL of the company. The Authority should adopt AUL on the basis of average life of assets claimed and adopted in its Annual Report to work out the depreciation which meets the requirement of GAAP.

Submissions of the Domestic Industry:

238. The so-called cooperating Malaysian exporters namely M/s Xinyi Smart Energy (Malaysia) Sdn. Bhd. (Xinyi) and M/s Kibing Group (M) Sdn. Bhd. (Kibing) as well as the Government of Malaysia (GOM) have willfully and unjustifiably suppressed the information which has direct bearing on the quantum of the subsidy duties.
239. That the GOM has specifically stated that the present scheme is not available for industrial users, and the Malaysian exporters, Xinyi and Kibing, also denied availing any benefit under the present scheme. However, at the time of the verification of documents, the Authority was able to figure out that the Malaysian exporters have indeed availed benefit under the present scheme and therefore, the Authority should reject the exporters.
240. That in an anti-subsidy investigation, the Authority is predominantly dependent upon the information and documents submitted by the concerned parties, any misrepresentation, willful suppression of facts, or failure to provide full and sufficient questionnaire response by the parties to the investigation has to be taken very seriously. Therefore, the Authority has been consistently rejecting the entire response of the parties in trade remedy investigations even when there is a suspicion that the said party has not come out clean before the Authority or if any part of the questionnaire response filed by it is incomplete. In the instant, investigation, both the exporters have not provided information about their related parties and therefore, their responses are liable to be rejected.
241. It is further submitted that the responding Malaysian exporters have apparently provided some half-baked information after their lies with respect to gas subsidy program was found by the Authority during verification, the Authority should use best facts available to determine their subsidy.
242. Domestic Industry has further submitted that the US Investigating Authority in the Countervailing Duty Investigation concerning imports of Fine Denier Polyester Staple Fiber from India [C-533-876 dated 16.1.2018], has used facts available for that scheme (TUFS) despite the fact that Indian producer had provided complete information during verification about the scheme in question taken by textile company and not the company producing PSF despite the fact that the company had also refunded back the amount to the bank with interest and, therefore, no subsidy should be added. US Authority imposed Adverse Facts only because information about that scheme was not disclosed prior to the verification.
243. The submissions of the responding exporters and GOM with respect to the countervailable schemes found to be existing in Malaysia cannot be accepted since it has specifically been found by the Authority that the said exporter and the Government of Malaysia has willfully suppressed material information from the Authority and provided incorrect information.
244. That the disclosure statement fails to record that certain benefit received by subsidiaries are fungible in nature and can be utilized by the group companies and, therefore, it is of utmost importance that the analysis of all the related companies is carried out appropriately. Since the Malaysian exporters did not provide the names of related parties and schemes availed by them, their responses should be rejected.

Examination by the Authority,

245. The Authority notes that most of the submission made by interested parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The finding above ipso facto deal with these arguments of parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.

Natural Gas Subsidy

246. The Authority notes the submissions of the domestic industry, the cooperative exporter and the Government of Malaysia regarding the availability and quantification including mechanism of subsidy granted on natural gas to various entities. The Government of Malaysia has provided the mechanism of gas pricing in their response. However, despite request they have not been able to either explain GCPT mechanism or provide minutes of the meeting for GCPT mechanism during the course of the investigation. This has restricted the ability of the Authority to understand the

mechanism. It is further noted that the GOM has accepted that the prices of Gas are regulated in the market. Further, the participating exporters during desk verification have also shown actual invoices, wherein amounts of gas subsidy received are clearly mentioned, despite initially denying the existence of gas subsidy. The Authority after finding actual amount of gas subsidy on the invoices produced by the exporters have calculated the subsidy margin accordingly. Therefore, the Authority confirms the amount of subsidy received by the exporters under this Program.

Pioneer status programme (PS)

247. In relation to PS, it is noted that the Authority had proposed to countervail this scheme in the disclosure statement. However, after analyzing the post disclosure comments made by Kibing and GOM regarding Pioneer Status Program, the Authority notes that the company had not paid income tax because of capital allowance available to them, which is already decided as a non-countervailable scheme in this investigation. It is further noted that since Kibing has not completed the procedural requirements, hence, no benefit is availed by them under this scheme during POI and therefore, no benefit under Pioneer Scheme can be applied to them. In view thereof, it is noted that despite this scheme being countervailable, no subsidy amount is being recommended for Kibing, as the same has not been availed by them.

Investment Tax Allowance (ITA)

248. In relation to the submission made by Xinyi regarding the fact that no benefit was available under the ITA, it is noted that in post disclosure submissions, the methodology used by the Authority for reaching the benefit amount for POI was contested. In this context, it is noted that the Authority has, in light of the post disclosure comments, re-examined the benefit. While analyzing, it is confirmed that Xinyi has indeed availed benefit under this scheme as the same was reflected in their Annual Report as well as ITR filed by them. The Authority has relied upon the Annual Report and Income Tax return submitted by Xinyi.

249. In this connection, it is further noted that the company has reflected the amount of RM *** that is brought forward from the previous year and RM *** for the current year totaling to RM *** which the company could not utilize, and the amount was carried forward to be utilized in subsequent years. Since the scheme is available for a period of 10 years from 29 January 2015 to 28 January 2025 and effectively only six years are left for utilizing the carried forward amount of RM ***, accordingly the unutilized amount of investment allowance reflected in the ITR has been spread over a period of six years, and accordingly the subsidy margin has been calculated.

250. In relation to the submission of Xinyi regarding their ITA claims and its consequential refund along with penalty to the GOM, the Authority holds that the claim of refund is not verifiable at this stage for reasons of its non-admissibility or its restoration to the producer/exporter later. The Authority notes that the cooperating exporter has in continuation of their earlier comments, submitted that ITA has been discontinued to them. However, the Authority could not verify the claims at this late stage. Further, complete details of the same have also not been explained. Therefore, the Authority notes that if the exporter would not get any benefit under this scheme in future, the exporter may file a review in accordance with relevant rules. In view of the above, the Authority holds that Xinyi has got benefit under this scheme.

Sales Tax Exemption

251. The Authority has taken note of the submissions made by Kibing and GOM in relation to Program No 9, 11 and 12 and the margin calculated thereunder. The Authority has taken due cognizance of their explanation and submissions, which ought to have been clarified / submitted at the stage of verification process. The Authority has made efforts to understand the submissions made by the exporter in this regard and have accordingly accepted the clarification submitted by the exporter regarding 'SST1 and SST3' and 'PTC1 and PTC2'. The Authority has re-examined Exhibit-9 in the light of the post disclosure statement comments and found that the amount mentioned in Sales Tax Exemption category under the head 'POI Actually Received Subsidy' is the actual subsidy received by the exporter and claimed by them in Exhibit-9. Since the exporter has himself admitted the subsidy received during the POI under Sales Tax Exemption, the Authority has determined subsidy margin for Sales Tax Exemption based on the subsidy amount claimed by Kibing in questionnaire response.

Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables

252. The Authority has examined the response filed by Kibing in relation to this Program and has taken note of explanation of the terms 'SST1' and 'SST3' and the corroborative documents submitted along with the post disclosure comments in this regard. Since the terms 'SST1' and 'SST3' are not related to Sales Tax on Spares and Consumables, as was explained by the exporter, the Authority has decided not to countervail this scheme for Kibing and accordingly, no subsidy margin is calculated for this scheme in these final findings.

Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment

253. The Authority has examined the response filed by Kibing in relation to this Program and has taken note of explanation of the terms 'PTC1' and 'PTC2' and the corroborative documents submitted along with the post disclosure comments in this regard. Since the terms 'PTC1' and 'PTC2' are not related to Sales Tax on Machinery and Equipment, as was explained by the exporter, the Authority has decided not to countervail this scheme for Kibing and accordingly, no subsidy margin is calculated for this scheme in these final findings.

254. The Authority notes the submission of the domestic industry regarding willful suppression of the facts and providing false information to the Authority and has addressed these concerns in the foregoing paragraph.

Conclusion

255. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration has been exported to India from Malaysia at subsidized price.
- ii. The domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the product under consideration.
- iii. The material injury' has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from Malaysia.

Indian Industry's Interests and Other Issues

256. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and create level playing field.

RECOMMENDATION

257. It is noted that the Authority has already recommended anti-dumping duties on the same product under consideration vide final findings F. No. 6/15/2018-DGTR dated 20.8.2020. The same was accepted by Ministry of Finance vide notification No. 37/2020-Customs (ADD) dated 11.11.2020. It is further noted that in terms of Section 9B(1)(a) of the Act, no article shall be subject to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization. Considering the above provision, the Authority has taken due care that the product under consideration should not be subject to both anti-dumping and export subsidy. In this context, it is important to highlight that the subsidy margin quantified by the Authority in relevant paragraphs above pertains to subsidies other than export subsidies. Therefore, the current subsidy duties are in accordance to the Act and Rules. Further, there will be no double protection to the Domestic Industry and will cause no prejudice to any interested party whatsoever.

258. It is further noted that anti-dumping duty was recommended on reference-price based on the factual matrix of the case. Therefore, now the anti-dumping is only payable if the subject goods will be landing below the reference price notified vide notification No. 37/2020-Customs (ADD) dated 11.11.2020 and the amount of ADD would be to the extent of difference between the landed value of subject goods, and the reference price indicated in column 7 of the duty table of the above Notification.
259. In addition to above, it is further noted that since the POI of anti-dumping and countervailing duty is same, the Authority has also taken due precaution of the fact that the anti-dumping margin and anti-subsidy margin should not exceed the injury margin calculated for the Domestic Industry for the POI. The same is also reflected in the Table below:

Particulars	Dumping Margin in the AD investigations	Dumping Margin% in the AD investigations	Subsidy Margin	Subsidy Margin %	Dumping Margin + Subsidy Margin		Injury Margin	
					USD/MT	%	USD/MT	%
Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd.	***	***	***	***	***	***	***	***
Kibing Group (M) Sdn. Bhd.	***	***	***	***	***	***	***	***
Others	***	***	***	***	***	***	***	***

260. From the above, it is clear that the injury margin which is same for both the anti-dumping investigation and anti-subsidy investigation because of same POI, is significantly higher than the sum of both dumping margin and subsidy margin taken together for both the cooperating producers and exporters. Since injury margin percentage determined for other producers and exporters is lower than sum of dumping and subsidy margin percentages, the anti-subsidy duty is restricted to the amount by which injury margin exceeds dumping margin i.e., ***%.
261. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of Malaysia and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury' and causal link. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal link in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.
262. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury for a period of five (5) years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive countervailing duty as mentioned in Col No.7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of the subject goods from the subject country.

Duty Table:

S.no. (1)	Heading/ Sub- heading (2)	Description of Group (3)	Country of origin (4)	Country of export (5)	Producer (6)	Duty Amount as % of CIF value (7)
1.	7005	Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4 mm to 12 mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS14900:2000	Malaysia	Any country including Malaysia	Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd.	9.74%
2	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Kibing Group (M) Sdn. Bhd.	11.15%
3	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any other than Sl no 1 & 2	4.02%
4	-do-	-do-	Any country other than Malaysia	Malaysia	Any	4.02%

1. CIF value means the assessable value as determined under section 14 of Customs Act. 1962 (52 of 1962).
2. The Authority further notes that due to ASEAN Free Trade Agreement, the basic custom duty is zero and therefore, landed value and CIF amount will be same.
3. To clarify how both anti-dumping and anti-subsidy duty will operate, an illustration is provided below:
 - ❖ *If the CIF / Landed Value of exports to India by Xinyi for PUC is USD 250/MT, Xinyi has to pay USD 22.87 / MT (USD272.87/MT minus USD 250 / MT) as Anti-dumping duty and USD 24.35 / MT (9.74% of USD 250/MT) as countervailing duty. With the same price of exports, the other producers and exporters would be paying US\$ 76/MT (US\$ 326/MT minus US\$250/MT) as ADD, and US\$10.05/MT as CVD.*

Further Procedure

263. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority